हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 दिसम्बर, 1980

खण्ड 3, अंक 3

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 17 दिसम्बर, 1980

पृश्ठ संख्या

तरांकित प्र न एवं उत्तर	(3)1
थ्नयम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(3)26
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(3)30
अध्यक्ष द्वारा घोशणा– सदस्यों की गिरफ्तारी संबंधी	(3)31
नियम 64 के अधीन मुख्य मन्त्री को कालावाली घटना के बारे में वक्तव्य देने की अनुमति देना।	(3)31
औचित्य प्र न– मुख्य मन्त्री को नियम 64 के अधीन कालावाली घटना पर प्रस्तावित वक्तव्य देने की अनुमति देने संबंधी।	(3)33
अध्यक्ष द्वारा रूलिंग– स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर निर्णय आक्षित रखने संबंधी	(3)34

औचित्य प्र न (पुनरारम्भ)	(3)36
नेमिंग आफ मैम्बर	(3)41
बैठक का निलम्बन (सस्पैन न)	(3)42
स्वामी अग्निवेश को सदन में वापिस आने की अनुमति देना	(3)42
नियम 84 के अधीन कालावाली घटना पर चर्चा की अनुमति देना	(2)43
हरियाणा के स्टूडैंट्स आदि पर चण्डीगढ़ पुलिस द्वारा अत्याचार किये जाने बारे में चर्चा उठाने की मांग	(3)44
ध्यानाकर्शण सूचना– रावी नदी पर थीन बांध के निर्माण संबंधी	(3)48
वक्तव्य– मुख्य मन्त्री द्वारा एस0वाई0एल0 परियोजना के पंजाब के भाग के निर्माण में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप हरियाणा राज्य की हानि होने संबंधी	(3)49
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(3)52
बिल्ज–	(3)55

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 5) बिल, 1980	
स्वामी आदित्यवे ा द्वारा चौधरी संत कवर के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की वि ोशाधिकार समिति को सौपना	(3)64
दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 5) बिल, 180 (पुनरारम्भ)	(3)67
वाक आउट	(3)72
दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 5) बिल, 180 (पुनरारम्भ)	(3)72
बैठक का समय बढ़ाना	(3)73
दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 5) बिल, 180 (पुनरारम्भ)	(3)73
(ii) दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलांउसिज एंड पैन ान आफ मैम्बर्ज) फिफ्थ अमैंडमैंट बिल, 1980	(3)74
उपाध्यक्ष द्वारा घोशणा– सदस्य के जमानत पर रिहा होने संबंधी।	(3)79
दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलांउसिज एंड पैन ान आफ मैम्बर्ज) फिफ्थ अमैंडमैंट बिल, 1980 (पुनरारम्भ)	(3)80

(iii) दि ईस्ट पंजाब ट्रैक्टर कल्टीवे ान (रिकवरी आफ चार्जिज) हरियाणा रिपीलिंग बिल, 1980	(3)82
(iv) दि पंजाब विपेज कामन लडज (रैगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1980	(3)84
वैयक्तिक स्पश्टीकरण– कृशि मन्त्री, सरदार तारा सिंह द्वारा	(3)94
दि पंजाब विपेज कामन लैंड्ज (रैगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1980 (पुनरारम्भ)	(3)95
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा– कालांवाली घटना संबंधी	(3)101
वैयक्तिक स्पश्टीकरण– (i) उप–श्रम मन्त्री, चसैधरी लाल सिंह द्वारा	(3)109
(ii) सरदार सुखदेव सिंह द्वारा	(3)110
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)110
बैठक का समय बढ़ाना	(3)111
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)112

वैयक्तिक स्पश्टीकरण– स्वामी आदित्यवे ा द्वारा	(3)114
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)114
वाक आउट	(3)117
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)118
वाक आउट	(3)119
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)119

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 17 दिसम्बर, 1980

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9–30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तरांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Ten Bedded Hospital at Meham

***1787. Chaudhri Har Swarup Bura:-** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a ten bedded hospital at Meham; if so, the steps so far taken in this behalf?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : मेहम में एक 10 बिस्तरों का सबसीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है। अब तक भवन निर्माण हूतु मुख्य वास्तुक, हरियाणा/प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क भााखा), हरियाणा से ड्राईगज/7.45 लाख रुपये के कच्चे अनुमान बनवायें जा चुके हैं।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि क्या क्या फार्मेलिटीज पूरी कर ली है और क्या क्या बाकी रहती हैं?

चौधरी भजन लाल : सभी फार्मेलिटीज पूरी हो गयी है। जनवरी, 1981 में काम भुरू हो जायेगा।

डा0 मंगल सैन : जिस प्रकार से मेहम में 10 बैड्ज का हस्पताल बनाने जा रहे हैं, इसी प्रकार से क्लानौर के लिए भी चीफ मिनिस्टर साहब ने 25 बैड्ज के हस्पताल के बारे में घोशणा की थी क्या सरकार वहां भी जल्द से जल्द हस्पताल बनवाने का कश्ट करेगी?

चौधरी भजन लाल : अगर इस किस्म की कोई घोशणा की है तो उस पर भी जरूर काम चालू किया जायेगा लेकिन समय जरूर लग सकता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताने का कश्ट करेंगे कि जहां पर दस बैड्ज या 25 बैड्ज का हस्पताल बनाया जाता है उसके क्या नार्मज हैं, यानी कितनी आबादी का वह गांव होना चाहिएं और सराउंडिंग विलेजिज कितने होने चाहिए?

चौधरी भजन लाल : लोगों की आव यकता के अनुसार हस्पताल खोला जाता है। या तो बहुत बड़ा कस्बा हो या 5–10 मील के एरिया में कोई हस्पताल न हो, ऐसी जगह को जरूर कन्सिडर करते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि जिन हस्पतालों की घोशणा पिछली सरकान ने की थी, उन हस्पतालों को भी मुकम्मल किया जायेगा या नहीं?

चौधरी भजन लाल : माननीय सदस्य को यह याद नहीं रहा, वे भूल गये कि चटाला के हस्पताल का जो पत्थर रखा था वह कम्पलीट हुआ है या नहीं। हमने तो उस हस्पताल को भी कम्पलीट कर दिया है। उसे बहुत जल्दी चालू करने जा रहे हैं। (विध्न)

अगर आप नारनौंद के बारे में पूछना चाहते हैं तो सैपरेट नोटिस दे दें, जवाब दे दिया जायेगा।

Mr. Speaker : In my opinion, the Government should fix some firm norms for opening a 10 or 25 bedded hospital and then stick to those norms.

श्री भागी राम : क्या चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह बात है कि एलनाबाद के आसपास 45 किलामीटर के एरिया में एक बैड का भी हस्पताल नहीं है। क्या वहां पर भी कोई हस्पताल बनाने की प्रोपोजल सरकार के विचारधीन है।

(इस प्र न का उत्तर नहीं किया गया)

चौधरी रिजक राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यही सप्लीमेंटरी है कि मुख्य मंत्री महोदय ने जो अपना जवाब पढ़ा है उसमें हिन्दी में प्रमुख अभियन्ता मुख्य वास्तुक आदि भाब्द लिखे हुए हैं, इन भाब्दों का

हमें तो पता नहीं लगा कि इनका क्या अर्थ होता है। आपको पता हो तो आप एक्सप्लेन कर दें?

चौधरी भजन लाल : इनका अर्थ इंजीनियर–इन–चीफ और चीफ आर्किटैक्ट होता है।

श्री गुलजार सिंह : स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल ने राजौंद हल्के में अलेवा गांव में पांच बैड्ज का हस्पताल खोलने का एलान किया था, क्या उस अ योरैंस को यह इम्पलीमेंट करेंगे?

श्री अध्यक्ष : इस सप्लीमेंटरी का मेन सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है। हाउस के सामने सवाल मेहम हस्पताल का है। अगर इसके अलावा कोई सवाल पूछना चाहता है तो गवर्नमैंट की पालिसी के बारे में पूछ सकता है। दूसरी जगह के बारे में पूछना चाहते हैं तो सैपरेट नोटिस दें।

चौधरी उदय सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैंने पिछले सै ान में भी यही सवाल पूछा था कि छारा प्राइमरी हैल्थ सैन्टर की बिल्डिंग बिल्कुल टूटी हुई है, वहां पर कोई भी मरीज दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या उस प्राइमरी हैल्थ सैन्टर की मुरम्मत करायी जायेगी?

श्री अध्यक्ष : इस सप्लीमेंटरी का मेन सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है, अलग से नोटिस दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर्ज पर जो बड़े हस्पताल हैं वहां पर सर्जन और फीजि ियन नहीं हैं यानी काफी स्टाफ की कमी है। इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि वहां पर जिस स्टाफ की कमी है वह कब तक पूरी कर दी जायेगी?

चौधरी भजन लाल : जहां डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर का स्टाफ की कमी है, वहां स्टाफ पूरा करेंगे। दलाल साहब ने छारा प्राइमरी हैल्थ सैन्टर का जिक्र किया है, अगर उसकी हालत खस्ता है तो जरूर मुरम्मत करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, इस बारे में मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर किसी जगह हस्पताल की हालत खस्ता है तो आप लोगों को लिख कर भेजना चाहिए। जब कोई सवाल आ जाता है तो आप यहां पर पूछते हैं। क्या दलाल साहब आपने लिख कर भेजा है?

चौधरी उदय सिंह दलाल : जी हां, लिख कर भी भेजा है।

चौधरी गंगा राम : स्पीकर साहब, हमारी गवर्नमैंट की स्कीम है कि ब्लॉक लैवल पर एक प्राइमरी हैल्थ सैंटर होना बहुत जरूरी है। लेकिन गोहाना ब्लॉक ऐसा है, जहां पर कोई हैल्थ सैन्टर नहीं है। मैं सी0एम0 साहब से जानना चाहता हूं कि क्या उस स्कीम के तहत इस ब्लॉक में भी कोई प्राइमरी हैल्थ सैन्टर बनाने का विचार है?

चौधरी भजन लाल : अगर कोई प्राइमरी हैल्थ सैन्टर सारी गोहाना तहसील में या गोहाना ब्लॉक में नहीं है तो जरूर विचार किया जायेगा।

श्री मनी राम : स्पीकर साहब, जब एम0पीज0 के इलैक ान हो रहे थे उस टाईम पर सी0एम0 साहब ने एलान किया था कि डबवाली में 25 बैड्ज का हस्पताल बनाया जायेगा। उस हस्पताल के लिए जमीन भी एक्वायर हो चुकी थी लेकिन कुछ प्रभाव ााली लोगों ने उस जमीन को कैंसिल करवा दिया है। क्या चीफ मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि वहां पर जो अ योरैंस दी गई थी, वह कब तक इम्पलीमैंट हो जायेगी?

श्री अध्यक्ष : इसके लिए सैपरेट नोटिस दें।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : मेहम में सारी फार्मेलिटीज पूरी कर ली गई हैं। क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह बताने का कश्ट करेंगे कि इसी फाइनेन्ि ायल ईयर में वहां पर हस्पताल बनाने का काम भाुरू कर दिया जायेगा?

चौधरी भजन लाल : जनवरी में काम भाुरू कर देंगे।

Depots/Sub Depots of Haryana Roadways in the State

*1825. **Shri Raghunath Goyal :** Will the Minister for Transport be pleased to state :-

(a) the number of Depots/Sub Depots of Haryana Roadways in the State as on 31.08.1980; and

(b) the total number of buses in working condition and out of order separately as on 31.08.1980 in each of the said Depots/Sub Depots mentioned in part (a) above ?

परिवहन मंत्री (श्री जगननाथ) :

(ए) डिपो 13

सब–डिपो 17

(बी) सूचना साथ लगे अुनबन्ध में दी गई है। जो सदन के पटल पर रखी है।

31.8.80 को हरियाणा राज्य परिवहन के डिपो तथा उप डिपो में बसों की संख्या का विवरण।

बसों की संख्या					बसों की संख्या				कुल बसों की संख्या (डिपो और उप डिपो)		
क्र:	डिपो	परिचालन योग्य	परिचालन योग्य	कुल	उप डिपो का नाम	परिचालन योग्य	परिचालन योग्य	कुल	परिचालन योग्य	परिचालन योग्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अम्बाला	167		167					167		167
2.	चण्डीगढ़	141	5	146	1. कालका	57	2	59	198	7	205
3.	क्रनाल	165	1	166	2. पानीपत	50		50	215	1	216
4.	जीन्द	136	3	139	3. नरवाना	30	1	31	166	4	170

5.	कैथल	111	8	119	4. कुरूक्षेत्रा 5. पेहवा	52 24	1	53 24	187	9	196
6.	सेनीपत	63	1	64	6. गोहाना	36		36	99	1	100
7.	यमुनानगर	92	4	96	7. नारायणगढ़	39		39	131	4	135
8.	गुड़गांवा	122		122	8. देहली 9. फरीदाबाद 10. पलवल	34 34 27		79 34 27	262		262
9.	रोहतक	147		147	11. झज्जर	41		41	188		188
10.	हिसार	146		146	12. हांसी 13. टोहाना	36 34		36 34	216		216

11.	रिवाड़ी	139		139	14. नारनौल	34		34	173		173
12.	भिवानी	96		96	15. दादरी 16. लोहरू	45 24		45 24	165		165
13.	सिरसा	80	2	82	17. डबवाली	35	1	36	115	3	118

चौधरी भाग मल : स्पीकर साहब, हमारी ऐस्टीमेटस कमेटी सिरसा गई थी वहां हमने सिरसा डिपो की हालत को देखा था। उस डिपो की सब से ज्यादा खस्ता हालत है। वहां पर न बसों की मुरम्मत के लिए कोई वर्क ाप बनी हुई है और न ही स्टाफ के लिए कोई बैठने की जगह है। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि वहां वर्क ाप बनाने की कब तक योजना है?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : सिरसा के बारे में कल मैंने जवाब दे दिया था। आज जो हमारे सामने सवाल है उसमें यह पूछा गया है कि 31.08.1980 तक हरियाणा में कुल कितने बस डिपो हैं और उसका जवाब दे दिया गया है। इस सप्लीमेंटरी के लिए आप अलग से नोटिस दें।

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन बसों के अन्दर 1975 से पहले के माडल की कितनी बसें हैं?

श्री जगन नाथ : इस सयम हमारे पास कुल 2311 बसें हैं। उनमें से 29 बसें दिनांक 31.08.80 तक आऊट आर्डर हो गई थी यानी खराब हो गई थी।

चौधरी राम लाल बधवा : स्पीकर साहब, मेरे प्र न का उत्तर ठीक प्रकार से नहीं दिया गया है।

चौधरी जगदी ा कुमार बैनीवाल : अध्यक्ष महोदय, सिरसा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। वहां के डिपो में बहुत कम बसें हैं और वे भी पुरानी हैं तो क्या वहां पर और बसें भेजने का कोई विचार है?

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी डिपो के साथ भेद–भाव रखते हों। सिरसा डिपो के अन्दर 80 बसें हैं। इसी प्रकार से रिवाड़ी, यमूनानगर और जीन्द छोटे–छोटे डिपो हैं। इन सभी डिपोज के अन्दर इस समय और बसें भेजनी मु कल है। जहां तक नई और पुरानी बसों का संबंध है, इसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम किसी भी डिपो के साथ कोई भेदभाव नहीं रखते। सभी डिपोज में एक जैसी ही बसें लगी हुई हैं।

श्री लहरी सिंह मेहरा : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने जो सूचना सदन की पटल पर रखी है, उसमे कैथल डिपो के अन्दर 111 बसों में से केवल 8 बसें आऊट आफ आर्डर बताई गई हैं, जबकि वहां पर बहुत ही खस्ता हालत की गाडियां चल रही हैं। इसलिए मैं मन्त्री जी से जानकारी चाहूंगा कि क्या वहां पर और नई बसें दी जायेंगी?

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत ही खस्ता हालत की गाड़ियां कैथल डिपो में चलायी जा रही हों। यह हो सकता है कि कुछ बसों के भी ो कई बार स्टूडेन्ट्स पत्थर वगैरह मार कर तोड़ देते हैं जिससे कि वे ठीक दिखाई न देती हों। कैथल डिपो के साथ नई बसें दिए जाने के संबंध में हमारा कोई भेद–भाव नहीं है।

चौधरी गया लाल : स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि प्रदे ा में कुल 13 डिपो और 17 सब–डिपो हैं क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि होडल जो हरियाणा का आखिरी कस्बा है और वहां से 25–30 बसें प्रतिदिन गुजरती हैं, उसको सब–डिपो या डिपो बनाने का कोई विचार है?

श्री जगन नाथ : अभी तक वहां पर सब–डिपो या डिपो बनाये जाने का कोई विचार नहीं है। हमारी सरकार आने के बाद हमने सोनीपत और यमुना नगर के अन्दर डिपो खोले हैं और फरीदाबाद को भी डिपो बनाने जा रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ और सब–डिपो बनाने का विचार किया जा रहा है।

चौधरी देस राज : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन बसों के अन्दर कम्पलेंट बुक और फर्स्ट–एड बाक्स नहीं है क्या उनमें ये दोनों चीजें रखने का प्रबन्ध करवाया जायेगा?

श्री जगन नाथ : यदि किन्हीं बसों के अन्दर कम्पलेंट बुक और फस्ट–एड बाक्स आदि नहीं हैं तो उन बसों के अन्दर ये दोनों चीजें अव य पूरी करवा दी जायेंगी।

श्री दीप चन्द भाटिया : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा परिवहन मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय ने मुझे आ वासन दिया था कि लम्बे रूट की बसें फरीदाबाद टाऊन और एन0 आई0 टी0 में से गुजर कर जाया करेंगी लेकिन लम्बे रूट की बसें इन दोनों मार्गों से अब तक गुजर कर नहीं जा रही हैं। इसलिए मैं जानना

चाहता हूं कि इन दोनों मार्गों से लम्बे रूट की बसें कब तक चलने लगेंगी?

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, ये ठीक कह रहे हैं कि सी0 एम0 साहब ने इन्ह वि वास दिलाया था कि लम्बे रूट की बसें फरीदाबाद टाऊन और एन0 आई0 टी0 से गुजर कर जायेंगी। लेकिन बाद में मैंने सी0 एम0 साहब से बातचीत की कि लम्बे रूट की बसें जैसे कि चण्डीगढ़ से आगरा या ग्यालियर तक जाने वाली बसें यदि फरीदाबाद टाऊन से होकर जायेंगी तो मुसाफिरों को बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं कि लम्बे रूट की गाड़ियां फरीदाबाद टाऊन से भेजना मु ि कल है। यदि ये हरिद्वार या किसी और स्थान के लिए कहेंगे तो उस पर विचार कर लिया जायेगा। (हंसी)

श्री देवी दास : स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हरियाणा के सभी डिपोज से दूसरी स्टेटों के अन्दर बसें जाती हैं लेकिन सोनीपत डिपो से सिर्फ देहली के अलावा और किसी अन्य स्टेट में बसें नहीं जाती तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सोनीपत डिपो से भी दूसरी स्टेटों में बसें चलाई जायेंगी?

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, इस बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि सोनीपत डिपो से दूसरे प्रदे ाों में बसें जाती भी हैं या नहीं। इस बारे में ये मुझे लिख कर दे दें, हम उस पर विचार कर लेंगे।

श्रीमती डा0 कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन मंत्री से यह पूछना चाहती हूं कि जो बसें बाहर से आती हैं, वे पानीपत या करनाल आ कर डीजल न मिलने के कारण बीच में ही रूक जाती हैं। भविश्य में ऐसा न हो क्या इस प्रकार का कोई इन्तजाम सरकार करने जा रही है? इसी प्रकार का एक वाक्या 13 तारीख का है। मैं 13 तारीख की रात को दिल्ली से जा रही थी कि बस पानीपत खड़ी हो गई।

श्री अध्यक्ष : देखिये, यह कोई इण्डिविजुयल केस हो गया होगा। वैसे भी इस सप्लीमेंटरी का मेन सवाल से कोई संबंध नहीं है। यदि ऐसा कोई केस हो गया हो तो आप कम्पलेन्ट लिख कर भेज दें।

स्वामी आदित्यवे ा : स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो डिपो या सब–डिपो बनाये जाते हैं या खोले जाते हैं, वे किस आधार पर खोले जाते हैं?

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, डिपो और सब–डिपो लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ट्रैफिक प्वांयट आफ व्यू से डिपार्टमैंट के फायदे को देखते हुए और जनता के फायदे को देखते हुए बनाये जाते हैं।

स्रदार सुखदेव सिंह : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अपने जवाब में यह बताया है कि अम्बाला में 167, चंडीगढ़ में 141, करनाल में 165, कैथल में 111 और सिरसा में केवल 80 बसें हैं। सिरसा में जो कमी है क्या मंत्री जी उस कमी को पूरा करने की कृपा करेंगे?

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब तो मैं पहले ही दे चुका हूं।

चौधरी नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, गुड़गांवा में जितनी बसें जाती हैं, वे वाया एयरपोर्ट आती हैं। दिल्ली से रोजाना दो–अढ़ाई सौ बसें वहां के लिये चलती हैं। गुड़गांवा से पालम ऐयर पोर्ट की टिकट नहीं देते हैं क्योंकि वहां पर कोई बस स्टैंड नहीं है। सवारियों को दिल्ली की टिकट लेनी पड़ती है, इसलिये क्या मंत्री महोदय वहां पर कोई बस स्टैंड बनाने की कृपा करेंगें?

श्री जगन नाथ : अगर ऐसी बात है तो हम वहां पर बस–स्टाप बना देंगे।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, इन्होंने जो बसों की डिपो–वाइज लिस्ट दी है, उसमें यह दिया हुआ है कि सोनीपत डिपो में केवल 64 बसें हैं जबकि दूसरे हरेक डिपो में इससे दुगुनी और डयौढ़ी बसें हैं, क्या मंत्री महोदय वहां पर भी बसों की तादाद बढ़ाने की कृपा करेंगे?

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, रोहतक पहले एक डिपो था, उसके बाद सोनीपत सब–डिपो बनाया गया। पिछले साल ही हमने सोनीपत को डिपो बनाया है। अभी नया डिपो है, धीरे–धीरे वहां पर भी और बसें बढ़ायी जा रही हैं

*1827. **Chaudhri Bhag Mal :** Will the Minister for Local Government be pleased to state :-

(a) whether the Government has forwarded the Hindu Succession (Haryana Amendment) Bill, 1979, as passed by the Haryana Legislative Assembly to the President of India for his assent; and

(b) if the answer to part (a) be in affirmative the date on which it was forwarded and where the matter rests at present?

राजस्व मन्त्री (चौधरी भोर सिंह) :

(ए) जी हां।

(बी) यह दिनांक 27—11—1979 को भेजा गया था। इस बिल पर राश्ट्रपति महोदय ने अपनी असैन्ट विदहोल्ड कर ली है।

श्री अध्यक्ष : इस पर कल भी काफी बहस हो चुकी है।

डा0 मंगल सैन : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब प्रैजीडैंट साहब ने इस बिल की असैन्ट विदहोल्ड की, उसके बाद क्या आप प्रधान मंत्री से यह किसी केन्द्रीय मंत्री से मिले?

Mr. Speaker : This matter has been discussed yesterday. I do not allow any supplementary on it.

(Interruptions.)

Dr. Mangal Sein : It is a very important matter, Sir.....

(Interruptions.)

चौधरी रिजक राम : मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया है कि इस बिल पर राश्ट्रपति महोदय ने अपनी असैन्ट विदहोल्ड कर ली है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब से यह बिल सैंटर को असैंटर के लिये भेजा गया है, उसके बाद क्या रैवेन्यू मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या कोई अन्य मंत्री होम मिनिस्टर से या प्राईम मिनिस्टर से इस बारे में मिले कि इस बिल की स्वीकृति मिलनी चाहिए क्योंकि यह स्टेट के हित में है, यह बिल किसानों और दूसरे सब लोगों की भलाई में है, आपने उनसे कोई सम्पर्क पैदा किया या नहीं किया?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिल था। इस बिल के बारे में मैं उस समय के होम मिनिस्टर श्री चव्हाण साहब, और प्राईम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी से भी मिला था। उनसे मिलकर मैंने यह प्रार्थना की कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है इसलिये इसकी मन्जूरी मिलनी चाहिये ताकि हम इसको अपने यहां लागू करवा सकें। (व्यवधान व भाोर) उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, पक्का पता तो नहीं है कि होम मिनिस्टरी के पास जब भी कोई केस जाता है और जो भी कुछ वह रिकमैंड करे, राश्ट्रपति उस पर विचार करते हैं। होम मिनिस्टरी भी जो रिकमैंडे ान करती है, वह प्रधान मन्त्री की सलाह पर करती है। चूंकि उस समय चौधरी चरण सिंह प्रधान मंत्री थे, इसलिये वह रिकमैंड नहीं हुआ होगा और एक्सैप्ट नहीं हुआ होगा। (व्यवधान व भाोर)

आवाजें : अब तो इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री हैं ..... (व्यवधान व भाोर)

श्री मूल चन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि राश्ट्रपति महोदय द्वारा इस बिल को असैंट देने से इन्कार करने संबंधी सूचना इनको कब मिली और वह सूचना मिलने के बाद क्या इन्होंने यह जानने की कोि ा ा की कि राश्ट्रपति महोदय ने या होम मिनिस्टरी ने या प्राईम मिनिस्टर महोदय ने क्या रिकमैंड किया है? क्या इन्होंने यह जानने की कोि ा ा की कि किन–किन बातों के आधार पर उन्होंने यह सिफारि ा की कि इस बिल की असैन्ट विदहोल्ड कर ली जाये।

चौधरी भजन लाल : यह इन्फर्मे ान हमारी फाईल में नहीं है।

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, मेरा क्वै चन स्पैसिफिक है। नम्बर एक कि यह सूचना इनको कब मिली कि राश्ट्रपति महोदय ने इस बिल की असैंट रोक ली है? नम्बर दो, इस सूचना के मिलने के बाद क्या हरियाणा सरकार ने यह जानने की कोि ा ा की कि किन–किन कारणों से इस बिल की असैन्ट विदहोल्ड की गयी है?

चौधरी भोर सिंह : राश्ट्रपति महोदय ने 24–10–1980 को इस बिल पर अपनी असैंट विदहोल्ड की। उसके बाद राज्यपाल महोदय के सचिव महोदय ने यह सूचना 13–11–80 को हमें भेजी। चार दिन तो वैसे भी डाक में लग जाते हैं। बीच में छुट्टियां पड़ गयीं। हमें यह सूचना 20–11–1980 को मिली। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी डिस्क ान हो चुकी है। (व्यवधान व भाोर)

डा0 मंगल सैन : सर, इस पर हाउस सैटिसफाईड नहीं है।

चौधरी राम लाल वधवा : सर, इस पर हाफ एन आवर डिस्क ान दे दीजिये।

Mr. Speaker : I do not feel any justification in having a half an hour discussion on the President's not giving his assent to this Bill.

चौधरी राम लाल वधवा : इसमें तो सारे हरियाणा के इन्ट्रैक्ट का सवाल है। इसमें सारे लोगों का इन्ट्रैक्ट इन्वाल्वड है, इसलिये आप हाफ एन आवर डिस्क ान अलाऊ कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : इस वक्त मसला हाउस के सामने सिर्फ यह है कि प्रैजीडैंट साहब ने जो इस बिल को अपनी असैंट देनी थी, वह विदहोल्ड कर ली है, इसके ऊपर मैं आधे घंटे की बहस अलाऊ करना ठीक नहीं समझता।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : इनकी दिल्ली जाने की हिम्मत भी नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, वजीर साहब ने अभी यह उत्तर दिया है कि 24–10–80 को प्रैजीडैंट साहब ने अपनी असैंट विदहोल्ड की है। क्या मुख्य मंत्री या मंत्री महोदय यह फरमा सकेंगे कि किन तारीखों में होम मिनिस्टर ने या प्राईम मिनिस्टर साहब ने उनको

यह केस रिकमैंड करके भेजा था? ... (व्यवधान व भाोर) नम्बर दो, मंत्री महोदय यह फरमाने की कृपा करेंगे कि क्या 20–11–1980 के बाद मुख्य मंत्री से इस बारे में कभी मिले या नहीं?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आज यह लोग यहां पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। यह सरकार हरियाणा में पहली सरकार है जिसने इस बिल को पास करके भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजा था। चौधरी देवी लाल भी दो साल कुछ दिन तक हरियाणा प्रदे ा के मुख्य मंत्री रहे हैं और वीरेन्द्र सिंह जी, जो आज उठ–उठ कर पूछ रहे हैं, ये उस सरकार के कर्ता–धर्ता थे। उस सरकार ने तो कभी इस बारे में सदन में बिल लाने की बात तक नहीं की और न ही इस बारे में कभी सोचा कि हाउस में इस तरह का कोई बिल पे ा किया जाये (व्यवधान व भाोर) यह कोई तरीका नहीं है। हम आपकी बात को भाांति से सुनते हैं तो आपको भी हमारी बात भाांति से सुननी चाहिये। यह कोई चौपाल नहीं है, यह हाउस है। (व्यवधान व भाोर) (चौधरी गंगा राम जी की ओर से विध्न)

10:00 बजे

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। देखिए चौधरी गंगा राम, आप ज्यादा भाोर न करें। मैं आप सब से एक निवेदन करता हूं कि जब कोई साहेबान बोल रहे हो, मुख्य मंत्री बोल रहे हों चाहे लीडर आफ दि अपोजी ान बोल रहे हो तो कृपा करके आप भाांति से सुनें। मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है और जहां तक मेरा ज्ञान है, ये फैक्ट्स बता रहे

हैं कि जब यह बिल पास हुआ था तब चौधरी भजन लाल मुख्य मंत्री थे। (ाोर)

कुछ अवाजें : उस वक्त जनता पार्टी की गवर्नमैंट थी। (ाोर)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, जब इनकी सरकार थी और चौधरी वीरेन्द्र सिंह उस वक्त कर्ता–धर्ता थे तो इन्होंने इस बिल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। हमने इस बात को महसूस किया कि यह बड़ी भारी दिक्कत है, समाज पर यह एक बहुत बड़ा कलंक है कि बाप की जायदाद में बेटी का हिस्सा हो। हमने इस बात को महसूस करके इस बिल को पास किया था कि बेटी का हिस्सा होना चाहिए लेकिन वह हिस्सा ससुर या पति की जायदाद में होना चाहिए। हमने यह बिल पास करके केन्द्रीय सरकार को भेजा था। काफी दिन तक हम यह इन्तजार करते रहे कि इस बिल की राश्ट्रपति से मन्जूरी आ जाएगी लेकिन जब नहीं आई तो मैं चौधरी चरण सिंह से मिला। मैं आन औथ यह बात कह रहा हूं (ाोर एवं व्यवधान) चौधरी चरण सिंह ने तो यह कहा था अगर मेरा मौका लगे तो मैं चौधरी भजन लाल को एक सैकिन्ड भी मुख्य मन्त्री न रहने दूं। मैंने चौधरी चरण सिंह को चैलेन्ज किया था कि मेरी सरकार को तोड़कर दिखाएं। (व्यवधान) मेरी सरकार बहुमत की सरकार है। आप तो एक दिन भी बहुमत साबित नहीं कर सके।

Sports Delegation to Moscow Olympic Games

***1804 Smt. Dr. Kamla Verma :** Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) the number and names of the members of the delegation of Haryana who visited Moscow in he month of July, 1980 for participating in the inauguration of Olympic Game;

(b) the total amount of expenditure incurred by the Government on the visit of the said delegation; and

(c) whether any scheme has been prepared as a result of the visit of the said delegation to give a new direction to the sports in the State; if so, the details thereof be laid on the Table of the House ?

परिवहन मन्त्री (श्री जगन नाथ) :

(क) प्रतिनिधि मंडल में निम्नलिखित 5 सदस्य थे :

1. श्री जगन नाथ, खेल मंत्री

2. श्री एस0 के0 मिश्रा, आई0 ए0 एस0, भूतपूर्व वित्तायुक्त एवं सचिव खेल।

3. श्री बी0 एस0 ओझा, आई0 ए0 एस0, प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री

4. श्री आई0 सी0 गुप्ता, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)।

5. श्री एच0 एस0 आनन्द, आई0 ए0 एस0, निदे ाक खेल।

(ख) 92983.00 रुपये।

(ग) योजना अभी बनाई जा रही है।

श्रीमति डा0 कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार का इतना खर्चा हुआ और उसके बावजूद राई में खेल बन्द हो गए। क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राई में खेल बन्द होने के क्या कारण हैं ?

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, जहां तक राई में खेल बन्द होने का तालुक है इसके बारे में कल प्र न आएगा और तब उत्तर दे दिया जाएगा। जहां तक खर्चे का सवाल है कोई लम्बा चौड़ा खर्चा नहीं हुआ।

डा0 मंगल सैन : अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महोदय ने बताया है कि 92 हजार रुपया खर्च हुआ है।

क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो डेलीगे ान गया था उसने कोई रिपोर्ट स्टेट गवर्नमैंट को दी है ? (व्यवधान)

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, रिपोर्ट तैयार हो रही है। जो कुछ भी हमने वहां पर देखा था उसके बारे में सारी की सारी रिपोर्ट सरकार को पे ा कर दूंगा। उसके लिए थोड़ा टाईम चाहिए।

श्री हीरा नन्द आर्य : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आज के दिन तक कोई रिपोर्ट रिकार्ड पर है? अगर है तो क्या मन्त्री महोदय उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, रिपोर्ट तैयार हो रही है।

चौधरी राजेन्द्र सिंह : क्या परिवहन मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा से जो डेलीगे ान मास्को गया था उसके क्या एम्ज और आब्जैक्टस थे और क्या वे एम्ज एंड आब्जैक्टस पूरे हो गए ? दूसरे जो 92983.00 रुपए की धनरा ि ा खर्च हुई क्या यह फेयर पर हुई या लौजिंग पर हुई ? तीसरी बात इन्होंने बताई कि योजना अभी बनाई जा रही है। इस सम्बन्ध में मेरा प्र न यह है कि कम्पैरेटिव स्टडी करके कोई बुकलैट या किताब मन्त्री जी स्टेट को देंगे जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को लाभ मिल सके ?

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, एम्ज एंड आब्जैक्टस का जहां तक सम्बन्ध है, आपने तो सारी दुनिया देखी है और जानते भी हैं कि हमारे यहां के लड़के ऐ ि ायन और कौमनवैल्थ गेम्ज में तो कुछ अच्छा खेल लेते हैं लेकिन जहां तक ओल्मपिक गैम्ज का ताल्लुक है सारे हिन्दुस्तान में से अभी तक सरदार मिलखा सिंह ने कुछ नाम कमाया है और वह भी चौथी पोजी ान पर आया था। चौथी पोजी ान भी कोई खास पोजी ान नहीं होती। स्पीकर साहब, मास्को में लगभग सभी स्टेटों के लोग गए थे। बंगाल के मुख्य मन्त्री भी गए थे। हमारे मुख्यमन्त्री भी जाना चाहते थे लेकिन उस वक्त प्रदे ा में बाढ़ आई हुई

थी इसलिये वे नहीं जा सके थे। हमने रूस के अन्दर जाकर देखा कि जर्मनी, चैकोस्लोवाकिया, रोमानिया जैसे दे ाों के लड़कों का खेलने का स्टैन्डर्ड बहुत अच्छा है। हमने वहां के स्टेडियम्ज भी देखे थे और हमारी पूरी कोि ा ा हैं कि हम उस लाईन पर यहां भी स्टेडियम बनाएं लेकिन हमारे पास पैसे का अभाव है इसलिए उतना काम हम नहीं कर पा रहे हैं। हमने गुड़गांव के अन्दर काम किया है। 12 से 16 दिसम्बर तक हम हरियाणा स्पोर्टस फैसटीवल मना रहे हैं। हमारे गवर्नर साहब, कल वहां गए थे। सरदार दरबारा सिंह भी गए थे। इन्टर स्टेट खेाल भी हम करवाते हैं। ने ानल लैवल गेम्ज की भी तैयारी कर रहे हैं। हमारी पूरी कोि ा ा है कि हम अपने लड़कों के खेल का स्टैन्डर्ड बढ़ाएं। स्पीकर साहब, जहां तक खर्चे का सम्बन्ध है 56 हजार तो किराए पर खर्च हुआ। 21487.00 होटल चार्जिज, 3216.00 गेम्ज की टिकट, 2924.00 लगेज टिकट, 1000.00 कन्टिनजैंसी एट एयरपोर्ट, 500.00 एयरपोर्ट टिकट, 1687.00 कंटिनजैंसी ऐक्सपैंडीचर और 5408.04 डेली अलांउस।

डा0 बृज मोहन गुप्ता : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह डैलीगे ान कौन सी तारीख को चण्डीगढ़ वापिस पहुंचा था ?

श्री जगन नाथ : उसी महीने की 24 तारीख को यह डैलीगे ान चण्डीगढ़ पहुंचा था।

चौधरी उदय सिंह दलाल : स्पीकर साहब, हमारे हरियाणा से और खास तौर पर मेरे गांव के लड़के देसरे मुल्कों में खेलने के लिये

जाते हैं। उनके साथ जो आफिसर या सुपरवाइजर भेजे जाते हैं, उनको खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, और न ही वे उस खेल के माहिर होते हैं। इस कारण से उन लड़कों को सम्बन्धित खेल की वरजि ा नहीं करवायी जाती। चाहे कु ती हो, या हाकी का खेल हो या कोई दूसरा खेल हो, जो अफसर या सुपरवाइजर खिलाड़ियों के साथ भेजे जाते हैं, उनको कम से कम उन खेलों का माहिर होना चाहिये। क्या सरकार इस तरफ ध्यान देने का विचार रखती है ताकि बच्चे दूसरे मुल्कों में जाकर अपने दे ा का नाम ऊंचा कर सकें ?

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, यह कोई जरूरी नहीं है कि जो अधिकारी उन लड़कों के साथ बाहर जाते हैं, वे उसी खेल के माहिर हों। लेकिन फिर भी हम कोि ा ा कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को बाहर जाने से पहले पूरी तरह की कोचिंग दी जाए, ज्यादा से ज्यादा कोचिंग कैम्पस लगाये जाएं। इस तरह के कोचिंग कैम्पस हमने कई जगहों में लगाये भी हुये हैं। हम नै ानल लैवल की स्पोर्टस भी करवाते रहते हैं जोकि कभी नार्थ इंडिया में नहीं हुए थे। इस तरह से खिलाड़ियों का काफी प्रोत्साहन मिलता रहता है। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी उदय सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब तो आया ही नहीं ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कह दिया है कि सुपरवाईजरों का माहिर होना जरूरी नहीं है।

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि दूसरे मुल्कों में खिलाडियों के लिये बड़े अच्छे अच्छे इन्तजाम होते हैं तभी उनके खिलाड़ी टाप पर आते हैं यानी खिलाड़ियों को वहां पर काफी प्रोत्साहन मिलता रहता है। उन दे ाों के लड़कों को किसी प्रकार की बेरोजगारी की चिन्ता नहीं है और यहां पर हिन्दुस्तान में नौजवानों को हर वक्त बेरोजगारी की चिनत लगी रहती है तभी इधर खेलों का स्टैन्डर्ड ऊंचा नहीं है। क्या यह भी एक कारण नहीं है जिसके कारण हमारे दे ा के नौजवान खेलों में पीछे रह जाते हैं ?

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, यह भी एक कारण हो सकता है लेकिन वहां पर बच्चों को छोटी उमर में ही खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें होस्टलों में रखा जाता है और तरह तरह की कोचिंग दी जाती है गाईड होते हैं और हर प्रकार की मैडीकल सहायता भी उन्हें प्रदान की जाती है जिसके कारण उन्हें किसी दूसरी चिन्ता का सामना नहीं करना पड़ता और वे बच्चे अपना ज्यादा समय स्पोर्टस की तरफ लगाते हैं।

Declaration of Jhajjar Tehsil as Industrially Backward

***1816 Capt. Mange Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Jhajjar Tehsil as an Industrially Backward area; and

(b) if so, the time by which the said proposal is likely to be implemented ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : (क) व (ख) राज्य सरकार ने तहसील झज्जर को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोशित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था परन्तु भारत सरकार ने इस मामले को अभी इसलिए अस्वीकार कर दिया कि औद्योगिक पिछड़े क्षेत्रों की पहचान के वर्तमान सिद्धांतों पर पुनर्विचार करने का मामला अभी िवरामण कमेटी के विचारधीन है।

कैप्टन मांगे राम : स्पीकर साहब, मैं मुख्य मन्त्री महोदय ने से यह जानना चाहता हूं कि यह जो जवाब अभी उन्होंने पढ़ा है, यह भारत सरकार से कब आया ? डा0 मंगल सैन जी, जब मिनिस्टर थे, उस समय इस बारे में सरकार ने भारत सरकार को लिखकर भेजा था। यह जवाब उस समय का है या कि सरकार के नये पत्र का जवाब आया है ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने दोबारा भारत सरकार को लिखा हुआ था कि झज्जर तहसील इंडस्ट्रीज के लिहाज से बैकवर्ड है, इसको इंडस्ट्रियली बैकवर्ड क्षेत्र घोशित किया जाए।

श्री लहरी सिंह मेहरा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरकार ने झज्जर तहसील के बारे में लिखा है क्या उसी प्रकार से किसी दूसरी जगह के लिये भी भारत सरकार ने लिखा गया है कि फलां फलां तहसीलों को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड करार दिया जाए ?

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, हमने गुडगांव का सारा जिला और हिसार जिले के कुछ भाग के लिये भी भारत सरकार को लिखकर भेजा है। (ाोर)

चौधरी ई वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि किसी इलाके को औद्योगिक दृश्टि से पिछड़ा हुआ इलाका घोशित करने का सरकार का क्या क्राईटेरिया फिक्स किया हुआ है?

चौधरी भजन लाल : इसके लिये भारत सरकार की तरफ से एक कमेटी बनी हुई है वह मौके पर जाकर देखती है कि कौन सा इलाका इंडस्ट्रीज के लिहाज से पिछड़ा हुआ है। उसकी रिकमैंडे ान पर ही बैकवर्ड एरिया घोशित किया जाता है।

डा0 मंगल सैन : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने कभी भारत सरकार से पूछा है कि यह ि ावरामण कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने भारत सरकार को लिखा हुआ है कि झज्जर तहसील को बैकवर्ड एरिया करार दिया जाए। इस बारे में थोड़े दिन पहले एक चिट्ठी लिखी गई है। (ाोर)

आवाजें : स्पीकर साहब, सवाल का जवाब तो आया ही नहीं। (ाोर)

चौधरी हरि चन्द हुड्डा : मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वे पुरखों के गांव में गये थे और वहां पर उन्होंने वायदे भी किये थे। उनको वायदा याद होगा क्या उन वायदों को पूरा किया है कि नहीं ? (ाोर)

श्री अध्यक्ष : यह कोई सवाल नहीं बना। यहां पर सवाल तो झज्जर तहसील के बारे में चल रहा है।

कैप्टन मांगे राम : मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने यहां पर जवाब दिया है, यह डा0 मंगल सैन जी के वक्त में जो चिट्ठी गई थी, उसका जवाब है या कि जो दोबारा चिट्ठी लिखी गई थी, उसका जवाब पढ़ कर सुनाया है ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कैप्टन साहब को बताया है कि पहले का जवाब आ गया है और हमने फिर दोबारा भारत सरकार को चिट्टी लिखी हुई है कि तहसील झज्जर को बैकवर्ड एरिया करार दिया जाए।

चौधरी रिज़क राम : अभी मुख्य मंत्री महोदय ने फरमाया है कि भारत सरकार की ओर से एक ि ावरामण कमेटी बनी हुई है जोकि इस सारे काम को देखती है कि फलां एरिया बैकवर्ड है कि नहीं। मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार जब किसी ऐरिया को बैकवर्ड एरिया रिकमैन्ड करके भारत सरकार को भेजती है तो क्या क्राइटेरिया सामने रखकर सिफारि ा की जाती है ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जिस एरिया में इंडस्ट्रीज कम हों, उसी हिसाब से सरकार रिकमैंडे ान करके भारत सरकार को भेजती है कि इस एरिया को बैकवर्ड एरिया करार दिया जाए। (ाोर)

चौधरी रिज़क राम : स्पीकर साहब, मेरे सवाल का साफ जवाब नहीं आया। (ाोर)

चौधरी भजन लाल : जिस एरिया में इंडस्ट्रीज कम हों, दूसरे जहां पर लोगों के रोजगार के कोई साधन न हों। (ाोर)

चौधरी रिज़क राम : स्पीकर साहब, मेरा सवाल था कि कम इंडस्ट्रीज का भी कोई न कोई क्राईटेरिया होगा ? कोई ढ़ंग होगा जिसकी बिनाह पर सरकार रिकमैंड करती है कि इस इलाके को बैकवर्ड करार दिया जाए। कम इंडस्ट्रीज वाले इलाके से इनका अभिप्राय क्या है ? (ाोर)

श्री अध्यक्ष : मेरे विचार में इसके लिये अलग से नोटिस चाहिये।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी सदन को बताया था कि क्राईटेरिया एक ही होता है कि जिस एरिया में इंडस्ट्रीज कम हों और वहां के लोगों की हालत खसता हों उस एरिया को हम रिकमैंड करके भेजते हैं ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। जैसे झज्जर तहसील है, मेवात का एरिया है। इन इलाकों में पीने के पानी की भी कमी है और वैसे भी बहुत पिछड़े हुए हैं इसलिये इन

इलाकों को हमने रिकमैंड करके भेजा है। इसी तरह से हिसार का जो इलाका बचता था उसको भी रिकमैंड करके भेजा है कि इसको भी बैकवर्ड एरिया घोशित किया जाए।

श्री सुमेर चन्द भट्ट : मैं चीफ मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि यह जो प्रथा काफी देर से चली आ रही है कि कुछ एक एरियाज को बैकवर्ड डिकलेयर करके उनकी स्पै ाल ट्रीटमैंट दिया जाता है क्या इस प्रथा को रिवाइज करने की सोचेंगे ? ऐसा करने से दूसरे इलाके पीछे रह जाते हैं जैसे हमारा अम्बाला जिला है उस तरफ कम ध्यान दिया जा रहा है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, किसी एरिया को बैकवर्ड डिकलेयर करने का नार्म भारत सरकार तय करती है और भारत सरकार के फैसले को हम इम्पलीमैंट करते हैं। जहां तक अम्बाला जिला का ताल्लुक है इसमें यमुना नगर, जगाधरी और अम्बाला में बहुत तादाद में उद्योग लगे हुए हैं। अगर भट्ट साहब को किसी इलाके के बारे में ि ाकायत है तो वे लिख कर भेज दें, हम विचार कर लेंगे।

Mr. Speaker : I think, some norms are laid down by the government for the recognition of a particular area as industrially backward. If ther are no such norms then I would request the Government to lay down some firm norms for declaring a particular area as industrially backward.

Opening of Arts-Colleges in the State

***1834. Swami Aditya Vesh :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the number of tehsils where there are no Government Arts Colleges in the State; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to open Government Arts Colleges in the tehsils referred to in part (a) above; if so, the time by which the said proposal is likely to be implemented?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) :

(क) 22

(ख) नहीं, समय नियत करने का प्र न उत्पन्न नहीं होता।

स्वामी आदित्यवे ा : अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि 22 तहसीलें ऐसी हैं जहां गवर्नमैंट आर्टस कालेज नहीं है तो क्या छठी पंच वर्शीय योजना के अन्तर्गत इन तहसीलों में कालेज खोलने का विचार है ?

श्री अध्यक्ष : क्वै चन डिस–अलाउड।

श्री हीरा नन्द आर्य : मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन 22 तहसीलों के अलावा कोई ऐसा सब–डिवीजन भी है जहां कोई कालेज नहीं है, अगर नहीं है तो क्या सरकार वहां पर कालेज खोलने में प्रियारिटी देगी ?

श्री चौधी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सरकारी कालेजों के बारे में पूछा था और मैंने जवाब दिया है कि 22 तहसीलों में सरकारी कालेज कोई नहीं है। प्राइवेज कालेज तो बहुत सी जगहों

पर है। जहां प्राइवेट कालेज भी न हो उसके बारे में ये लिख कर दे दें, हम एग्जामिन करवा लेंगे जहां कालेज खोलने की जरूरत होगी, खोल देंगे।

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, लोहारू सब–डिवीजन में कोई भी कालेज नहीं है। (ाोर)

Constituencywise Veterinary Dispensaries/Hospitals in the State

***1841 Shri Hira Nand Arya :** Will the Minister for Jails and Dairy Development be pleased to state-

(a) the constituency-wise number of veterinary dispensaries and veterinary hospitals opened in Haryana during the years 1979-80 and 1980-81 (todate) together with the criteria adopted therefore;

(b) whether priority is given to the Backward areas in the matter of opening of dispensaries/hospitals referred to in para (a);

(c) whether any dispensary or hospital has been opened at Loharu during the period referred to in part (a) above; if not, the reasons therefore; and

(d) whether the building of the veterinary hospital at Loharu is according to the required norms if not, the time by which it is likely to be constructed according to the norms fixed by the Government ?

जेल तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी ि ावराम वर्मा) :

(क) सूची सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं, क्योंकि लोहारू में पहले ही एक प ा चिकित्सालय कार्य कर रहा है।

(घ) जी नहीं, यद्यपि वर्तमान चिकित्सालय का भवन पर्याप्त नहीं है, लोहारू की पंयायत/नगरपालिका ने अभी तक नया भवन बनाने का प्रस्ताव नहीं किया है।

(चौधरी ि ावराम वर्मा)

सूची

वर्ष 1979–80 तथा 1980–81 (आज तक) निर्वाचन क्षेत्र अनुसार खोले गए प ा औशधालयों तथा अपग्रेड की गई संस्थाओं (प ा–औशधालय/प ाधन केन्द्रों) की सूची।

क्रम संख्या	चुनाव क्षेत्र	वर्श 1979–80 में खोले गए प ा औशधालयों	वर्श 1979–80 में प ा औशः/प ाधन केन्द्रों को अपग्रेड	वर्श 1980–81 में खोले गए प ा औशधालयों	वर्श 1980–81 में प ा औशधालय/प ाधन केन्द्रों को अपग्रेड

		की संख्या	करके पु चिकित्सालयों में बदलने की संख्या	की संख्या	करके पु चिकित्सालय में बदलने की संख्या
1	2	3	4	5	6

(1)	**जिला अम्बाला**				
1.	कालका				
2.	नारायणगढ़	1			
3.	सढ़ौरा				
4.	छछरौली				
5.	यमुना नगर				
6.	जगाधरी				
7.	मुलाना		1		
8.	अम्बाला छावनी	1			
	जोड़	2	1		

1	2	3	4	5	6

(2)	**जिला भिवानी**				
1.	भादरा			1	1
2.	दादरी	1	2		
3.	मुन्डालखुर्द				
4.	भिवानी				
5.	तो ाम				
6.	लोहारू				
7.	बवानी खेड़ा		1		
	जोड़	1	3	1	1

(3)	**जिला फरीदाबाद**				
1.	फरीदाबाद				
2.	मेवला महाराजपुर	1	1		

3.	बल्लभगढ़				
4.	पलवल				
5.	हसनपुर				
6.	हथीन			1	
	जोड़	1	1	1	

(4)	**जिला गुड़गांव**				
1.	फिरोजपुर झिरका			1	
2.	नूंह				
3.	तावडू	1			1
4.	सेहना				
5.	गुड़गांव				
6.	पटौदी				
	जोड़	1		1	1

1	2	3	4	5	6
(5)	**जिला हिसार**				
1.	नारनौंद	1			
2.	हांसी	1			
3.	भट्टू कलां	2	1	1	1
4.	हिसार	1			
5.	गिराए	1			
6.	टोहाना	1			
7.	रतीया	2		2	1
8.	फतेहाबाद	6		3	1
9.	आदमपुर	8	1	2	
10.	बरवाला			1	1
	जोड़	23	2	9	4
(6)	**जिला जींद**				
1.	कलायत			1	

2.	नरवाना	1			
3.	उचाना कलां				
4.	राजौन्द				
5.	जीन्द	1			
6.	जुलाना	2	2	1	
7.	सफीदों	2			
	जोड़	6	2	2	

1	2	3	4	5	6
(7)	**जिला करनाल**				
1.	इन्द्री	10		1	2
2.	नीलोखेड़ी	5	2	3	3
3.	करनाल			1	
4.	जुण्डला	5		1	
5.	घरौण्डा	1		1	2

6.	असन्ध		1		1
7.	पानीपत	1			
8.	सम्भालखा	1			1
9.	नौलथा	7			
	जोड़	30	3	7	9
(8)	**जिला कुरूक्षेत्र**				
1.	भााहबाद	2			1
2.	रादौर		1		
3.	थानेसर	2	1		
4.	पेहवा	2	1		
5.	गुहला				
6.	पुण्डरी	3	1	2	
7.	कैथल				
8.	पाई			2	1
	जोड़	9	4	4	2

1	2	3	4	5	6
(9)	**जिला महेन्द्रगढ़**				
1.	बावल	2			
2.	रिवाड़ी				
3.	जाटूसाना	1			
4.	महेन्द्रगढ़				
5.	अटेली			1	
6.	नारनौल				
	जोड़	3			

(10)	**जिला रोहतक**				
1.	हसनगढ़	1			
2.	किलोई				1
3.	रोहतक	1			

4.	महम	1	1	1	1
5.	कलानौर	1			
6.	बेरी				
7.	साहलावास	4			
8.	झज्जर	3		1	1
9.	बादली				
10.	बहादुरगढ़	1			
	जोड़	12	1	2	3

1	2	3	4	5	6
(11)	**जिला सोनीपत**				
1.	वरीदा	2			
2.	गोहाना	2			
3.	कलयाना	2			
4.	सोनीपत	1			

5.	राई				
6.	रोहट	1			
	जोड़	8			
(12)	**जिला सिरसा**				
1.	दरबाकलां		1		
2.	ऐलनाबाद		1		
3.	सिरसा				
4.	रोड़ी	2	1		
5.	डबवाली	2		1	
	जोड़	4	3	1	
कुल जोड़		**100**	**20**	**29**	**20**

आमतौर पर प ा औशधालय उस स्थान पर खोला जाता है, जहां पर प ा चिकित्सा सेवा उपलब्ध न हो। जैसे ही ग्राम पंचायत प्रस्ताव करती है कि वह औशधालय तथा स्टाफ के लिए बिना किराए के भवन उपलब्ध करेगी, विभाग वहां पर औशधालय खोलने पर विचार करता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत उचित समय में भवन बनाने का

आ वासन देती है। जहां पर औशधालय को चिकित्सालय में अपग्रेड किया जाता है, वहां पर ग्राम पंचायत को अतिरिक्त स्टाफ के लिए भवन उपलब्ध करना होता है।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में जरूर कहूंगा कि कहीं पर 10 सैटर्ज खोल दिये हैं और कहीं पर 7 खोल दिये हैं और कहीं पर कोई भी नहीं खोला।

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, स्टेटमैंट पढ़ने से पता चलता है कि एक दूसरे इलाके के साथ किस तरह से डिस्क्रिमिने ान की जाती है ? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि स्टौकमैन सैंटर्ज कांस्टीच्यूएंसी वाइज कितने कितने हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिये अलग से नोटिस चाहिए। अगर मिनिस्टर साहब के पास इन्फर्मे ान है तो दे सकते हैं।

चौधरी ि िव राम वर्मा : इसके लिये अलग से नोटिस देंगे तो जवाब दे दिया जाएगा।

चौधरी राम लाल वधवा : मन्त्री महोदय ने करनाल के बारे मे जो सूचना दी है उसमें इंदरी में 10, नीलोखेड़ी में 5 डिस्पैंसरीज खोली गई हैं लेकिन करनाल जो इतना बड़ा भाहर है उसमें एक भी नहीं खोली गई। क्या करनाल में इसलिये नहीं खोली गई कि पहले इस हाउस में ये मेरे लीडर रहे हैं?

चौधरी ि ाव राम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में इन्होंने जवाब को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। पहले कालम में हमने 1979–80 में खोली गई डिस्पैंसरीज का नम्बर दिया है, दूसरे में जो–जो सैंटर तथा डिस्पैंसरीज उसी वर्श में अपग्रेड किये हैं उनका नम्बर है और तीसरे में 1980–81 में जो डिस्पैंसरीज खोली गई है उनका नम्बर है। जहां तक करनाल का ताल्लुक है वह तो बड़ा भाहर है और वहां पर पहले से ही बहुत बड़ा हस्पताल है और रिसर्च सैंटर भी है यानी वहां पर तो पहले ही सारी सुविधाएं हैं।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : क्या मन्त्री जी बताने का कश्ट करेंगे कि इन डिस्पैंसरीज में कितने–कितने रुपये की दवाइयां दे रखी हैं ?

चौधरी ि ाव राम वर्मा : अगर दवाइयों के बारे में सवाल पूछा जाएगा तो जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : साहेबान, अब सवालों का समय समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Avenues of Promotion to the Employees of the Milk Plants in the State

***1829. Shri Ran Singh Mann :** Will the Minister for Co-operation be pleased to state-

(a) whether avenues of promotion for the employees of the Milk Plants in the State exist, if not, whether there is any proposal to provide the same, and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to give new pay-scale to the employees of Milk Plants referred to above on the pattern of other Government employees in the State ?

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह) :

(क) हां।

(ख) नहीं।

Veterinary and Stockmen Centres

***1864. Shri Gulzar Singh :** Will the Minister for Jails and Dairy Development be pleased to state the districtwise number of Veterinary Health Centres and Stockmen Centres opened during the year 1980-81 in the State ?

जेल तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी ि ाव राम वर्मा) : सूची सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूची

राज्य में वर्श 1980–81 में जिलावार खोले गए प ाु औशधालयों की सूची।

क्रम	जिला	प ाु

संख्या		औशधालय
1	2	3
1.	अम्बाला	
2.	भिवानी	1
3.	फरीदाबाद	1
4.	गुड़गांव	1
5.	हिसार	9
6.	जीन्द	2
7.	करनाल	7
8.	कुरूक्षेत्र	4
9.	महेन्द्रगढ़	1
10.	रोहतक	2
11.	सोनीपत	
12.	सिरसा	1
	कुल जोड़	29

प ाुधन केन्द्र '' ाून्य''

Recovery of instalments from share holders by M.I.T.C.

***1857. Shri Kanwal Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the time by which the Government proposes to start collecting instalments suspended earlier by **M.I.T.C.** from the shareholders; and

(b) whether such demands made on the Farmers will include deduction of 50% subsidy proposed by the Government?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (चौधरी मेहर सिंह राठी) :

(क) तुरन्त। हिस्सेदारों से सं ाोधित उगाही संबंधित हिदायतें जारी की जा चुकी है और सं ाोधित खतौनियां बना कर संबंधित राजस्व अधिकारियों को तुरन्त वसूली हेतु भेजी जा रही है।

(ख) जी हां।

Augmentation of Dhamtan Distributary

***1870. Shri Shamsher Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether a Minister of Haryana laid the foundation of a scheme for the augmentation of Dhamtan Distributary in Narwana Division in March, 1980;

(b) whether the government has sanctioned/approved the scheme referred to in part (a) above, if so, the details thereof;

(c) whether the funds have been earmarked/sanctioned for the said scheme; and

(d) if so, the time by which the said scheme is likely to be executed?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (चौधरी मेहर सिंह राठी) :

(ए) हां जी।

(बी) हां जी : रुपये 12 लाख की लागत पर।

(सी) कोई भी राि ा इस वि ोश स्कीम के लिये वर्श 1980–81 के लिये उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस कार्य को वर्श 1981–82 में टोकन ग्रांट के अधीन कार्यान्वित किया जायेगा।

(डी) यह स्कीम 30–06–1982 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

Metalled Road in Sirsa and Hissar.

***1876. Chaudhri Jagdish Kumar Beniwal :** Will the Miniser for Public Works (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to connect the villages, namely, Bondiwali to Ding by a metalled road in District Sirsa and Hissar, respectively; and

(b) if so, the time by which the above said proposal is likely to materialize?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह) :

(क) हां।

(ख) भूमि अभिग्रहण–कार्यवाही पूर्ण होने पर यदि धन उपलब्ध हुआ तो 6 मास के अन्तर्गत।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Construction of Chaupals

408 Shri Mool Chand Jain : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the total amount spent out of Government funds/grants for the construction of Harijan Chaupals in the State during the period from 1.7.1979 to 31.3.1980 and 1.4.1980 to-date ;

(b) the total number of new Chaupals constructed during the period from 1.7.1979 to date; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Chaupals in every village having a population of 100 or more Harijans; if so, the steps so far taken in this behalf ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (चौधरी मेहर सिंह राठी) :

(क) खर्च की गई रा ि । 1.7.1979 से 31.3.180 5695537. 00 रुपए

तथा 1.4.1980 से 10.12.1980 598725.00 रुपए

(ख) 735

(ग) नहीं

Training of Home Craft and Science

405. Chaudhri Sant Kanwar : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the number of girls who received training in Home Craft and Science in the State during the period from 1976 to 1980; and

(b) the total number of girls out of those referred to in part (a) above belonging to Haryana State?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) :

(ए) होम क्राफट तथा साईंस नामक कोई प्रि ाक्षण हरियाणा में नहीं चलाया जा रहा है। परन्तु जे0बी0टी0 (होम क्राफट) में जिन महिलाओं ने वर्श, 1976 से वर्श 1979 तक प्रि ाक्षण लिया है उनकी संख्या 5681 है। 2013 महिलाओं ने जे0बी0टी0 (होम क्राफट) की अंतिम वर्श की परीक्षा 1980 में दे रखी है परन्तु इसका परिणाम अभी घोशित नहीं हुआ है।

(बी) यह सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष द्वारा घोशणा–

सदस्यों की गिरफ्तारी सम्बंधी।

Mr. Speaker : Gentlemen, I have an announcement to make.

I have the honour to inform the House that intimation has been received from the Chief Magistrate, Chandigarh, (Union Territory) that Sarvshri Ajit Singh, Sant Kanwar and Ran Singh Mann, M.L.As. have been arrested under section 189 IPC on 16.12.1980 at 12.30 P.M. by the Chandigarh Police and they have been lodged at present in District Jail, Chandigarh. They have also been remanded to judicial Custody.

नियम 64 के अधीन मुख्य मंत्री को कालांवाली घटना के बारे में वक्तव्य देने की अनुमति देना

Mr. Speaker : Under Rule 64, the Hon. Chief Minister will now make a Statement on the Kalanwali incident, which I have admitted.

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, जो मैंने और डा0 साहब ने इस सम्बन्ध में एडजर्नमैंट मो ान दिया हुआ है आपने उसका क्या फैसला किया है ? (ाोर)

Mr. Speaker : I received a reply to that adjournment motion from the Government late yesterday. It is being considered by the office and will be put up to me. In the meanwhile, the Chief Minister will make the statement. I will examine the reply of the Government and take decision thereon today. (Interruptions)

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, उस मो ान को कंसिडर करते–करते आपको तीन दिन हो गए हैं और कल आपने यह भी कहा था कि मैंने गवर्नमैंट से कमैंट्स मांगे हैं और गवर्नमैंट ने उसका जवाब कल 12 बजे तक देने का वायदा किया था। (ाोर)

डा0 मंगल सैन : स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि मैंने और चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने आपके सामने एक बहुत डैफीनेट और इम्पोर्टैंट एडजर्नमैंट मो ान टेबल की थी, जो आपने पिछले तीन दिन से पैंडिग की हुई है। अब चीफ मिनिस्टर साहब रूल 64 के तहत एक स्टेटमैंट देना चाहते हैं जिसकी आपने वजह तौर पर इजाजत दे दी है। स्पीकर साहब, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनकी स्टेटमैंट के बाद जो बातें हम कहना चाहते हैं और जिन बातों की हमें भांकाएं हैं, जो बातें हमने वहां मौके पर देखी हैं, हमें उस पर यहां हाउस में डिस्क ान करने की इजाजत दी जाए। (ाोर एवं विध्न)

Mr. Speaker : All right, Dr. Sahib, please sit down. (Interruptions)

डा0 मंगल सैन : स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर की स्टेटमैंट के बाद उस एडजर्नमैंट मो ान का महत्व ही खत्म हो जाएगा। यदि आप इन्हें स्टेटमैंट देने की इजाजत देते हैं तो पहले आप उस एडजर्नमैंट मो ान को एडमिट कर लें। (ाोर)

श्री अध्यक्ष : जो आपने कालांवाली इन्सीडैंट के बारे में एडजर्नमैंट मो ान दी हुई है, उसके बारे में मैं आपको डे टू डे प्रोग्रैस बताता रहा हूं।

I had asked the Government to send me their comments. The comments were received, but I was not satisfied. I therefore, referred the matter back to the Government. और गवर्नमैंट ने कल 12 बजे तक अपने कमैंट्स देने का मेरे से वायदा किया था लेकिन 11.45 बजे मेरे पास होम सक्रेटरी का टेलीफोन आया कि हम अभी मैटीरियल इकट्ठा नहीं कर सके हैं इसलिए आप हमें इस बारे में कुछ एक्सटैं ान दीजिए। I extended the time limit and the reply was received yesterday some time in the afternoon I have forgotten the time. मेरे आफिस ने उसको प्रोसैस करके कल रात को मुझे पुट–अप किया है। मैं उसको एग्जामिन कर रहा हूं। I will give my decision on it after examination.

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। रूल 64 के तहत आपने चीफ मिनिस्टर साहब को अपनी स्टेटमैंट देने के लिए वजह तौर पर इजाजत दी है और आप इजाजत दे सकते हैं। क्या यह बैटर नहीं है कि चीफ मिनिस्टर की स्टेटमैंट के साथ–साथ उस एडजर्नमैंट मो ान को भी डिस्कस कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, बैटर क्या चीज होती है और क्या नहीं होती, इस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जैसे–जैसे मेरे सामने मामला आता है, मैं उस पर अपना फैसला करता रहता हूं। मैं रूल्ज के अनुसार फैसला करता हूं। अभी उस एडजर्नमैंट मो ान पर मैंने फैसला नहीं किया है। A doubt has arisen whether the matter is sub-judice or not ? (Interruption

Dr. Mangal Sein : Sir, the matter is not sub-judice.

Shri Verender Singh : The matter is not sub-judice.

Mr. Speaker : Till I am absolutely convinced whether the matter is sub-judice or not, I will not give any decision on it.

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, आप हमें अपने चैम्बर में बुलाकर इस बारे में बातचीत कर लें (ाोर एवं विध्न)

श्री अध्यक्ष : यदि मैं किसी माननीय सदस्य को अपने चैम्बर में आने से डिसअलाऊ करता हूं तो I am sorry. I never refused any Hon'ble member to come to my Chamber.

Shri Verender Singh : That is not my point. You never disallowed anybody to come to your Chamber. You kindly call us to discuss this matter.

Mr. Speaker : TheLeader of the Opposition has been discussing this matter with me. I will certainly discuss this matter with you also.

औचित्य प्र न–

मुख्य मंत्री को नियम 64 के अधीन कालांवाली घटना पर प्रस्तावित वक्तव्य देने की अनुमति देने सम्बन्धी।

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि कोई भी ऐसी मो ान जोकि पहले से हाउस में है और उस पर अभी निर्णय पैंडिग हो, क्या उस पर चर्चा की एंटीसिपे ान में मुख्य मन्त्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकता है? उस तरह की मो ान कोई भी मैम्बर, चाहे वह अपोजी ान का हो या ट्रेजरी बैंचिज का हो, हाउस में

नहीं ला सकता और यदि कोई मैम्बर उस तरह की मो ान हाउस में लाना चाहे तो एंटीसिपेटरी होने के कारण उसे नामन्जूर करना चाहिए। इस संबंध में मैं आपका ध्यान रूल 85 की तरफ दिलाना चाहता हूं। रूल 85 यह कहता है कि–

"No member shall anticipate the discussion of any subject of which notice has been given, provided that in determining whether a discussion is out of order on the ground of anticipation, regard shall be had by the Speaker to probability of the matter anticipated being brought before the Assembly within a reasonable time."

तो स्पीकर साहब कालांवाली ट्रैजडी के बारे में दो मो ांज आपके अंडर–कंसिड्रे ान है। एक मो ान के बारे में तो अभी–अभी मेरे दो दोस्तों ने कहा है। मेरी भी एक मो ान रूल 84 के तहत और एक एडजर्नमैंट मो ान भी उसी विशय पर है। उन पर भी आपने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया है। स्पीकर साहब, वे दोनों की दोनों मो ांज गवर्नमैंट को रैफर हुई हैं और गवर्नमैंट ने उन दोनों मो ांज को बाई पास करके डिस्क ान को एन्टीसिपेट कर दिया है। अब चीफ मिनिस्टर साहब रूल 64 का आसरा ले कर और आपकी इजाजत ले कर अपनी स्टेटमैंट हाउस में देना चाहते हैं जोकि एन्टीसिपेटरी स्टेटमैंट होगी। क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब उस बात का फायदा उठाना चाहते हैं जिस बात का फायदा उन्हें रूल 64 देता है। यदि आप उनको स्टेटमैंट देने की इजाजत देंगे तो मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि यह हाउस के साथ बहुत अन्याय होगा। रूल्ज आफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट आफ बिजनैस,

चीफ मिनिस्टर साहब को एन्टीसिपेटरी स्टेटमैंट देने की इजाजत नहीं देता। स्पीकर साहब, यदि आप चीफ मिनिस्टर साहब को स्टेटमैंट देने की इजाजत नहीं देंगे तो हमें उनसे इस बारे में कुछ पूछने का अधिकार है। यदि आप उन्हें रूल 64 के तहत स्टेटमैंट देने की इजाजत देंगे तो हम उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकते। इसलिए मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि जो आपने उनको स्टेटमैंट देने की इजाजत दी है, क्या यह जस्टीफाइड है ? आप उसको विदड्रा करें।

Mr. Speaker : Gentlemen in admitting the statement by the Chief Minister under rule 64, I have not set up any new precedent. There is no doubt that Kalanwali tragedy has been a very serious one..... (Interruptions).

Let me finish first. In the Centre too, on a number of occasions रेल के बड़े–बड़े एक्सीडैंट्स हुए जिनमें बहुत लोग मरे। इसके अलावा भाराब से भी काफी ट्रैज्डज हुई हैं उनमें भी काफी आदमी मरे हैं। (ाोर)

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, आपने वजह फरमाया है लेकिन सरकारी भाराब के ठेके से आज तक कभी कोई ऐसी ट्रेज्डी नहीं हुई है। वह ठेका लाइसैंस भाुदा ठेका है। (ाोर)

श्री अध्यक्ष : जब ऐसे इन्सीडैंट्स हुए, उनका मैंने रिकार्ड चैक किया है।

The Minister incharge or even the Prime Minister has made a statement before the House regarding those very tragic incidents which occurred. So there is nothing new which is being

done now as far as the point raised by Shri Mool Chand Jain under regarding anticipating discussion is concerned, this is not a discussion which eliminates the next discussiont. This will be a statement by the Government and under no rule. I can prevent the statement being made (Interruptions).

It is my discretion. I do not find any sufficient ground on which I can stop the Minister from making a statement on a serious matter like this. As far as the question of anticipation goes, I can say that I will examine the adjournment motions on tis own merits and this statement will not have any influence on my decision.

स्वामी आदित्यवे ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि बाबू मूल चन्द जैन जी मिनिस्टर और मैम्बर में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। इस नियम का मतलब तो यह है कि एक मैम्बर डिस्क ान ऐंटिसिपेट नहीं कर सकता। एक मंत्री स्टेटमैंट दे सकता है। (विध्न)

अध्यक्ष द्वारा रूलिंग–

स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर निर्णय आरक्षित रखने सम्बन्धी

श्रीमति सुशमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर एक प्रोसीजरल व्यवस्था को लेकर है जिसके बारे में थोड़ा सा जिक्र मैंने कल भी किया था। एडजर्नमैंट मो ान पर आपकी रूलिंग अभी तक पैंडिंग है।

श्री अध्यक्ष : आपने कल जो प्वायंट रेज किया था उस पर रूलिंग मैंने कल ही दे दी थी।

श्रीमति सुशमा स्वराज : कल आने रूलिंग नहीं दी। (विध्न) स्पीकर साहब, मैं किसी स्पैसिफिक ऐडजर्नमैंट मो ान की बात नहीं कर रही हूं मैं तो ऐडजर्नमैंट मो ान के बारे में एक जनरल प्रोसीजरल प्वांयट आफ आर्डर उठा रही हूं। स्पीकर साहब, मैंने कल भी यह कहा था कि रूल 67 और 69 में ऐडजर्नमैंट मो ान को ऐडमिट करने और मूव करने के लिए स्पैसिफिक प्रोवीजन है। रूल 67 यह कहता है जिस दिन हमने ऐडजर्नमैंट मो ान देनी है या देना चाहते हैं उस दिन हाउस की सीटिंग भ्रारू होने के एक या डेढ़ घंटा पहले आपको सूचना दी जाएगी और रूल 69 आपके ऊपर यह बाइंडिंग करता है कि क्वै चन आवर समाप्त होने के बाद और लिस्ट आफ बिजनेस भ्रारू होने से पहले आपको रूलिंग देनी है। अगर आप अपनी सहमति देते हैं तो इसी दौरान आपको उस आदमी को बुलाना है जिसने नोटिस दिया है। (विध्न) स्पीकर साहब, उस सदस्य को अपने उसी समय बुलाना है लेकिन एक नई व्यवस्था पिछले तीन दिनों से मैं यहां देख रही हूं। एक ऐडजर्नमैंट मो ान डा0 मंगल सैन और वीरेन्द्र सिंह जी का आज तक पैंडिंग है। कल स्वामी अग्निवे ा जी ने सभा भ्रारू होने से करीब दो घंटे पहले आपके पास एक ऐडजर्नमैंट मो ान भेजा लेकिन उसकी रूलिंग भी पैंडिंग है। आपने कल कहा था कि दोनों रूलिंग् मो ांज ऐग्जामिन करके आप आज देंगे लेकिन वे अभी तक नहीं आई। इसलिए स्पीकर साहब, मेरा छोटा सा प्वांयट आफ आर्डर यह है कि आप हाउस को बता दीजिए कि क्या ऐडजर्नमैंट मो ान ऐडमिट करनी है या नहीं करनी है और क्या इसकी रूलिंग आप पैंडिंग रख सकते हैं। रूल 69 के तहत आपके ऊपर मैनडेटरी है कि उसी दिन क्वै चन आवर समाप्त

होने के बाद और लिस्ट आफ बिजनैस भुरू होने से पहले इसका निर्णय आपको देना है।

Mr. Speaker : The rule lays down that the Speaker will give his ruling. I have given my ruling. The ruling of the speaker can be-

(1) admitted,

(2) disallowed, and

(3) ruling reserved.

In either of these three forms the speaker can give his ruling. In the cse of various motions received and put up to me, I havegiven my rulings depending upon the merits of each case. In some cases, I have allowed the motions, in others disallowed them and in some cases I have reserved my ruling. Revervation of ruling is as much a ruling as nay other ruling. The point of order is over ruled.

श्री हीरा नन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर यह है कि क्या रूल्ज के मुताबिक ऐडजर्नमैंट मो ान के सम्बन्ध में सारा बिजनैस खत्म होने तक आपको अपनी रूलिंग रिजर्व रखने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष : अगर उसके सम्बन्ध में सारा रैलेवैन्ट मैटीरियल आ जाता है तब तो उस पर डिसिजन लेना चाहिए। अगर कोई रैलेवैन्ट मैटीरियल रह जाता है तब तो जब तक मैटीरियल न आ जाए तब रूलिंग रिजर्व रहेगी।

श्री हीरा नन्द आर्य : फिर तो ऐडजर्नमैंट मो ान का महत्व ही खत्म हो जाता है।

Mr. Speaker : No further discussion on this now. (Interruptions) Further points, if any, can be dealt with later on.

औचित्य प्र न (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Now I would request the Hon. Chief Minister to make a statement under Rule 64.

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। मुझे भी कुछ कहने के लिए थोड़ा सा टाईम दें (ाोर)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अखबारों में नाम आ जाएगा, अब आप बैठ जाइए। (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह : हम चीफ मिनिस्टर को ऐसे नहीं सुनेंगे। बिल्कुल नहीं सुनेंगे। (ाोर)

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : जिस चीफ मिनिस्टर के समय में सौ आदमियों की हत्या हुई हो, सौ औरतें विधवा हुई हों और सौ बहनों को भाइयों से जुदा किया गया हो, ऐसे चीफ मिनिस्टर को हम नहीं सुनेंगे। (ाोर)

चौधरी गंगा राम : हम कालांवाली के काले कारनामों को डिस्कस करना चाहते हैं। (ाोर)

कामरेड भांकर लाल : हम क्या चाहते हैं 'कालांवाली कांड पर बहस'। (ाोर)

चौधरी भजन लाल : आप सुनने की कृपा करें, आपकी पूरी तसल्ली हो जाएगी।

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, मैं निहायत अदब के साथ रूल 64 का हवाला देना चाहता हूं। रूल 82 अगेन्सट ऐंटिसिपे ान आफ डिस्क ान के संबंध में है। ऐंटिसिपे ान आफ डिसक ान के प्वांयट पर मैंने कौल ऐंड भाकघर की किताब भी पढ़ी है। बार–बार इसमें जिक्र आया है कि अगर एक मैम्बर डिस्क ान को ऐंटिसिपेट करने की कोि ा ा करता है तो उसे इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। (विघ्न) स्पीकर साहब, रूल 82 में जो प्रोवीजन है, उसे मैं पढ़ कर सुनाता हूं–

"A motion or amendment must not anticipate a matter already appointed for consideration of the Assembly....." (Noise & Interruptions).

रूल्ज में कितना रिपिटिडली ऐंटिसिपे ान का जिक्र आया है! यह एक होि ायारी है कि हम तो ऐडजर्नमैंट मो ान दें, और ये रूल 64 के तहत यहां पर स्टेटमैंट दें। अगर इन्होंने स्टेटमैंट देनी ही थी तो पहले दे देते। कालांवाली वाक्या 2 दिसम्बर को हुआ था। दो दिसम्बर से लोग मरने लगे थे। तीन दिसम्बर को भी लोग मरे और बाद में भी मरे। 15 तारीख से यह हाउस बैठा है। उस दिन भी ये स्टेटमैंट दे

सकते थे। (विघ्न) जब हमने ऐडजर्नमैंट मो ान दे दी तब स्टेटमैंट देने लगे हैं। पता नहीं, ये क्यों उन मो ान्ज को रिजिस्ट कर रहे हैं ?

Mr. Speaker : I would like to know as to where it is laid down that the admission of the statement by the Chief Minister debars the admission of the adjournment motion.

Shri Verender Singh : Ruule 64 is quite clear. It will eliminate further discussion.

Mr. Speaker : There will be no discussion on that statement at the time the statement is made. Kindly go through Rule 64.

कामरेड भांकर लाल : बंद करो हाउस की कार्यवाही। पहले कालांवाली कांड के ऊपर डिस्क ान होनी चाहिए। (ाोर) हम चीफ मिनिस्टर को बोलने नहीं देंगे। (ाोर)

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, एक बाया–मीडिया हो सकता है। रूल 64 में लिखा है–

"A statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the permission of the Speaker but no question shall be asked nor discussion take place thereon at the time the statement is made.....

आज तो आप डिस्क ान की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि आज स्टेटमैंट दी जा रही है। अगर कल हम इसके लिए एक रैगुलर मो ान ले आयें और आप हमें उसकी इजाजत दे दे ंतो हम आब्जैक ान विदड्रा कर सकते हैं और यह मामला चल सकता है। (ाोर)

Mr. Speaker : According to Rule, Jain Sahib, I do not see where it says that discussion is allowed on a statement by a Minister.

श्री मूल चन्द जैन : कोल एण्ड भाकधर की किताब के पेज 338 और 339 पर लिखा है–उसी समय तो इजाजत नहीं दी जा सकती लेकिन बाद में यदि स्पीकर साहब इजाजत दें तो डिस्क ान हो सकती है। अगर आप बाद में हमें इजाजत दे दे ंतो यह मामला हल हो सकता है।

Mr. Speaker : Jain Sahib, I agree with you that the rule says that no discussion shall take plac at the time the statement is made but does it imply that discussion can be allowed in future ?

श्री मूल चन्द जैन : सब–जुडिस के मामले में तो आप इजाजत न दें लेकिन जनरली कैसे बार कर सकते हैं। अगर डिस्क ान में कोई ऐसा प्वायंट कहें जिसमें कोर्ट का जिक्र आये या कोई सब–जुडिस मामले के बारे में बात हो तो आप उसको डिस–अलाऊ करें वरना आप कैसे डिस–अलाऊ कर सकते हैं ?

Mr. Speaker : I cannot give my ruling at present. I can only examine the question.

चौधरी उदय सिंह दलाल : स्पीकर साहब, अगर अदालत में मामला है तो मुख्य मन्त्री जी कैसे जवाब देंगे ? (ाोर एवं विध्न)

Mr. Speaker : If it is proved or I find that the matter is sub-judice, I cannot allow the discussion. Supposing I give a ruling that I allow the discussion and subsequently I find that the matter

is sub-judice, then what would be the postion? Discussion cannot be allowed on a matter, which is sub-judice.

चौधरी राम लाल वधवा : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, प्र न यह नहीं है कि वह स्टेटमैंट विद–होल्ड की जाये या नहीं। लेकिन रूल्ज आफ प्रोसीजर का अगर कोई और रूल, रूल 64 को कन्ट्राविन करता है तो क्या इस रूल के तहत स्टेटमैंट देने की इजाजत दी जा सकती है, इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं ?

Mr. Speaker : So far as my ruling on the Chief Minister's making a statement is concerned, I have already given my ruling and that ruling cannot be challenged.

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : अगर आप मेरी रूलिंग को चैलेन्ज करेंगे तो मैं इस प्वांयट आफ आर्डर को अलाऊ नहीं करूंगा।

चौधरी राम लाल वधवा : मैं आपकी रूलिंग को चैलेन्ज नहीं कर रहा। मैं तो आपका ध्यान दिला रहा हूं कि आपने स्वयं यह कहा है कि गवर्नमैंट पूरा मैटीरियल इकट्ठा नहीं कर सकी है। दूसरी बात आपने यह फरमायी कि यह अभी क्लीयर नहीं हुआ कि मैटर सब–जुडिस है या नहीं। अगर मैटर सब–जुडिस है और मैटीरियल भी इकट्ठा नहीं हुआ तो उसी इन्सीडैंट के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब के पास कहां से मैटीरियल आ गया जो वे स्टेटमैंट देना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर मैटर सब–जुडिस है तो उसी इनसिडैन्ट पर चीफ मिनिस्टर

द्वारा स्टेटमैंट भी नहीं दी जा सकती। अगर इन हालात में ऐडजर्नमैंट मो ान का फैसला नहीं हुआ है तो इस पर भी मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा। मैं यह भी रिक्वैस्ट करूंगा कि इस मामले को आपसिम्पेथैटिकली कन्सिडर करें क्योंकि यह रूल्ज आफ प्रोसीजर का मामला है। आपकी रूलिंग आने के बाद हमे ाा के लिए वह एक प्रैसीडेन्ट बन जायेगा। ऐडजर्नमैंट मो ान सब से महत्वपूर्ण मामले के बारे में होती है जिसके लिए सारे हाउस की कार्यवाही रोक दी जाती है। मिनिस्टर जो स्टेटमैंट देना चाहता हो, यदि उसका सबजैक्ट ऐसा हो जिसके बारे में ऐडजर्नमैंट मो ान पैंडिंग हो, तो क्या ऐसी स्टेटमैंट देने की इजाजत दी जा सकती है जब तक ऐडजर्नमैंट मो ान डिस्पोज आफ न हो जाये। इन सब चीजों के बारे में मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

Mr. Speaker : As far as the question of the matter being sub-judice is concerned I will examine it when full facts are before me. As far as the question of the Chief Minister's making a statement on factual matters is concerned कि वहां पर क्या हुआ और इन्होंने क्या कार्यवाही की and what they propose to do or what action they propose to take, I feel that does not in any way pre-judice any thing that may be. In order to assuage the feelings of the people at large, I think that it is only right that the Chief Minister of the State should make a statement on the tragic incident that has taken place.

श्री हीरा नन्द आर्य : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, आपने जो भी रूलिंग दी है उसके बारे में गुजारि ा करना

चाहता हूं। काम रोको प्रस्ताव के बारे में मैंने सारे रूल्ज आफ प्रोसिजर की किताब को पढ़ा है लेकिन इसमें कहीं भी यह प्रोविजन नहीं है कि सदन का काम पूरा हो जाने के बाद काम रोको प्रस्ताव का फैसला किया जाये यानी रूलिंग दी जाये। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा।

श्री अध्यक्ष : यह कोई प्वांयट आफ आर्डर नहीं है। यह तो आप अपने एक्सपीरियैन्स की बात कर रहे हैं कि आपने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा होगा।

श्री हीरा नन्द आर्य : मैंने यह कहा है कि रूल्ज आफ प्रोसिजर में कहीं ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : रूल्ज इस बारे में सायलैन्ट हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य : रूल्ज सायलैन्ट नहीं है बल्कि क्लीयर हैं वरना काम रोको प्रस्ताव का उद्दे य ही खत्म हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि मैंने स्टडी किया, पार्लियामैंट में भी ऐसी प्रैक्टिस है कि जब भी कोई रेल एक्सीडेंट हो जायें या कोई ऐसी ट्रैजिक घटना हो जाये तो उस पर प्राईस मिनिस्टर या सम्बन्धित मिनिस्टर स्टेटमैंट देता है।

श्री हीरा नन्द आर्य : इसमें और उसमें बहुत अन्तर है क्योंकि इस ऐडजर्नमैंट मो ान पर मुख्य मन्त्री ब्यान देना चाहते हैं।

श्रीमति सुशमा स्वराज : हम ऐडजर्नमैंट मो ान द्वारा यही जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या हुआ और सरकार ने क्या एक ान लिया ?

Mr. Speaker : I have already given my ruling on these points.

Smt. Sushma Swaraj : Speaker, Sir, you cannot reserve your ruling on the adjournment motion.

Local Government Minister (Chaudhari Khurshid Ahmed) : Speaker, Sir, I may reder to the Rules of Procedure of the House. First of all, I would refer to Chapter 12 of the Rules which concerns the statements and personal explanations, under which rule 64 relates to the statement to be made by a Minister. The motion for adjournment on a matter of public importance is covered under Chapter 14. There is another Chapter 16 relating to general rules of procedure, under which rule 82 says "A motion or amendment must not anticipate a matter already appointed for consideration of the Assembly ..." It does not say that the statement by a Minister must not anticipate any matter. This rule stands nowhere empowered to overrule anything which is mentioned in rule 64. Therefore, I would humbly submit that these two different matters, namely statement by a Minister and the adjournment motion are covered under two different chapters and as such cannot be linked with each other.

Mr. Speaker : Rule 82 states that a motion or amendment must not anticipate a matter already appointed for consideration of the Assembly. It does not say that a statement by a Minister under rule 64 may be disallowed on ground of anticipation.

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपको इजाजत है। आप जो कहना चाहते हैं कहें।

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि रूल 82 जो कि अगेन्स्ट एन्टीस्पे ान है, वह इस प्रकार है :

"A motion or amendment must not anticipate a matter already appointed for consideration of the Assembly and in determining whether a motion is out of order on the ground of anticipation, the Speaker must have regard to the probability of the matter anticipated being brought before the Assembly within a reasonable time."

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो स्टेटमैंट मुख्य मन्त्री देने जा रहे हैं वह गलत है (ाोर) जिस रूल का हवाला अभी मैंने दिया है इसके अनुसार The word 'statement' does include the word 'matter'.

Mr. Speaker : In any case, as far as the rule regarding anticipating discussion is concerned, I have already given my ruling that the statement will not in any way prejudice my decision on the adournment motions.

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, लोक सभा में भी ऐसा कोई प्रैसीडेन्ट नहीं है कि जो मो ान..... (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I think, I have allowed sufficient time for discussion on the number of points of order raised on this matter.

श्री जय नारायण वर्मा : स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। कालांवाली का मामला बहुत ही इम्पोर्टैंट मामला है और इसके लिए एडजर्नमैंट मो ान भी आया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से यह कहा गया है कि इस संबंध में अभी मैटीरियल इकट्ठा किया जा रहा है और दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर साहब स्टेटमैंट देने के लिए कह रहे हैं। तो स्पीकर साहब चीफ मिनिस्टर साहब के पास स्टेटमैंट देने के लिए मैटीरियल कहां से आ गया है। (ाोर) यह बताया जा रहा है कि मैटीरियल इकट्ठा किया जा रहा है और इस वजह से आप को भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस तरह तो स्पीकर साहब सदन की मान हानि हो रही है। (ाोर)

श्री अध्यक्ष : यह कोई प्वांयट आफ आर्डर नहीं है। (ाोर) Please take your seat.

स्वामी अग्निवे ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न है। अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो एडजर्नमैंट मो ान, काम रोको प्रस्ताव है..... (ाोर व व्यवधान)

उप श्रम मंत्री (चौधरी लाल सिंह) : सरकार ने किस को भाराब पीने के लिए कहा था ?

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, यह बड़ी भोमफुल बात है। सरकार इन ठेकों से प्रति वर्श 30 करोड़ रुपये के करीब कमाती है। (ाोर व व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : आपकी पार्टी के लीडर साहब बोलने के लिए खड़े हुए हैं इसलिए कम से कम आप इन्हें तो बोल लेने दीजिए। (ाोर)

नेमिंग आफ मैम्बर

स्वामी अग्निवे ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही संचालन के अन्तर्गत कल आपको एक काम रोको प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : स्वामी जी आपने किस विशय में काम रोको प्रस्ताव दिया था ?

स्वामी अग्निवे ा : स्पीकर साहब, मैंने अपना एडजर्नमैंट मो ान अन्धों पर लाठियां चलाने और उनके साथ अत्याचार किये जाने के संबंध में दिया था। (ाोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि वे सब की बातें ध्यान से सुनें फिर वे अपनी बात कर लें। (ाोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न यह है कि एडजर्नमैंट मो ान यानी काम रोको प्रस्ताव जिस दिन दिया जाता है, उस पर रूलिंग भी उसी दि नदी जानी होती है। उस काम रोको प्रस्ताव पर रूलिंग रिजर्व नहीं की जाती (ाोर)। काम रोको प्रसताव पर दो तीन दिन तक रूलिंग रिजर्व रखना मैं समझता हूं उचित नहीं। (ाोर)

श्री अध्यक्ष : स्वामी जी, ब्लाइन्डज के ऊपर लाठी चलाने के बारे में जो आपकी मो ान आई थी, वह मैंने रिजैक्ट कर दी है। वह

इस बिनाह पर रिजैक्ट की है कि यह वाका हरियाणा से बाहर हुआ था यानी चण्डीगढ़ टैरेटरी में हुआ था जिसके लिए हरियाणा गवर्नमैंट रिस्पांसिबल नहीं है। Beside the matter relates to the ordinary administration of law. यदि इसकी सूचना आपके पास अब तक नहीं पहुंची है तो इस का यही कारण हो सकता है जैसे आप भी देख रहे हैं कि हरियाणा विधान सभा में दो तीन दिन से बहुत काम आ रहा है रोजाना 5 के करीब क्वै चंज तथा कई दूसरी मो ांज आ रही हैं इस कारण से भाायद आपको यह सूचना नहीं दी जा सकी होगी। (ाोर)

चौधरी रिज़क राम जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

स्वामी अग्निवे ा : मैंने अभी अपना निवेदन पूरा नहीं किया, मेरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात आ गई है। आप कृपया बैठें।

स्वामी अग्निवे ा : अध्यक्ष महोदय, आपने जो रूलिंग रिजर्व की हुई है, उसका अधिकार आपको किस धारा के अन्तर्गत है ?

श्री अध्यक्ष : वह मैं आपको बता दूंगा ?

स्वामी अग्निवे ा : कब ?

श्री अध्यक्ष : बाद में।

स्वामी अग्निवे ा : नहीं जी, आपको अभी बताना पड़ेगा, नहीं तो हम कार्यवाही नहीं चलने देंगे। (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : You can not order the Chair. I have reserved my ruling. Please take your seat.

स्वामी अग्निवे ा : नहीं जी, आपको अभी बताना पड़ेगा। ..... (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I name Swami Agrivesh. (Interruptions & Noise) You can not challenge the Chair.

Smt. Sushma Swaraj : This is very unfair on your part, Sir, (Noise)

Mr. Speaker : Please take your seat. I would request Swami Agnivesh to please withdraw from the House. (Noise)

(Swami Agnivesh did not withdraw from the House).

Mr. Speaker : Remove him from the House.

(At this stage, the Serjeant-at-Arms went to the seat of the hon. Member, Swami Agnivesh who continued standing in his seat surrounded by several other members of opposition).

चौधरी संत कवर : यह तरीका गलत है। (ाोर एवं व्यवधान)

बैठक का निलम्बन (सस्पैन ान)

श्रीमति सुशमा स्वराज : इतनी देर से यहां पर हंगामा हो रहा है। कौन सी बात स्वामी अग्निवे ा ने ऐसी कह दी जिस वहज से उन्हें नेम करना पड़ा ? (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I adjourn the house for half an hour.

(The Sabha then adjourned and re-assembled at a.m.).

स्वामी अग्निवे ा को सदन में वापिस आने की अनुमति देना

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, कालांवाली कांड के बारे में अभी अपोजी ान ने भाोर गुल किया था। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनको आध घंटा उस मामले पर बोलने की इजाजत दे दें। हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये आधा घंटा बोल लें और उसके बाद मैं जवाब दे दूंगा।

डा मंगल सैन : अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ समय पहले कुछ अनप्लेजनट मूड सा बन गया था और आप भी थोड़ा सा खफा हो गए थे और हमारे एक माननीय सदस्य को नेम किया गया तथा बाद में उसे हाउस से विदड करना पड़ा.....

श्री अध्यक्षः मै तो ऐडजर्न करके चला गया था अगर मै खफा होता तो यहां बैठा रहता।

डा मंगल सैन : आपको इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर वि ाालता दिखानी चाहिए। मेरी गुजारि ा यह है कि उस माननीय सदस्य को वापिस बुला लेना चाहिए।

श्री मुल चन्द जैनः मेरी भी यही रिक्वैस्ट है कि स्वामी जी को बुला लिया जाए।

चौधरी भजन लालः बुला लें।

श्री अध्यक्षः ठीक है, स्वामी जी को बुला लिया जाए।

(इस समय स्वामी अग्निवे ा सदन मे वापिस आ गए।)

नियम 84 के अधीन कालावाली घटना पर चर्चा की अनुमति देना

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैने अभी कहा था, कालावाली कांड के बारे मे आप अपोजी ान को आधा घंटा बोलने की इजाजत दे दें। उसके बाद मै जवाब दे दूंगा।

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस ने जो प्रस्ताव रखा है वह बडा़ ठीक है। उन्होने ठीक ही सोचा हैं। आपने हमे चैम्बर मे बुलाया था, जो एक घंटे का समय आपने फरमाया था, हम उससे ऐग्री करते है और इधर से हम अपने आपकों उस समय मे सीमित रखेंगें। हमारा किसी पर कीचड़ उछालने का कोई मकसद नही है। जो यह एक बड़ी भारी ट्रेजरी हुई है इसका हमें बड़ा रंज है और हमें पता है कि उनको भी रंज होगा। हमारा जो मो ान है उसके बारे मे आप फैसला कर लेना।

Mr. Speaker: I Must Congratulate the Chief Minister for showing such a co-operative attitude. I must also congratulate the opposition for showing such a grace in amicably shorting out the Matter. There was a doubt in my mind that once an FIR has been lodge. और उसकी कापी कोर्ट मे चली जाती है तो मैटर सक जुडिस होता है या नही I have exmined this matter, consulted various authorities and taken their advice and I am convinced that a matter becomes sub judice only after a challan is prisented. अब मेरा मांइड क्लीयर हो गया है कि मामला सब जुडिस नही है इसलिए इस

मामले पर एक घंटा डिस्क ान के लिए अलाड करता हूं। मै मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि डिस्क ान के बाद वे स्टेटमैंट दे। Now I would like to take the guidance of teh House कि मैटर अब टेकअप किया जाए या हाउस की कार्यवाही खत्म होने के बाद।

आवाजें: हाउस की कार्यवाही खत्म होने के बाद।

Mr. Speaker: All right this matter will be taken up todya immediately after the conclusion of teh business entered in teh list of Business.

हरियाणा के स्टूडैंट्स आदि पर चण्डीगढ़ पुलिस द्वारा अत्याचार किये जाने बारे में चर्चा उठाने की मांग

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, आपने सदन को सूचित किया था कि तीन विधायक विधार्थियों के जलूस के सिलसिल मे गिरफ्तार किए गए है। अध्यक्ष महोदय, हमने उनको छुड़ाने के लिए एक एडजर्नमैंट मो ान भी दिया था। स्पीकर साहब, मै कहना चाहता हूं कि हिसार और रोहतक मे विधार्थियो पर लाठी चार्ज किया गया है, उन पर बहुत जुल्म किए गए है और उासी सम्बन्ध मे तीन विधायकों की कल गिरफ्तारी हुई है। इस सम्बन्ध मे हमे रूल 84 के तहत डिस्क ान की इजाजत दी जाए और सरकार ब्यान दे।

श्री मूल चन्द जैन: अध्यक्ष महोदय, मैने आपको रूल 84 के अन्डर विधार्थियों के बारे मे मो ान दिया था। वह आपने डिसअलाउ कर दिया था। आज सवेरे ही मैने रिव्यू के लिए आपको लिखा हैं। आप

कृपा करके अपनी उस रूलिंग को रिव्यू करें। आप सारा मैटर फिर स्टडी कर लें और उसके हिसाब से अपना डिसिजन दे दें।

Mr. Speaker: As far as the student agitation in Hissar and Rohtak is concerned, I have already given my ruling and disallowed that notice of motion on the ground that strikes, facts, demonstrations and lockout cannot form the subject matter of a notice of motion in the House. जैन साहब ने कहा है कि मैने आपको रिव्यू के लिए लिखा हैं, मै उसको एग्जामिन करूंगा और मै अपना डिसीजन दे दूंगा।

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, अभी अभी मुझे आपके कार्यालय से पत्र मिला है जिसमे एडजर्नमैंट मो ान के बारे मे सूचना दी गई है।

श्री अध्यक्ष: अगर स्टाफ की तरफ से जवाब भेजने मे देरी हो गई है तो I am sorry for that and you will also appriciate that we are pulling on with the limited staff. कम से कम इन दो दिनों मे पचास मो ांज आए है। इसलिए देरी भी हो सकती है। विधान सभा का स्टाफ बहुत लिमिटिड है और मै बार बार विधान सभा का स्टाफ बढ़ानें के लिए रिक्वैस्ट करता हूं लेकिन उतना स्टाफ नही मिल पाता है।

स्वामी अग्निवे ा: मै देरी के लिए नही कह रहा हूं। देरी तो हो सकती हैं। मै तो यह कहने जा रहा हूं कि आपने मुझे कल भी बताया था और आज लिखित रूप आया है कि मामला यू.टी. पुलिस के जुरिसडिक ान मे है इसलिए आपकी मो ान को डिसअलाड करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मै यह जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा के गरीब लोग, मजदूर, विधार्थी चंडीगढ की पुलिस से इसी प्रकार पिटते रहेगें। जब चण्डीगढ हरियाणा की राजधानी हे तो हरियाणा के लोग चण्डीगढ़ ही आएगे और क्या वे चण्डीगढ़ मे पिटते रहेगे और उसकी बात असैम्बली मे नही हो सकेगी?

Mr. Speaker: This matter is not within my jurisdition. (Interruptions). I cannot to anything about it.

स्वामी अग्निवे ा: मै आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या हरियाणा के लोग इसी तरह पिटतें रहेंगें।

श्री अध्यक्षः मैरी रूलिंग यह है कि कोई इंसिडैंट जो हरियाणा की टरेटरी से बाहर होता है उसका हाउस से कोई सम्बन्ध नही है।

स्वामी अग्निवे ा: चण्डीगढ़ भी तो हरियाणा की राजधानी हैं।

श्री अध्यक्षः जहां पर हरियाणा की पुलिस की जुरिस्कि ान नही है वहां पर हाउस की कोई अथोरिटी नही है। जहां पर हरियाणा की पुलिस की जुरिस्डिक ान है और वहां पर कोई बात हो तो फिर हम नुक्ताचीनी कर सकते है।

Sh. Baldev Tayal: Sir, may I submit for one minute. Sir, I an not challenging your ruling in any way. I am not saying any thingagaist what you have said in regard to the jurisdiction of teh speaker. I only wish to bring to you kind notice that some way and

means should be devised so that the people of Haryana should be saved from the torture and the mal-practices which are being committed on them day to day in the Union territory of Chandigarh. Because of the special circumstances. Chandigarh is the Capital of Haryana and it entirely for you to find out ways and means to remove the grievances of the people of Haryana. That is all I have to submit. Thanks you. Sir.

श्री वीरेन्द्र सिंहः : स्पीकर साहब, मै यह गुजारि ा करना चाहता हूं कि कल हरियाणा के कोई 36 के करीब स्टुंडैंट बडी़ पीसफुल डिमोस्ट्रे ान करने आए थे और हमारे तीन माननीय एम.एल.एज. चौधरी संत कंवर, चौधरी रण सिंह मान और चौधरी अजती सिंह को गिरफ्तार किया गया।

यह ब्रीच आफ प्रिविलिज है। यह बड़ा महत्वपर्ण मामला है, आप सुन सकते हैं। स्पीकर साहब, तीन मैम्बर साहेबान स्टूडैन्ट्स को मिलने के लिए गये। यू.टी. की पुलिस ने उन्हे पकड़ लिया, उसके साथ मिस–बिहेव किया और भाायद दफा 188 के तहत उन्हे गिरफ्तार किया गया है। दो मैम्बर साहेबान तो अभी जेल मे है। इधर सै ान चालू है और मैम्बरान का यह हक है कि वे सै ान को अटैन्ड करे। मै इसके लिए रूल 265 आपको पढ़ कर सुना देता हूं. . .. .

Mr. Speaker: I am told that they were offered to be relased on bail but thye refused to be released on bail.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मै रूल्ज़ 265 की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूं जिसमे लिखा है–

"The Speaker may, if he is satisfied about the urgency of teh matter, allow a question of privilege to be reised at any time during the course of a sittign Such question shall be raised at teh earlist opportunity and shall not ordinarily require notice."

हमारे दो मैम्बर साहेबान गिरफ्तारी की वजहअ से सै ान को अटैन्ड नही कर सेक है यह तो उनका हक बनता है कि वे सै ान अटैन्ड करे, पर उनका हक मारा जा रहा हैं।(ाोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्षः इस सम्बन्ध मे, मैने हाउस मीटर करते ही अनांउसमैंट कर दी थी। पुलिस ने जो फैक्टस भेजे थे, वह फैक्टस मैने आपके सामने रख दिये थे। अगर कोई मैम्बर क्रिमिनल ला के तहत पकड़ा जाता है तो सै ान अटैंड करने के लिए प्रोटैक ान क्लेम नही कर सकता।(ाोर एव व्यवधान)

चौधरी रीजक रामः स्पीकर साहब, जब कोई मैम्बर बोलने के लिये खड़ा होता है तो कंट्रोल रूम वाले इधर उधर देखते रहते है, बोलने वाले आदमी की तरफ कोई ध्यान नही देते। उनका यह फर्ज बनता है कि आपकी अनांउसमैंट के बाद ही वे बोलने वाले मैम्बर की सीट वाला बटन आन कर दें। कई बार देखा गया है कि ऐसा नही होतो है जिसके कारण से हमारी आवाज आप तक नही पहुचती है। या आप उन्हे जरा इस बारे मे हिदारयत कर दें कि वे इस तरफ जरा खास ध्यान दिया करें। या आप ऐसा कर दे कि इस सीट पर पोसवाल साहब को भेज दे क्योकि उनकी अवाज काफी तेज है, या मुख्यमंत्री

महोदया वाली सीट खाली पड़ी है, वहा पर मेरा बैठने का इंतजाम करे दें। (हंसी)

श्री अध्यक्षः इस बात की तो मै अव य सिफारि ा कर सकता हूं। (हंसी व भाोर)

चौधरी रीजक रामः स्पीकर साहब, मेरी गुजारि ा यह है कि विधान सभा के सामने या एम.एल.एज. होस्टल के सामने यु.टी. की पुलिस हमारे मैम्बर साहेबान या हमारे हरियाणा के रैजीडैन्टस के साथ किसी किस्म की ज्यादती करती है तो क्या उस हाउस उस बारे मे यहा कोई डिस्क ान कर सकता है? वैसे तो ला एण्ड आर्डर का जो मसला है, वह यू.टी. का है लेकिन फिर भी आप इस हमारे प्वायंट के ऊपर गौर करे क्योंकि अगर किसी के साथ कहीं कोई ज्यादती होती है तो उसे कम से कम डयू प्रोटैक ान तो मिलनी ही चाहियें। यह बात ठीक नही है कि हरियाणा के लोगो के साथ यहां पर दुर्व्यहार हो और हम यहां चुपचाप बैठै रहें। सैन्टर मे भी स्टेअ सब्जैक्अस के ऊपर मसले उठाए जाते है। स्पीकर साहब, यू.टी. मे याह किसी स्टेअ मे कोई घटना घटती रहती है तो उसका नोटिस लोकसभा भी लेती है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप भी इस मामले पर दोबारा विचाार कर लें। दूसरी बात जो अभी बाबू मूल चन्द जैन जी कह गये थे कि उनका मो ान आपने डिसअलाउ किया है, उसके बारे मे उन्होने आपको रिव्यू करने के लिए लिखा है। कोई ऐसा प्राविजन है जिसके तहत आप फैसले को रिव्यू कर सकते है। मै ता वह प्रोविजन कहीं पर नही सका। उन्होने पता नही कहां से देखकर कह दिया?(हंसी) इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना

है कि जो सुझाव मैने आपके सामने रखे है, उनको मेहरबानी करके फिर विचारा जाए ताकि किसी को भी किसी किस्म की परे ाान न होने पाए।

श्री अध्यक्षः चौधरी रिजक राम जी का सुझाव जो उन्होने दिया है बहुत अच्छा है But on thing. I must clarify that wherever Members of Parliament, Members of State Lagislatures go, they carry dheir privileges with them. However, where involvement under criminal law comes, his membership of the House does not provide any protection to him. (ाोर एवं व्यवधान) मुझे तो परसों ही पता चल गया था कि संत कंवर एम. एल. ए. वालैन्टैरिली अरैस्अ देने वाल है। (हंसी)

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, मै एक दुख भरी घटना सुनाना चातहा हूं। हम तीन एम.एल.ए. मै, श्री रण सिंह मान और श्री अजीत सिह, विधार्थियों को मिलने के लिये जा रहे थें उधर से हरियाणा पुलिस की एक जीप आ गयी और हमें गिरफ्तार करके ले गयी। दुख की बात यह है कि मुझे अलग जगह पर ले जाया और मेरे दो दोस्तों को अलग ले जाया गया। यह सरकार तो हमे कतल करवाना चाहती हैं। मुख्यमंत्री हमे कत्ल करवाना चाहते है। जब मुझे ले जा रहे थें तो हमारे आगें कंवर रामपाल सिंहः जी की गाड़ी थी, उनको देखकर पुलिस वाले वापिस दोड़ें।(ाोर) तो स्पीकर साहब, मै कहना चाहता हूं कि यह सरकार घोर अत्याचार करवा रही है, यह हमे मरवाना चाहती है। मै यह आपके नोटिस मे लाना चाहता था।(ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Please take you seat.

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मै आपकी इस बारे मे चाहता हूं कि जो मामला अभी यहां पर जेरेगौरा है स्वामी जी ने जो मामला यहां पर उठाया , उसके पूरे फैक्टस तो मुझे पता नही है लेकिन मै इतना कह सकता हूं कि उसके प्रिसीपली अफैक्टस हो सकते हैं। क्योकिं चण्डीगढ़ यु.टी. मे है और यहां पर हरियाणा के नागरिकों के ऊपर हर प्रकार का अत्याचार हो रहा है इसलिए ऐसे मामलों पर असैम्बली की कागनीजैन्स होनी चाहियें। मै इस बारे प्रेजीडैंस अर्ज करना चाहता हूं। कि जब भी भारत का कोई नागरिक पाकिस्तान, कैनेडा या किसी दूसरी कंट्री मे जाता है और उसके साथ अभी कोई दुर्व्यहार हुआ है तो ऐसे मामले भार की पार्लियामैंट मे भी उठाये गये है। इसलिये अगर यूं.टी. मे कोई ऐसी घटना घटती है तो इस असैम्बली का यह कर्तव्य बन जाता हें कि ऐसे मामलों पर विचार करें। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन बातों पर अव य ध्यान दे ताकि आगे से ऐसी कोई बात न होने पाए।

Mr. Speaker: I am sorry. I do not agree wiht you contetion because Punjab State and the Union Territory, Chandigarh are as much parts of India ans Haryana. Indian is a sorvereign country. अगर कोई इंटरनै ान लेवल की बात होती तो वह मामला पार्लियामैंट मे उठ सकता है लेकिन अगर हरियाणा का एक आदमी किसी दूसरी स्टेट, मद्रास और पंजाब मे जाकरप कोई क्राइम करता है तो यह नही हो सकता है कि उसके ऊपर हरियाणा के रूल ही लागू हो और हरियाणा सरकार उसको बचाने के लिये भागें।

श्री भाम ोर सिहः स्पीकर साहब, मै याायद अपनी बात साफ नही कर सका। जो बात मैने कही है उसका क्राइम से कोई ताल्लूक नही है। मै आन प्रिसीपल यह कहना चाहता हूं कि अगर कल को यू.टी. वाले यहां पर रहने वाले हरियाणा के दूकानदार यह सर्विसमैन यहां से निकालना भाुरू कर दे तो ऐसे केस मे असैम्बली कागनीजैंस ले सकती है।

Mr. Speaker: This you are talking about the same agitational approach. But if teh thing which you have referred to happens, that will be a matter fo great shame. This matter is closed now.

ध्यानाकर्शण सूचना–

रावी नदी पर थीन बांध के निर्माण सम्बन्धी।

श्री अध्यक्षः मुझे श्री वीरेन्द्र सिंह एम एल ए की ओर से रिवर रावी पर थीन बांध परियोजतना के निर्माण तथा पंजाब गवर्नमैंट द्वारा थीन डैम परियोजनार को इकतरफा कार्यान्वित करने संबंधी एक काल अटैन ान मो ान का नोटिस मिला है, मै इसे मन्जूर करता हूं। श्री वीरेन्द्र सिंह कृपया अपना मो ान पढे।

Sh. Verender Singh: I want draw the attention of teh rrigation and power Minister to a matter of urgent public importance namely that eh issue as to which states are teh beneficiaries from the Thein Dam Project, already stands settled through a statutory order of teh Govt. Of indian and the unaminus dicision taken at the meetings of the C.M. of the partner States

followed by communication from the Govt. of India suggesting adhoc percentage of cost of teh beneficiaries States from teh Thein Dam Project would be Punjab, Haryana, Rajasthan, Himanchal Pardesh & J.K. The only Question that remains to be settled is the percentage of power that may be allocated to each of the partner States on the basis of need and othe relevant consideration

It is disherting to note that the Gove. of Punjab has been allowed by the Central Govt. to proceed with the execution of the project. The Govt. of Punjab is carrying the implementation unilaterally. Recently the Govt. of Punjab has been successful in getting money from the Centre for unilateral execution of the project.

Where as in the past a deifinite share of the State of Haryana in the Power Generated has been recognised by the concerned States as well as teh Centre. This unilateral execution of teh project by Punjab has created misgivings in the minds of people of Haryana at large, the minds of teh people are very much concerned and agitated, they feel that their settled interests in teh project are being ignored by the present Govt. This passive attitude on the part of teh haryana Govt. cosititutes a matter fo urgent Public Imprtance and requires immediate attention of this August House.

मुख्यमंत्री (चोधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, इसका जवाब हम कल देगें।

व्यतव्य–

मुख्यमंत्री द्वारा, एस.वाई.एल. परियोजना के पंजाब के भाग के निमार्ण मे विल्मब होने के परिणामस्वरूप हरियाणा राजय को हानि होने संबंधी।

श्री अध्यक्षः कल मुख्यमंत्री जी ने काल अटैन ान मो ान नम्बर 2 जो एस.वाई.एल. के बारे मे है, पर आज अपनी स्टेटमैंट देने के लिए कहा था। वे कृपया अपनी स्टेटमैंट दे।

चौधरी गंगा राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर –

श्री अध्यक्षः क्या आपका प्वायंट आफ आर्डर थीन डैम के बारे में हैं? अगर उस बारे मे नही है तो डिस अलाउ करता हूं।

चौधरी गंगा राम : स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुने . .. . . .

श्री अध्यक्षः क्या आपका प्वायंट आफ आर्डर थीन डैम के बारे में हैं?

चौधरी गंगा राम : जी हां। स्पीकर साहब, मै आपकी रूलिंग चाहता हूं कि जैसे अब मुख्यमंत्री जी किसी बात का जवाब देगे ओर थीन डैम मे भी ये सरकार के नुमाइंदे जवाव देगें। उस जवाब से पहले मै आपकी रूलिंग चाहता हूं। यह आज का पंजाब केसरी अखबार है इसमे आया है कि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की कल मीटिंग मे .... (ाोर)

Mr. Speaker: Please Sit Down. Otherwise, I will name you, Chaudhri Ganga Ram

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, यह एक्सपंज होना चाहिए।

श्री अध्यक्षः गंगा राम जी आपने हाउस को मिस लीड किया है। मैने आपसे तीन दफा पूछा कि क्या आपका प्वायंट आफ आर्डर थीन डैम के बारे मे है ओर आपने कहा हां। अब आप प्वायंट आफ आर्डर कर रहे है कांग्रेस विधायक दल की मिटिंग के बारे मे। Next time if this happens, I will name you and I will have a motion moved for expelling you for the remainder of the session.

The Hon. Chief Minister may please make the statement.

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): भारत सरकार द्वारा इन्डस वाटर ट्रीआी के फलस्वरूप प्राप्त किए गए सरप्लस रावी ब्यास के 15.85 एम. ए. एफ. पानी को जनवर 1955 मे पिछला पंजाब राज्य पैप्यू सहित, राजस्थान, जम्मू और का मीर राज्यों के बांटा था। भारत सरकार ने अपने नोटिफिके ान दिनांक 24.03.1976 द्वारा भूतपुर्व पंजाब के भाग मे आए 7.2 एम. ए. एफ. पानी मे से हरियाणा का भाग 3.5 एम. ए. एफ. नियत किया था। हरियाण के भाग का पानी मंडी प्लेन मे ब्यास नदी मे उपल्ब्ध पानी के आधार पर मिलेगा।

भारत सरकार का 24.03.1976 का निर्णय हरियाणा राज्या द्वारा 1969 मे 4.8 एम. ए. एफ. पानी के कलेम के आधर पर था। यह निर्णय सात साल के लम्बे विचार विम र्, हाईलेवल कमेटी द्वारा खोजबीन तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा मुख्यइंजिनियरों द्वारा सोच विचार के बाद किया गया था। यह एलोके ान भारत सरकार ने पंजाब

पुर्नगठन एक्ट 1966 की धारा 78 के अधाी की थी और यह ऐलोके ान अंतिम थी और इसे पंजबा, हरियाणा राज्यों की सहमति बिना नही बदला जा सकता।

निर्णय के तुरन्त बाद मुख्यमंत्री, हरियाणा के प्रधानमंत्री को 23.04.1976 को लिखा था कि यदपि हरियाणा को ऐलोकेट किया गया पानी राज्य की आव यकता से और जायज हक से बहुत कम है फिर भी हरियाणा सरकार भारत सरकार का निर्णय राश्ट्रीय हित को सामने रखते हुए मजुर करती है। सतलूज यमुना नहर का कार्य, जो हरियाणा के भाग के रावी ब्यास का फालतु पानी हरियाणा मे लाने के लिए है, अक्तुबर 1976 मे हरियाणा क्षे? मे 92 किलोमीटर मे आरम्भ किया गया और यह समप्ति के निकट है। इस कार्य पर 28.50 करोड़ रूपए खर्च किए जा चुके है। इसके अतिरिक्त 135 करोड़ रूपये इस पानी को प्रयोग मे लाने के लिए नहरों के निमार्ण पर खर्च किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पंजाब राज्य को 2 करोड़ रूपये की रा ि ा दी गई थी। (एक करेाड़ नवम्बर 1976 मे और एक करोंड़ मार्च, 1979 मे) ताकि वह पंजाब क्षेत्र मे पड़ने वाले सतलूज यमुना लिंक नहर को 122 किलोमीटर लम्बाई मे इन्वेटीगे ान व निर्मासण का कार्य आरम्भ करें।

पंजाब राज्य ने अपने क्षेत्र मे अभी कार्य आरम्भ नही किया हैं। पंजाब सरकार ने प्रधानमत्री के निर्णय के विरूद्व प्रतिवेदन किया था जो अस्वीकार किया जा चुका है। हरियाणा के उक्त निर्णय को लागू किए जाने की प्रार्थना कि फलस्वरूप भूतपूर्व प्रधान मंत्री के साथ हुई 26.08.1978 02.09.1978, 08.09.1978 और 20.09.1978 को हुई बैठकों

मे पंजाब राज्य ने कोि ा ा की कि इस मामले को नये सिरे से देखा जाए, परन्तु हरियाणा सरकार ने इस फैसले को री ओपन करने की सहमति नही दीं।

हरियाणा राज्य ने पंजाब क्षेत्र मे सतलुज यमुना नहर कार्य आरम्भ किए जाने के प्रयत्नों मे विफल होकर सवोगच्च न्यायालय मे 30. 04.1979 को भारत सविधान के आर्टिकल 131 के अधीन मुकदमा दायर किया और प्रार्थना की कि भारत सरकार द्वारा हरियाणा को अलाट किए गए 3.5 एम. ए. एफ. पानी सम्बन्धी निर्णय को कार्यान्वित कराया जाए। पंजबा राज्य ने मुकदमे का उत्तर फाईलन कर दिया और हरियाणा सरकार द्वारा उत्तर का उत्तर भी दे दिया गया है और हरियाणा राज्य ने 24.04.1980 को एक प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया है कि इस केस को भीघ्र सुना जाए। भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार ने भी अपना उतर थोड़ा समय पहले फाईल कर दिया है ओर उनके उत्तर का उत्तर भी हरियाणा राजया ने 18.10.1980 को फाईल कर दिया है। हमारी भीघ्र सुनवाई की प्रार्थना पर सर्वोच्च न्यायालय ने आदे ा दिया है कि इस केस को दिसम्बर के पहले सप्ताह मे सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कल यानि 16.12.1980 को आदेश दिए है कि हरियाणा तथा पंजाब द्वारा दायर किए गए पानी के दोनेा मुकद्दमों की सुनवाई 10.02.1981 को की जाएगी।

मै माननीय सदस्यों को वि वास दिलाता हूं कि सरकार इस मामले मे पूर्ण रूप से जागरूक है और यह बात जानती है कि पंजबा क्षेत्र मे निर्माण कार्य न होने के कारण हरियाणा राज्य की कृशि व्यवस्था

को बहुत नुकसान पहुंच रहा है ओर हरियाणा राज्य को पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के अधीन दिए गए रावी ब्यास के फालतु पानी के हिस्से से महरूम किया जा रहा है, सरकार सर्वोच्च न्यायालय मे दायर किए गए मुकद्दमें पर भीघ्र निर्णय प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयन्त करेगी।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

हमने इस मामले का भारत के प्रधान मंत्री तथा केन्द्रीय मंत्री के समाने भी उठाया है कि वे इस मामले मे हस्तक्षेप करे और पंजबा क्षेत्र मे सतलूज यमुना लिंक के निर्माण का कार्य भीघ्र अति भीघ्र भुरू करवांए ताकि हरियाणा के साथ लमबे समय से हो रही नाइंसाफी समापत हो सके, हरियाणा के भाग का 3.5 एम. ए. एफ. पानी प्राप्त करने के लिए कोई भी कसर नही छोड़ी जाएगी और मै आ ाा करता हूं कि वर्श 1981 मे हमारे प्रयत्नो का ठोस परिणाम उपलब्ध हो जाएगां।

श्री मूल चन्द जैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मै चीफ मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जो स्टेटमैंट का आखिरी पैरा है उसमे यह लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट मे फैसला होगा और उसकी पे ाी फरवरी 1981 मे लगेगी। डिप्टी स्पीकर साहब, मै तो बतौर वकील यह जानता हूं कि उस मामले मे पहले हरियाणा सरकार गवाही देगी उसके बाद पंजाब सरकार गवाही देगी, फिर उस पर बहस होगी तो इस मामले मे बहुत लगने की गुजाइ ा है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैने तो अपनी काल अटैं ान मो ान मे यह पूछा है था कि पोलिटिक्ल लैवल

पर यह सरकार क्या कर रही है लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्टेटमैंट से इन्टरवीन करने के लिए मामला उठाया हैं। लेकिन इन्होने क्या मामला उठाया है और अब तक उस मामले मे इनका क्या जवाब मिला है यदि मुख्यमंत्री जी इस मामले के बारे मे थोडी़ रो ानी डाले तो हमे भी पता लगें।

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री से और इरीगे ान एण्ड पावर मिनिस्टर से मै तीन बार मिल चुका हूं और मैने उनसे प्रार्थना भी की है कि हरियाणा के हितों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा हैं उसके बारे मे आप पंजाब से कहिए कि वह हमे एस. वाई. एल. का पानी लाने दें। इसके अलावा मैने यह भी कहा है कि आप पंजाब के साथ बैठ कर हमारी मिटिंग करवाएं ताकि पंजाब के एरिया मे काम भाुरू हो सके। उन्होने मुझे आ वासन दिया है कि बहुत जल्दी ही इस मामले पर हम विचार करेगे। मुझे पुरा वि वास है कि वे हमें आपस मे बठा करके बातचीत से इस मामले को हल करवायेगे।

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्षः अब एक मंत्री नियम 30 के अधीन प्रस्ताव पे ा करेगे।

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): डिप्टी स्पीकर साहब, मै प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 को निलम्बित किया जाए तथा वीरवार, 18 दिसम्बर 1980 को सरकारी कार्य किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 को निलम्बित किया जाए तथा वीरवार, 18 दिसम्बर 1980 को सरकारी कार्य किया जाए।

श्रीमती सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्यो के मंत्री ने नियम 30 के अधीन जो सरकारी प्रस्ताव सदन के सामने रखा है और उसके माध्यम से वे 18 दिसम्बर, 1980, वीरवार को सरकारी कार्य करने की अनमति मांग रहे है मै उसका विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। (ाोर)

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो बहन सुशमा जी ने श्री बलदेव तायल का अपना लीडर मानती है और लीडर मान कर उनको बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मिटिंग मे भेज दिया। दूसरी तरफ वधवा साहब डा. साहब को अपना लीडर मानते है वह भी बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग मे गए थें। यह फैसला बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मिटिंग मे उनके सामने हुआ है। ये जिस बात को अपोज करते है तो फिर ये उनको अपना लीडर न मानें। यदि उनको लीडर मानते है तो उनकी बात को भी मानना चाहिए। यह फैला भी उनकी रिक्वैस्ट पर हुआ था।।

श्री उपाध्यक्षः सुशमा जी, मै आपके नोटिस मे यह बात लाऊं कि बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट हाउस अडौप्ट कर चुका है। यदि आप उस पर एतराज करती है तो यह भाोभा नही देता।(ाोर)

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 को निलम्बित किया जाए तथा वीरवार, 18 दिसम्बर 1980 को सरकारी कार्य किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। जब कोई प्रस्ताव हाउस मे पे ा हो और उस पर मैम्बर बोलना चाहे तो आप उसकी इजाजत नही देगे। क्या रूल मे यह प्रोवीजन है?

श्री उपाध्यक्षः वधवा साहब, बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मिटिंग मे ये प्रस्ताव थे उसकी रिपोर्ट हाउस ने एडाप्ट की है।(ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः उस रिपोर्ट मे यह कहा आया है कि इस पर मैम्बरों को बोलने के लिए समय नही दिया जाएगा। (ाोर एव विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः मैने आपको बोलने के लिए काफी समय दिया हैं। (ाोर) आप मेरी बात तो सुनिये। (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, हम यहां पर बोलने के लिए आए है सुनने कि लिए नही आए है। आप हमारे क्सटोडियन है। हम यहां सै ान मे क्या करने के लिए आए है, बैठने के लिए नही आए है। जो प्रस्ताव हाउस मे आया है उस पर बोलने का हमारा हक है हमे उस पर बोलने दीजिए। उसके बाद आप जो मर्जी रूलिंग दे दीजिए। लेकिन आप बोलने के लिए समय ही नही दे रहे हैं। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः मै आपको बोलने के लिए पूरा समय देता हूं। (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः आपने मुझे कहां बोलने किया है? मै खड़ा होता रहा लेकिन आपने इधर देखा ही नही। यह प्रथा हाउस मे कैसे चलेगी? लाखो रूपया सै ान मे खर्च हुआ है और मैम्बरौं के बोलने के राइटस है क्या हमें बोलने की इजाजत नही दी जाएगी?(ाोर)

श्रीमति सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट एडौप्ट कर चुका है इसलिए हमे इस पर नही बोलना चाहिए। इस दलील को मै भी मानती हूं कि जब बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट एक बार हाउस मे तफसिलात हो चुकी है तो उस पर बिल्कूल नही बोलना चाहिए लेकिन मै मुख्यमंत्री जी की इस बात का जवाब देना चाहती हूं । उन्होने यह कहा कि हमारे लीडर साहेबान बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मे जाकर बैठते है।

अगर उनके कहने का मकसद यह है कि चुकि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी जब भी कांसटीच्यूट होती है तो उसमे हर अपोजी ान की तरफ से एक न एक आदमी जरूर लिया जाता है उसके बावजूद भी रूल्ज आफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट आफ बिजनैस यह कहता हे कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हाउस मे रखी जाएगी और हाउस को यह अधिकार है कि वह उस पर चर्चा करे। हाउस को यह भी अधिकार है कि यह बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर कर सकता है और नामंजूर भी कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री जी यह कहना चाहते है। कि अपोजी ान के लीडर बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मे बैठते है इसलए इस पर कोई चर्चा नही होनी चाहिए तो वे इस नियम को इस नियमें की किताब मे से निकाल दे। (ाोर एव विघ्न) एक तरफ अपोजी ान के लीडर है और दूसरी तरफ यह किताब यह अधिकार देती है। अगर आप इस किताब के अधिकारों को उपयोग नही करवाना चाहते है तो उस नियम को उन्होने इसमे क्यो डाल रखा हैं। (ाोर एव विघ्न) चौधरी साहब, आपको कोई लीडर नही मानता। (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, प्र न प्रथा का है। सवाल यह है कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट हाउस मे आती हैं वह कोई फाईनल नही होती है। यदि हाउस उसको एडौप्ट कर चुका है तो आज यह प्रसताव क्यो लाया गया है? बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट मे यह बात नही थी। हाउस के मैम्बरान को यह बात कहने का अधिकार है कि औफिसियल डे मुकरर्र किया जाए

या नही, इसीलिए यह प्रस्ताव आया हें अगर बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हाउस एडौप्ट कर चुका है तो फिर यह प्रस्ताव लाने की आवयकता ही क्या थी? यदि यह प्रस्ताव हाउस मे लाया गया है तो इस पर मैम्बरान को बोलने का अधिकार है।(ाोर)

श्री उपाध्यक्षः आर्डर प्लीज।

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, मै आपकी रूलिग चाहता हूं क्या बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पे ा होने के बाद हाउस को कोई अधिकार नही है? (विघ्न) क्या किसी मैम्बर को बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पास होने के बाद किसी नए प्रस्ताव को अपोज करने का अधिकार नही है? (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः अब फाईनैस मिनिस्टर साहब एक बिल पे ा करेगे।

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, प्वायंट आफ आर्डर पर अपनी रूलिंग तो दे दों। आपने प्वायंट आफ आर्डर को अलाउ किया है।

Mr. Deputy Speaker : This is not point of order.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Sir, it is very serious point of order.

श्री उपाध्यक्षः अब आप बैठ जाइए। मो ानप पास हो चुकी है।

हीरा नन्द आर्य: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है ।(ाोर) मै इस बात की चर्चा नही करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैने दो काल अटैन ान मो ान, न. 12 और 15 दिए थें। एक मो ान हरियाणा डेरी डिवेल्पमैंट कार्पोरे ान के ऐम्पलाईज की हड़ताल से सम्बधित है ।(विघ्न)

Mr. Deputy Speaker : This is no point of order.

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (न. 5) बिल 1980

वित्त मंत्री (लाला बलवन्त राय तायल): उपाध्यक्ष महोदय, मै हरियाणा विनियोग (स.05) विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

मै यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियणा विनियोग (सं. 05) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियणा विनियोग (सं. 05) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री मूल चन्द जैन (संभालखा): डिप्टी स्पीकर साहब, आम तौर पर सप्लीमैंटरी डिमांडज पर बोलने के बाद ऐप्रोप्रिए ान बिल पर बोलने के लिए कोई वि ोश बात रह नही जाती लेकिन मै आपको यह यकीन दिलाता हूं कि मै ऐसी सजै ान्ज देना चाहता हूं जिनका भाायद वित मंत्री जी भी स्वागत करेगें। (विघ्न) पहली बात मुआवजे की रकम

के बारे मे हैं। पहली बात तो यह है कि जिन फार्मर्ज की, जमींदार भाईयों की जमीन सरकार ले उन्हें मुआवजा ठीक मिले। बढां हुआ मुआवजा अगर छोटे छोटे जमींदारो को मिले तब भी कोई बात नही। लेकिन अन्दे ाा यह है कि यह जो मुआवजा अढाई लाख से बढ़ कर 26 लाख बन गया है या साढ़े सतरह लाख बन गया है इसमे कुछ दाल मे काला है। मैने बतौर वकील के डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत मै इस तरह के केस फाईट किए है लेकिन मेरा पे ाा इस बात की इजाजत नही देता कि मै किसी का यहां नाम लूं लेकिन मै सरकार के नोटिस मे यह बात लाना चाहता हूं कि जब रकम बीस बीस लाख बढती है तो प्रायः यह सरकारी वकील को कुछ ही करा लों। ऐसा कई बार देखने मे आया है। आफअर आर लैंड ऐक्विजि ान औफिसर्ज, जो कम्पनसे ान देने का काम करते है कोई गैर जिम्मेदार नही है। यह नही हो सकता है कि उन्होने जो मुआवजा फिक्स किया हो उसका 600–700 परसैन्ट वकील ठीक पैरवी करते है या नही करते है यह भी देखने की बात है। इन लैंड ऐक्विजि ान के केसिज मे जो ऐविडैंस मिसल्ज के ऊपर आपके सरकारी वकीलों को लानी चाहिए वह ऐविडैन्स वे मिसल्ज पर लाते है या नही, ये सारी चीजे ऐसी है जिनकी हाई लैवल पर, उसमे चाहे चीफ सैक्रेटरी साहब बैठे यह दूसरे सीनीयर औफिसर्ज को आप बैठाए, जांच किए जाने की आव यकता हे।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं। ये सारे केसिज बहुत पुराने है। सन् 73–74 के है।

जैन साहब देवीलाल जी की मिनिस्टर रहे है। क्या इन्होने उस समय इस सम्बन्ध मे कोई कमेटी बैठाई थी?

श्री उपाध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नही है।

श्री मुल चन्द जैनः मुझे अफसोस यह है यह मुआवजा तो सरकार ने अभी अक्तूबर और नवम्बर, 1980 मे दिया हैं। तो मेरा सुझाव चीफ मिनिस्टर साहब को यह है कि ये इस पर जो एक हाई लैवल कमेटी अपने सिनियर औफिसर्ज की बैठाए जो यह देखे कि डिस्ट्रिक्ट ऐटौर्नीज का जो स्टाफ है , जो गवर्नमैंट ऐडवाकेटस है वे किस तरह से लैंड ऐक्विजि ान के केसिज की पैरवी करते है और मुनासिब ऐविडैन्स कीमत के बारे मे डिस्ट्रिक्ट जज की मिसल पर लाते है या नही लाते है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मै इसलिए कह रहा हूं कि इस 69 लाख के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमैट्स मे 61–62 लाख तो मुआवजे के ही है और ये कोई सैकड़ो केसिज नही है बल्कि केवल तीन चार केसिज है।

श्री उपाध्यक्षः आप चाहते है कि भ्रुरू ही ऐडिक्वेट कम्पनसे ान दिया जाए?

श्री मूल चन्द जैनः मै चाहता हूं कि कम्पनसे ान तो दिया जाए लेकिन इनफलेटिड कम्पनसे ान न दिया जाए। इन केसिज मे ऐसा लगात है कि सरकारी वकीलों ने जो पैरवी डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट मे और अपील के समय हाई कोर्ट मे करनी चाहिए थी वह नही की और इसलिए सरकार पर यह बोझ पड़ा है।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय मै बैकवर्ड क्लासिंज के लिए जो कार्पोरे ान बना है उसके बार मे कहना चाहता हूं। इसमें सरकार ने फाईनैं ाली वीकर सैक ान को भी इंक्लूड किया है। इसके बारे मे मै एक अर्ज करना चाहता हूं। सन् 1960–61 की बात है। उसक समय जय प्रका ा नारायण जी जिनदा थै। मै भी पर्लियामैंट का मैम्बर था। गवर्नमैंट आफ इंडियां ने उसकी अध्यक्षका मे एक कमेटी बैठाई जिसके साथ मै भी ऐसोि ाएटिड था जिसें यह कहा गया कि वह बताएं कि आया बैकवर्ड जिसके साथ मै फाईनै ाली वीकर सैक ान को मिला दे या न मिलाए। मै समझता हूं इस हाउसक मे केाई ऐसा मैम्बर नही है जो जय प्रका ा नारायण जी का औनर न करता हों। उनकी सिफारि ा यह थी कि बैकवर्ड क्लासिज के साथ वीकर सैक ान को न मिलाया जाए। उनका अगर मिला देगे तो बैकवर्ड क्लासिज के साथ वीकर सैक ान को न मिलाया जाए। उसको अगर मिला देगे तो बैकवर्ड क्लासिज को जो रिलिफ मिलना है वह बिल्कूल खत्म हो जाएगा। यह बात उन्होने सन् 1961–62 मे गवर्नमैंट आफ इंडिया को जो अपनी रिपोर्ट दी उसमे लिखी है। आज जो करने जा रहे है उसका नतीजा यह होगा कि हमारे भाई जो बैकवर्ड है उनका इसका फायदा नही पहुंचेगा। हमे तो आज कहते हुए भार्म आती है कि ये लोग न सिर्फ फाईनै ाली वीक है बल्कि ऐजुके ान के हिसाब से भी वीक है? मेरा पब्लिक लाईफ का 40 साल का तर्जुबा है। उनको सालो तक पता नही चलता कि सरकार ने उन्हे क्या रियायते और फायदे दिए हैं। अगपर उनको पता लग भी जाए तो इतने वैस्टिड इंट्रेस्टस है औफि ियल सर्कल मे भी और पोलिटिकल सर्कल मे भी, जो उन्हे उन रियायतों का फायदा नही

होने देतें। इसलिए इनका नतीजा यह होगा कि बैकवर्ड क्लासिज के लोग इस कार्पोरे ान का फायदा नही उठा सकेगें। तो मेरी गुजारि ा है कि फाईनै ांली सैक ान को इन्हे इस कार्पोरे ान मे भाामिल नही करना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक और बात कह कर मै अपना स्थान लूंगा। मूप्े यह आ ाा थी कि सप्लीमैंटरी बजट जो आ रहा है उसमे कुछ और जो खर्चे सरकार ने अब तक कर दिए है या करने वाली हैं वह भी भाामिल होगे। जो सकता है कि ये उन्हे बजट मे लाना चाहते हों। लेकिन मौाक था कि ये उन्हे अभी ले आतें। मिसाल के तौर पर कालांवाली का मामला है। गवर्नमैंट उनके सम्बन्ध मे जो कुछ रियायते अनाउंस कर रही है वे इसकी वक्त आनी चाहिए थी। इसी तरह से 8–9 अक्तूबर की रात को हरियाणा मे औले पड़े है। उसका रिलिफ मुख्तलिफ मिनसिटर्ज ने अपने भाशाणों मे तो अनाउंस किया है लेकिन सरकारी तौर पर कोई अनांउसमैंट आज तक मेरे नोटिस मे नही आई है। अगर इन्होने रिलीफ देना है तो कब देगे यह बात मेरी समझ मे नही आती क्योंकि आलावृश्टि 8–9 अक्तूबर की रात को हुठ थी और दो महीने का अर्सा गुजर चुका हैं। पानीपत तहसील मे हलदाना नाम का एक गांव है। वहा पूरी की पूरी फसल डेमेज हो गई थी लेकिन उन्हे भी आज तक कोई रिलीफ नही दिया गया। यह जरूरी बात थी कि इस बारे मे कोई पैसा इस बजट मे रखा जाता। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, मै कहना चाहूंगा। आज सीमेंट की कमी तो है ही लेकिन साथ ही देखने वाली बात यह है कि वहां के लगभग दो हजार वर्कर्ज भूखे मर रहे है।

उनके लिए भीये हाउस से रूपया मंजूर करवाते और भी बहुत सी मिसालें मै दे सकतो हू लेकिन समय की कमी के कारण ऐसा करना संभव नही है। मै वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इन चीजो के बारेम` विचार करके सब समस्यांओं का हल करै।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): उपाध्यक्ष महोदय हरियाणा विनियोग विधेयक संख्या – 5, 1980 वित मंत्री महोदय ने सदन मे पे ा किया है और इसके माध्यम से 69,62,655 रूपया अनुपूरक मांगो से सदन से मंजूर करवा रहे हे। आपको याद होगा कि पिछले अधिवे ान मे इसी तरह किी अनुपूरक मांगो की पहली कि त आयी थी जिसके माध्यम से 134 लाख 77 हजार रूपया मांगा था। इस तरह से दो दो करोड़ यप्या अनुपूरक मांगो के द्वारा मनवाने की कोई स्पश्ट परम्परां नही है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को भी अफसोस होता है। कि हमारे सविधांन मे जो प्रावधान एक्सैपं ाज कम से कम हरियाणा के लिए एक परम्परा बन गई है। इन अनुपूरक मांगो के माध्यम से ऐसे खर्चो को लाने का प्रावधान किया गया था जिन खर्चो का बजट बनते समय दृश्टि मे नही रखते थे, ऐसे खर्चे जिनके बारे मे उस समय अन्दाजा नही लग सकता था और टोटली अनफारसीन खर्चा करना पड़ता था, वे खर्चे सप्लीमैंटरी एस्टीमैंट के माध्यम से लाये जाते थें। लेकिन आप इनकी तफसीलात को पढियें। 69 लाख 62 हजार 655 रूपया मे से केवल 9 हजार 420 रूपया जो एक मोटर एक्सीडैंट हुआ था उसमे ट्रिब्न्यूनल मे श्रीमती मुख्तीयारी देवी को दिलवाया है।

उसको छोड़ कर बाकी खर्चों को अनफोरसीन ऐक्सपेंडीचर कहे तो मुझे बहुत गलत लगता है।

एक लाख रूपया इन्होने बैकवर्ड क्लासिज के लिए रखा है। आप स्वयं जानते है और आप सदन की बहस के भारीक होते है। यह बात सदन मे कई बार आई है कि बैकवर्ड क्लासिज के लिए सैल बनाना जरूरी है। कब से इस बारे मे बात चल रही है और बजट अधिवे ान मे भी यह घोशणा हुई थी कि पिछड़ी हुई जातियों की सुरक्षा के लिए एक निगम की स्थापना करेगें। मुझे यह बजाये कि जब घोशणा करते है, चर्चा चलाते है, निगम की स्थापना की नीयत रखते है तो बजट मे इस पैसे का प्रावधान क्यो नही किया? उस समय ही बजट मे पैसे का प्रावधान रख सकते थें। उसका नतीजा यह होता कि अब तक निगम बन गया होता और वह काम करने भी लग गया होता और उस निगम से बैकवर्ड लेाग फायदा भी उठा रहे होते, मगर इन्होने नही किया। बजट बनाते समय पैसे का कोई प्रावधान नही रखा गया क्येाकि ये जानते है कि अनुपुरक मांगो के द्वारा मांग लेगे। इन्होने यह एक परम्परा बना ली है कि अनुपूरक मांगों द्वारा पेसा मांग लिया जायें। इस निगम के लिए सरकार ने एक लाख रूपया मांगा है यह केवल आई वा ा के तौर पर किया है 34 हजार रूपया तो रजिस्ट्रे ान पर खर्च हो जायेगो, कुछ पैसा इस निगम को बुनियादी ढांचा खड़ा करने के पर खर्च हो जायेगा यानी बैकवर्ड क्लासिज की एक्स्रुचल फंक ानिंग को भी एब वर्श पीछे कर दिया।

डिप्टी स्पीकर साहब, आप मेवात के रहने वाले है। इसी प्रकार मेवात बोर्ड की स्थापना की बात आयी थीं। स्वामी अदित्यावे ा जी यहां पर बैठे हुए है उनको भी याद होगा कि मेवात विकास बोर्ड की स्थापना की घोशणा सरकार ने पहले की लेकिन पैसा अनुपूरक मांगो द्वारा लिया गया। अगर मेवात विकास बोर्ड की स्थापना की नियत पहले से ही थी तो उसके लिए बजट में भी पैसा रखा जा सकता था लकिन लेकिन सरकार ने बजट मे नही रखा। पिछली बार अनुपूरक मांगो की जो कि त आयी उसके माध्यम से पेसा लिया गया और आज इसी प्रकार से बैकवर्ड क्लासिज सैल के लिए भी एक लाख रूपया अनुपूरक मागों द्वारा मनवा रहे है। क्या यह अनफोरसीन खर्चा था? क्या इसका प्रोवीजन बजट मे नही किया जा सकता था लेकिन उसको सरकार सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स के द्वारा लायी। उपाध्यक्ष महोदय, रीजनींग बडी सही लगती है। मुआवजा कोर्ट ने बढा दिया। कोर्ट ने इसलिए बढा दिया क्योकि कोर्ट ने उस मुआवजे को इनऐडिक्यूएट समझा। ये कहते है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर मुआवजा बढा दे तो हम क्या कर सकते है। इसलिए हमने बजट मे पैसे का प्रोविजन नही किया। उपाध्यक्ष महोदय, आप ही बताइयें कि अगर किसी आदमी की बीस हजार की चीज दो हजार मे लें तो क्या वह आदमी इन्साफ के लिए अदालत मे नही जायेगा? क्या अदालत भी उसके साथ गैर इन्साफ करेगी। इतना इनऐडिक्यूएट कम्पनसै ान जब आप दे रहे है तो तुम्हारी तो उस समय आखें बन्द हो गई थी। क्या वे लोग कोर्ट से न्याय ले कर नही आयेगें?

उपाध्यक्ष महोदय, मै निवेदन कर रही थी आज तक की आप पुरानी सप्लीमेंटरी एस्टीमैंअस मंगवा कर देख ले कोई भी सप्लींमेंटरी ऐस्टीमैट्स ऐसी नही होगी जिसमे मुआवजे की रकम न मांगी हों। एक भी सप्लीमैंटरी एस्टीमैंटस नही मिलेगी जिसमे करोड़ो और लाखों रूपये इस तरह से सरकार ने न मांगे हों। हरेक मे कहा है कि फलां जगह लैन्ड एक्वायर की थी, उसका हमने इतना पैसा दिया और कोर्ट ने इतना बढा दिया। जब उनका पता है कि कोर्ट मुआवजा बढा देता है तो पहले ही आंखे खोल कर मुआवजा क्या नही देतें। हजार, दो हजार या एक लाख तक फर्क हो तो आदमी मान सकता है कि असैसमेंट मे गलती रह गई। हमने दो लाख की चीज ली थी। लकिन कोर्ट कि तीन लाख की है। आखें खोल कर मुआवजा देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, भिवानी मे मिनी सचिवालय के लिए दो लाख 63 हजार 442 रूपये को मुआवजा सरकार ने दिया है और कोर्ट मे जब केस लड़ा गया तो 17 लाख 20 हजार 656 रूप्या दिया गया यानी कोर्ट ने आठ गुना कर दिया। आप जानते है कि क्या जुडि ायरी और न्यायपालिका भी उन लोगो के साथ अन्याय करेगी। जुडि ायरी भी अपने सामने नामर्ज रखती है। मर्किट लैंड की कीमत, बराबर की लैंड की कीमत को समाने रख कर ही फैसला करती है। किसी भी केस का आर्बीट्रेरी फैसला नही करती। आजकल की कीमतो को सामने रख कर फैसला करती है। लेकिन इस सकरकार ने उन चीजो को सामने नही रखा । कोर्ट ने उन लोगों का मुआवजा आठ गुना कर दिया। क्या कोर्ट वाले उनके रि तेदार थें। जुडि ायरी सारी चीजों को देख कर फैसला करती है लेकिन ये लेाग आर्बीट्रेरी फैसला कर देते है जिसको जी मे

आया जितना दे देते है। उपाध्यक्ष महोदय, मै एक और भी चीज हाउस मे रखना चाहती हूं जो सरकार ने नही रखी है। जब कोर्ट कोई फैसला करती है, उसका सरकार को पिछली डेट से इन्टैस्ट भी देना पड़ता है यानी किसी आदमी की जमीन 1973 मे एक्वायर की और सन् 1980 मे जाकर उसका फैसला होता है। आप यह भी जानते है कि आर.एस.ए. का फैसला काफी देर मे होता है। साल साल मे किजस केस का फैसला हुआ हो, उसक का एक तो कास्ट बढ़ गई दूसरे सन 1973 से लेरि आज तक की बढी हुई कीमत का यानी पिछली डेट से इन्ट्रेस्ट भी देना पड़ा। इसी पैसे की हम से आज ये अनुपूरक मांगे मनवाने जा रहे है।

पिजौर गार्डन मे बागबानी के लिए लैंड ली गई। सरकार ने 12 हजार 480 रूपया प्रति एकड़ के हिसाब से दिया मगर कोर्ट ने 36 हजार 300 रूपये एकड़ के हिसाब से दिया यानी तीनगुना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्यादा कर दिया। फिर पार्टी हाई कोर्ट मे चली गई। हाई कोर्ट ने कम्पैनसै ान आठ हजार 405 रूपये बढा दिया। अगर आप किसी को इन–एडीक्यूएट मुआवजा दोगे तो कोर्ट जरूर बढाऐगा। किसी की जमीन छीन कर नाम के लिए मुआवजा देागे तो फिर वह अव यव कोर्ट मे जाएगा। फिर उस पैसे के लिए अनुपूरक मांगे ले कर हाउस मे आते है। पुरानी दर से इन्होने उस जमीन मालिक को ब्याज दिया और ज्यादा पैसा भी दिया। इस प्रकार से अनुपूरक मांगो को लाने से हाउस मे गन्दी रिवायात पड़ी है। इसको अनफोरसीन एक्सीपैंडीचर कहना गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, राई मे कमला नेहरू स्कूल और मोती लाल नेहरू स्कूल हें उनके लिए भूमि अधिग्रहण की गई थी। वहां पर इबहुत बड़ा

कम्पलैक ा बनाया गया हैं। स्वामी अग्निवे ा जी ने राई सकूल के बारे मे काफी कुछ कह दिय है कि उसे क्या फायदे है। जब मै राई के सामने से गुजरती हू तब मुझे ख्याल आता है कि इस करकार ने बड़े नारे दिये थे कि राई मे एि ायाई खेल होगे। सारी की सारी केबीनैंट यहां से चल कर गई और प्रधान मंत्री को लाईन मे खड़े होकर दण्डवत प्रणाम किया। हैलीकाप्टर से उनको मुआना कराने के लिए राई लायें। हरियाणा सरकार ने भाोर मचायो कि राई मे बड़े बड़े प्रोजैक्ट लगेगें, वहां सड़के चौड़ी होगी। वहां की जमीन की कीमत बढ जायेगी हरियाणा पूरे दे ा के नक ें पर आ जायेगा। विदे ाों मे भारत मे लोग आयेगें और कहेगें कि हरियाणा बहुत बड़ा प्रान्त है। जहां पर ऐि ायाई खेल हुए है। उपाध्यक्ष महोदय अब हाउसे से ट्रांसपोर्ट मिनिस्अर और चीफ मिनिस्टर साहब चले गये है। मै उनसे पूछना चाहती हूं कि इतना प्रोपैगन्डा और इतना आडम्बर रचाने की क्या आवयक्ता थी? इन्होने सेाचा कि पता नही हमे क्या चीज मिल गई है। कितना बावेला खड़ा किया गया। कई प्रदे ाो के लोग इन खेलों के लिए दावेदार थे। हरियाणा वाले भी चाहते थे और दिल्ली और बिहार वाले भी चाहते थे। बड़ा भाोर मचाया और बड़े उछले कि हरियाणा सारे खेलों को ले आया। उनकी कार्यकु ालता का प्रणामपत्र इन लोगो को मिल गया है। यह इन–एफिि ायन्अ सरकार हैं क्योंकि यह राई मे खेल नही करा सकती। इस सरकार से राई मे खेलों का प्रबन्ध नही किया जा सका। इससे बड़ा इनऐफीि ाऐसी का सर्टिफिकेट कोई और नही मिल सकता। यह सर्टिफिकेट हमारी प्रधान मंत्री ने दिया है। जब इस सरकार से राई के खेल वापिस ले लिए तो उसके बारे मे ये क्या

ज्स्टीफिके ान देना चाहते है। यह इनकी इनऐफीि ाऐसी का सब से बड़ा सबूत है। इस दे ा की प्रधान मंत्री ने राई खेल इस सरकार से वापिस ले कर दिल्ली को दे दिये। अगर कोई गैरत वाला मुख्यमंत्री होता तो उसी समय अड़ जाता कि राई मे खेल होने चाहिए या कहता कि बहिन जी यह लो मेरा अस्तीफा। अस्तीफा उठा कर उसके मुंह पर मारता कि मै मुख्यमंत्री नही रहना चाहता लेकिन ये सारे अधिवे ान मे चुप बैठे रहें।(घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, हमें पूरे अधिवे ान मे कोई मौका नही होता जब हम अपनी बात को कह सके। इसलिए मै कह रही थी कि मुझे आप उस मो ान पर बोलने देते क्योकि सरकार तो सरकारी प्रस्ताव या सरकारी बिल ले आती है और अपोजी ान वाल अपनी बात कह सकते है। हमारें लिए वीरवार की बचता है जिस दिन हम कोर्ठ चीज ला सकते है। मैने उस दिन इन सब चीजों की चर्चा करनी थी।। अब आप देखिए डबवली की रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन कोई फालो आप एक ान अब तक नही हुआफ हाउस मे उसकी रिपोर्ट अब तक प्लेस नही की गई जिस पर हम चर्चा कर सकें। इसी प्रकार से प्राइवेट कालेज के अध्यापकों के बारे मे था कि उनको सरकारी खजाने से तनखाह दिलायी जायेगी इस बारे मे भी गैर सरकारी प्रस्ताव लाना चाहते थें क्योकि यह बात तीन वर्श पुरानी चली आ रही थी। उस पर हमें चर्चा का मोका नही मिला। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि सप्लीमैटरी ऐस्टीमेटस के द्वारा पेसा मंजूर करवाने की परम्परा गलत है क्योकि यह अनफोरसीन एक्सपैंडीचर नही है। मै वित्त मंत्री जी से कहुंगी कि उनका ऐसा विनियोग विधेयक नही लाना चाहिए। मै सदन से गुजारि ा करूंगी कि जब इसको सरकार पास करवाये तो उस

टाईम पर जोर से ना कहे क्योकि इन्होने पास तो करवा ही लेनी है कम से कम अपना विरोध प्रकट करके जोर से ना कहें और ना मंजूरी की सिफारि ा करें। अपने सामने मायक रख कर जो से ना कहें। इन भाब्दों के साथ मै इस विनियोग विधेयक का पुरजोर विरोध करती हूं।

डा. मंगल सैन (रोहतक): डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे वित मंत्री महोदय एप्रोप्रिए ान बिल न.5 की 69 लाख 62 हजार 655 रूपये की डिमान्ड हमसे पास करवाना चाहते है और उसके लिए सदन की स्वीकृति चाहते है। इस डिमान्ड को ये सप्लीमैंटरी एस्टिमेटस के माध्यम से सदन के सामने लाये है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जब सत्र हुआ था तो उस समय मुख्यमंत्री जी की तरफ से यह कहा गया था कि हरियाणा के अन्दर एक बहुत अच्छी सरकार बन गई है। लेकिन मै बताना चाहता हूं कि उस समय जो सरकार बनी थी यह थोक मे दल बदल करके जो गए थे उनके कारण बनी थी।(ाोर एवं व्यवधान) वर्मा साहब आप तो कम से कम मुछे और साफे के साथ न बोलें। (ाोर) तो डिप्टी साहब मै कह रहा था कि हमे वि वास नही था कि मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी के साथ किए गए कार्यों का फल हमारे सामने ही आयेगा कि ये महानुभाव इनके साथ कांग्रेस मे भाामिल होगें। डिप्टी स्पीकर साहब, इनको अभी तक कांग्रेस मे भाामिल नही किया गया है। किसी ने कहा कि इन को आल इन्डिया लेवल पर कांग्रेस कमेटी का मैम्बर बना दिया गया है। तो फिर डिप्अी स्पीकर साहब, इनको अखबार वालों ने घेर लिया। इसलिए डिप्टी स्पीकर साहब, ...
(ाोर एंव व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker: Doctor Sahib, Please wind up.

डा. मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मै अपनी बात पर आ रहा हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, ये कांग्रैस मे चले तो गए तो लेकिन इब इनका वहां रहना बड़ा मुि कल हो रहा हैं। अब इनको कोई रास्ता नही सुझ रहा है। जब ये आपस मे एक दूसरे के साथ टकराते है तो आपस मे बहुत गुथमगुत्था होती हैं। इस गुथ्मगुत्था मे एक भजन लाल की जय कहता है तो दूसरा श्री बंसी लाल की जय। इन दोनों का आपसा मे खूब जुत बजता है रोहतक मे भी बजा, लेकिन वहां पर बचाव हो गया। डिप्टी स्पीकर साहब, उस बचाव के लिए केन्द्र से राज्य मंत्री श्री मकवाना को भेज गया और वे ठहरे भी वहां पर जहां पर बाबा जी की जमीन जबरदस्ती चौधरी बंसीव लाल ने छीन ली थी। अब ये कल्याण की बात कर रहे है। श्री बंसी लाल ने अपनी दु मनी निकालने की वजह से ही बाबा जी की जमीन छीनी थी। उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। चाहे वह सरकार कांग्रेस 'आई' की हो या कांग्रेस 'यू' की लेकिन सरकार कांग्रेस की थी। जो जमीन जबरदस्ती हथियाई गई थी उसका मुआवजा भी डिप्आी स्पीकर साहब, इन्होने पूरा नही दिया था। *(ोर) यह बड़े भार्म की बात है। (ोर)

मुख्यमंत्री(चौधरी भजन लाल): डिप्टी स्पीकर साहब, जो आदमी हाउस मे नही है और उसका नाम हाउस मे लिया जा रहा है तो यह ठीक नही है। इसको इस प्रकार किसी व्यक्ति का जो हाउस मे

नही है, नाम नही लेना चाहिए। (ाोर) इसलिए इन भाब्दो को एक्सपंज किया जायें।

श्री उपाध्यक्षः रोहतक डी.सी. के बारे मे जो कुछ कहा गया है उसे एक्सपंज कर दिया जायें।

Dr. Mangal Sein: Sir, I am not saying anything which is irrelevant. It is fact that the * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * I cannot say what is the reason behind that. तो डिप्टी स्पीकर साहब, यह चाहते है कि हम इन्हे और 26,87,810 रूपये की जो मांग की गई है उसकी इजाजत दे दें। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः डा. साहब आप जल्दी खत्म करें।

डा. मंगल सैनः: डिप्टी स्पीकर साहब, मै तो लम्बा खीचता ही नही हूं। अभी खत्म कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्षः इस पर आधा घंटा के लिए ही समय रखा गया था।

डा. मंगल सैनः: आज तो चीफ मिनिस्टर साहब और फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने रोटी दे रखी हैं। तो मै निवेदन करता हूं कि इस मे जो कम्पलीके ान है इसके बारे मे, मुख्यमंत्री महोदय सदन मे वक्तव्य देकर स्थिती को स्पशट करें। एक बात और कहना चाहता हूं वह यह है कि अब सी.एम. साहब रोहतक डी.सी. को कहेंगे कि डा. मंगल सैन आपके आपके खिलाफ हाउस मे यह कह रहा था। ये मेरे से अच्छी तरह से जानते है वह कैसे है? मैने काफी कह दिया

हैं।(ाोर) बहन जी आप ज्यादा न बोले। आपके बोलने से यह मजमूल खराब हो जायेगा। (ाोर) चौधरी भजन लाल जी यहां पर तो बड़ी डींगेव मारते फिरते है कि हमने यह कर दिया वह कर दिया लेकिन मै हाउस को यह बता दनेा चाहता हूं कि जो भी अच्छा काम अब यह कर रहे है, यह जनता पार्टी की सरकार के समय भाुरू किया गया था या उसकी स्कीमें बनाई गयी थी। अब तो ये उस पर अमल कर रहे है। इनकी भी मजबूरी है। इनकी हिम्मत नही पड़ती कि प्रधान मंत्री जी से जाकर कुछ कहें। सारा सदन इस बात को जानता है कि इस सदन ने हरियाणा में बहूं–बेटियों का अपने बाप की जायदाद मे नही बल्कि उनके सुसराल मे हिस्सा होना चाहिए। यह बिल पास किया था। लेकिन यह उसे भी असैन्ट नही दिलवा सके। क्या यह पिछले 10–11 महीने से दिल्ली गये ही नही? इनके दिल्ली के इतने ट्रिप लगे है कि इनके प्रोग्राम से पता चल जायेगा। वहा पर इनकी नजर भरी नही कि यह प्रांत मे वापिस आ जाते है। वहां पर इनके भाुभचिन्तक है सुलतान सिंह और मनीराम गोदारा जी, क्योकि वह सदन के मैम्बर नही है। इसलियसें मै इससे ज्यादा उनके बारे मे कुद नही कहता। इनकी सेवा तो कल ही पार्टी मीटिंग मे भी हो चुकी है। मै यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह तो बहुत अच्छा किया गया हैं जो वीकर सैक ान्ज के लिये एक कार्पोरे ान बनायी गयी है। जो उस कार्पोरे ान का अध्यक्ष बनाया गया है। है वह तो मेरे ही गांव का रहने वाला हैं। मै उस के बारे मे व्यक्तिगत रूप से कुछ नही कहना चाहता क्योकि आपने उसे बना दिया है। मै तो सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि पिछड़ी हुई जातियों के विकास के लिये बक कार्य होग, कब यह कार्य भाुरू होगा?

वित मंत्री जी ने इस बारे मे तो बजट बना दिया, अगली बार पता नही यह बजट पे ा कर पायें या न कर पाये? बजट नही बनेगा। तो फिर इस कार्पोरे ान के लिये पैसा कैसे आयेगा? अगर बीच मे ही इनको चलता कर दिया गया तो कैसे बजट बनेगा? (व्यवधान व भाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, हम वेसे ही नही कहते, अखबार वाले छापते हैं। (विध्न)

चौधरी उदय सिंह दलालः अब तो समझौता हो गया है।

डा. मंगल सैनः दलाल साहब मै यह मानता हूं कि आपकी जानकारी मुझसें ज्यादा है लेकिन मुझे भी थोड़ी–थोड़ी हैं। पहली बात तो आप जानते है कि वे अब ज्यादा देर रह नही सकते, यह भी पता नही सकते, यह भी पता नही इतने दिन तक कैसे रह गये है, यह बड़े ताज्जूब की बात है। (व्यवधान व भाोर) भाराब के मजमून पर ता हम बाद मे आने वाले हैं। इसे क्यो अब छेड़ा जायें। आज प्रदे ा मे गरीब लोगो के लिये आआ नही, चीनी नही जो कि लगभग दो महीने से गायब है, डीजल मिलना भी बन्द हो गया है। फिर इसके लिये लाईने लगनी भाुरू हो गयी है। सारे प्रदे ा के अन्दर इस सरकार की कोई कार्य–कु ालता नही है। हमे तो यह भी पता नही अगला बक अवसर मिलेगा। इसलिये मै यह निवेदन करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके, इस तरह की सरकार को चलता किया जाये, यह अच्छा होगां इससे जनता को राहत मिलेगी। धन्यावाद।

स्वामी आदित्यवे ा (हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा मे एक नयी फिल्म बन रही है, बहुरानी। डाक्टर मंगल सैन बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं? मै यह रिक्वैस्ट करूंगा कि यह उसमे एक्टिंग कर लें। (व्यवधान व भाोर)

डा. मंगल सैनः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उस फिल्म मे एक्टिंग करने मे कोई संकोच नही ब ार्ते कि स्वामी आदित्यावे ा जी उनमें दुल्हिन का रोल अदा कर लें। (हंसी व भाोर)

स्वामी आदित्यवे ाः बहुत अच्छा होगा, यदि डाक्टर साहब उसमे जानीवाकर का रोल अदा करें।

श्री उपाध्यक्षः आर्डर प्लीज, स्वामी जी मांगो पर बोलियें।

स्वामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सदन मे अनुपूरक मांगे रखी गयी है, मै इन पर कुछ कहना चाहता हूं। यह सारी मांगे कुल 69,62,655 रूपये की है और इनमे से 68,62,655 रूपये ऐसे है जो किसानों को दिये जा रहे है। एक तरफ तो यह किसानों का दम भरते है कि उनका भाोशण किया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ उनकों दिये जाने वाले पैसे का विरोध कर रहे है। जब सरकार किसानों को बढा हुआ मुआविजा देती है तो यह कहते है कि यह पैसा क्यों दिया जा रहा है। (व्यवधान एवं भाोर) उपाध्यक्ष महोदय, 1972, 1973 और 1974 मे इनके द्वारा किये गये कबाड़ों का समाधान अब सरकार कर रही है।

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे माननीय सदस्य जो एम.एल.ए. होस्टल

के अन्दर * इन्होने यह कहा कि यह पैसा किसानों को दिया जा रहा है, उनकी जमीन ली गयी थी, उसका पैसा दिया जा रहा है। उन्होने यह पैसा हाई कोर्ट से लड़कर और सुप्रीम कोर्ट से लड़कर लिया है, यह उनका हकप था जो उन्हे दिया जा रहा है कोई खैरात नही दी जा रही हे। (व्यवधान एवं भाोर)

स्वामी आदित्यवे ाः मै यह मानता हूं कि मै तो * * * * * * * * * आपको अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो सांयकाल मेरे पास आ जायें, मै आपको दिखा दूंगा। (व्यवधान एवं भाोर) यह जो बैकवर्ड क्लासिज के लिए कार्पोरे ान बनाने का प्रावधान किया जा रहा है, यह तो एक अच्छा कदम है लेकिन यह अपोजी ान के भाई तो वह लोग है जो उनको वोट भी नही डालने देते। उन्हे वोट सडालने के लिए खड़ा भी होने देते। (व्यवधान एवं भाोर) उपाध्यक्ष महोदय, अपने व्याख्यान के दोरान बहिन सुशमा स्वराज जी ने कुछेक बाते कही। उन्होने यह भी कहा कि मेवात विकास बोर्ड क्या बनाया गया, वह भी काफी लेट बनाया गया। मै उन्हे यह बता देना चाहता हूं कि यह बोर्ड क्यों बनाया गया? आज से पहले किसी सरकार ने क्यों नही बनाया? मै उन्हे ये बता देना चाहता हूं कि यह मेवात विकास बोर्ड का गठन बजट के बाद किया गया ओर जैसे ही इस बोर्ड के गठन का फैसला किया गया, 1979 मे सरकार बदल गई। जैसे ही चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने, इन्होने यह एलाल किया कि इस प्रदे ा मे जो गरीब लोग है उनको विकसित करने के लिये हम एक बोर्ड का गठन करने जा रहे है जिसको नाम मेवात बोर्ड ने इस सारे इलाके के विकास करने के लिए हम एक

बोर्ड का गठन करने जा रहे है जिसका नाम मेवात विकास बोर्ड होगा। उासके बाद वह बोर्ड बन गया। (व्यवधान एवं भाोर) उसके बाद उस बोर्ड बोर्ड ने इस सारे इलाके के विकास करने के लिये कार्य करना भाुरू कर दिया। उससे सारे इलाके की जनता को फायदा पहुंचेगा। मुझे यह कहते हुए भार्म आती है कि जब चौधरी देवी लाल मुख्यमंत्री थें, उजीना डाईव र्ान ड्रैन पर काम चल रहा था, उस समय वहां पर बौलते हुए उन्होने यह कहा कि यहां पर तो मेव बसते है। (व्यवधान एवं भाोर)

Voices from the Opposition: He is misleadign the House.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्वामी जी, क्या सारी बाते गल्त बोलने का ठेका ले लिया है? (व्यवधान एवं भाोर) स्वामी जी कहलाते हो, और सारी बात हाउस मे गल्त बोलते हों He is misleading the House, Sir. (Interruptions & Noise)

स्वामी आदित्यवे ा द्वारा चौधरी संत कवर के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की वि ोशाधिकार समिति को सौपना

13.00 बजे

चौधरी संत रामः मेरा प्वायंट आफ आर्डर है (भाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, मै आपकी रूलिंग चाहता हूं। डिप्अी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जिस आदमी ने (भाोर) सुनिये भाई, जो हरियाणा का ब ान्दा न हो, बाहर का रहने वाला हो और जिसने साधु का भेश बनाकर के (व्यवधान एवं भाोर) . . . .

स्वामी आदित्यवे ा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर . . . .

.

चौधरी संत कंवर: भाादी कर रखी हो और उसके बच्चे भी होंग, यहां असैम्बली मे साधु का भेश बनाकर * * ** * * * ** * बोले उसको यहां हाउस से निकाला जाना चाहिए। (भाोर)(घंटी)।

स्वामी आदित्यवे ा: चौधरी संत कवंर ज्यादा बढ़कर बोल रहे है जब ये ऐग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरे ान के चेयरमैन थें। (व्यवधान एवं भाोर) . .. .

श्री उपाध्यक्ष: नो प्वायंट आफ आर्डर । (भाोर)

स्वामी आदित्यवे ा: (व्यवधान एवं भाोर)

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज, स्वामी जी यह रिकार्ड मे नही आएगा। (व्यवधान एवं भाोर) यह ऐक्सपंज कर दिया जाए (व्यवधान एवं भाोर) यह मैने ऐकसपंज करा दिया हें (व्यवधान एवं भाोर) लिखकर दे दीजिए।

चौधरी संत कंवर: मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वह एक कमेटी बनाए। (व्यवधान एवं भाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, यह मामला प्रिविलेज कमेटी को जाना चाहिए। वहां पर यह फैसला हो जाएगा। यह मामला प्रिविलेज कमेटी को भेज दीजिए। (व्यवधान एवं भाोर) मै मुख्यमंत्री को औफर करता हूं कि एक कमेटी बनाई जाए जो इस मामले की छानबीन करे। (व्यवधान एवं भाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, स्वामी जी

ने पांच लाख रूपये का तेल बेचा है। मै इसको साबित करूंगा। (व्यवधान एवं भाोर)

मुख्यमंत्री(चौधरी भजन लाल): आन ए प्वायंट आफ आर्डर . . . . . .

डा. मंगल सैनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर (व्यवधान एवं भाोर)

श्री उपाध्यक्षः डा. मंगल सैन . . . .

डा. मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मै आपकी रूलिंग चाहता हूं कि इस औगस्ट हाउस मे माननीय सदस्य ने एक आक्षेप लगाया कि इन्होने अपने एक काम मे पचास हजार रूपया कमाया उन्होने इस बात को स्वीकार किया है। उन्होने कहा है कि मामला प्रिविलेज कमेटी को दिया जाए। उन्होने कहा है दे दिया जाए (व्यवधान एवं भाोर) दोनो मान गए है।

श्री उपाध्यक्षः जो उन्होने का था मैने उसी वक्त ऐक्सपंज करा दिया गाि उसके बाद (व्यवधान एवं भाोर)

स्वामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, इन्होने पचास हजार रूपया कमाया हैं. . . . . .

डा. मंगल सैनः ये अब भी स्टैंड पर रहे है। हाउस मे इन्होने कहा है, अब भी कह रहे है। (भाोर)

श्री उपाध्यक्षः मैने कहा है कि वे ऐलीगे ान लिख कर दें।

डा. मंगल सैनः वह कह रहे है जी, वह कह रहे है। (भाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः वह तो अब भी कह रहे है जी। (व्यवधान एवं भाोर)

चौधरी भजन लालः एक सैकिन्ड सुनिए। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री उपाध्यक्षः मैने उन्हे कहा है कि ऐलीगे ांन लिखकर दें।

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, मै डा. मंगल सैन की बात की ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दोनो सदस्यों ने इस बात को माना है कि यह मामला प्रिविलेज कमेटी को जाना चाहिए। तो मेरी भी प्रार्थना है कि यह मामला कमेटी को दे दिया जाए। (थम्पिंग)

श्री उपाध्यक्षः मैने इनके वह ऐलीगे ान ऐक्सपंज करा दिए थे। अगर हाउस की ऐसी मंर्जी है कि यह मामला प्रिविलेज कमेटी को दिया जाए। (भाोर एवं व्यवधान)

कुछ आवाजें: दे दिया जाए, दिया जाए।

श्री उपाध्यक्षः तो यह फिर दुबारा ऐलीगे ांज लगा दें। मामला प्रिविलेज कमेटी को दे दिया जाएगा। (भाोर एवं व्यवधान)

चौधरी संत कंवरः मै यह ऐकसैप्ट करता हूं।

स्वामी आदित्यवे ा: उपाध्यक्ष महोदय, मै बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि संत कंवर जी जब ऐग्रो इण्डस्ट्रीज के चेयरमैन थे तो डीजल इंजन की डीलिंग मे और आम की डीलिंग मे कम से कम पचास हजार रूपया लिया है ऊपर सें। अगर इनकी सारी सम्पति आंकी जाए तो इन्होने पांच लाख रूपया दोनो भाईयों ने संत कंवर और जय कंवर दोनों ने मिलकर पाच लाख रूपया हरियाणा ऐग्री इण्डस्ट्रीज से कमाया है। (भाोर एवं व्यवधान)

कई आवाजें: यह संत कंवर की बात है जय कंवरप की बात है। (भाोर एवं व्यवधान)

ट्रेजरी बेचिंज की तरफ से आवाजें: ना ना संत कंवर की बात है। (भाोर)

स्वामी आदित्यवे ा: मै आखरी बात कहकर बैठ जाना चाहता हूं। (भाोर एवं व्यवधान) पांच लाख रूपया (भाोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इन्होने ट्रक खरीदा, इन्होने मेटाडोर गाड़ी खरीदी, इन्होने कार खरीदी, रोहतक मे कोठी बनाई (भाोर एवं व्यवधान) इन्होने एक ट्रैक्टर भी खरीदा। यह देखा जाना चाहिए कि यह सारी सम्पति एम.एल.ए. बनने के पहले थी या बाद मे बनाई हैं। अगर इन सब चीजों की कीमत आंकी जाए तो पांच लाख रूपए से कम कीमत नही है।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मै आपसे एक रूलिंग चाहूगा। अभी आपने यह कहा कि जो इन्होने कहा था वह मैने ऐक्सपंज करा दिया है। उसके बाद आपने यह कहा कि अगर यह रिपोर्ट करे तो

बात आगे आएगी। तो उपाध्यक्ष महोदय मै आपसे यह रूलिंग चाहूंगा कि क्या चेयर यह कह सकती है एक माननीय सदस्य को कि वह जो ऐलीगे ान लगाए थे और ऐक्सपंज हो गए उनको रिपिट किया जाएं। (भाोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः अगर हाउस की ऐसी इच्छा है और दोनो चाहते है तो वह रिपीट कर सकता है। (भाोर एवं व्यवधान) पास्अ प्रिसिडेन्ट को देखते हुए मै इस मामले को प्रिविलेज कमेटी को रेफर करता हूं। . . . .

श्री सुरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात है. . . . .

श्री उपाध्यक्षः और इसकी रिपोर्ट अगले सै ान मे पे ा करें। (भाोर एवं व्यवधान)

आवाजें: जो बात ठीक है वह सामने आ जाएगी।

श्री सुरेन्द्र सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर, डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है वह फैक्ट क्या तो मो ान है, क्या सबजैक्ट मैटर है और हाउस के पास क्या इ ू इन इन डिस्पयूट है। इस चीज को क्लीयर कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः जो बात स्वामी जी ने कही है वह एज इट इज कार्यवाही में है, वह सारी रिकार्ड कर ली गई है। (व्यवधान)

आवाजें: आन ए प्वायंट आफ आर्डर । (भाोर एवं व्यवधान)

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 5) बिल, 180 (पुनरारम्भ)

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि हरियाणा विनियोग (सं. 05) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

श्री जय नारायण वर्माः डिप्टी स्पीकर साहब, मै इस बिल पर बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः आप कौन सी क्लाज पर बोलना चाहते है? आप कल परसों ग्यारह मिनट बोल चुके है। आध घंटा इस बिल के लिए था। मैने एक घंटा दिया है। (भाोर एवं व्यवधान) आज बहुत इम्पौरटैंट बिल आ रहे है आप उन पर बाले लीजिए।

श्रीमती सुशमा स्वराजः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। आप बिल को क्लाज बाई क्लाज टेक–अप करने जा रहे है। इससे पहले डिबेट को सम–अप करते हुए वित मंत्री जो जवाब दे देते। आपने क्लाज बाई क्लाज पहले ही टेक–अप करवा दिया है. .. . .

श्री उपाध्यक्षः लास्ट मे जवाब दे देगें।

श्रीमती सुशमा स्वराजः सम–अप करते हुए वित मंत्री तो जवाब दे देते। अभी वित मंत्री की ओर से जवाब तो, आया नही है। जब वित मंत्री का जवाब आ जाए तक आप क्लाज बाई क्लाज टेक–अप करिए। (भाोर)

श्री उपाध्यक्षः वह लास्अ मे जवाब दे देगे। अब बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार होगा।

Sh. Baldev Taya: Mr. Deputy Speaker, Sir, if the Finance Minister does not reply the debate, it is taken for granted that the points raised by the opposition are correct and true.

Mr. Deputy Speaker: It is not so that all the points are correct.

श्रीमती सुशमा स्वराजः आप क्या क्या समझते है कि हमने सारी अनावयक चीजें उठाई है? (भाोर)

श्री उपाध्यक्षः आप बैठिएं अब सदन बिल को क्लाज बाई क्लाज टेक–अप करेगा।

क्लाज 2

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, मै इस क्लाज पर बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः हीरा नन्द आप बोलिए।

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, ...

चौधरी रीजक रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, मै तो उसी वक्त खड़ा हुआ था जिस वक्त आप उस मामले को प्रिविलेज कमेटी को सौंपने जा रहे थें वैसे तो आपको अधिकार है लेकिन मै एक बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः मै आपके प्वायंट आफ आर्डर को डिसअलाउ करता हूं।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, वित मंत्री महोदय ने जो यह बिल पे ा किया है, उसमे एक विधवा को 9420 रूपये का कंपनसे ान दिया गया है। मै समझता हूं कि यह कंपनसे ान बहुत कम है। हो सकता है कि उस विधवा को इस के लिए कोर्ट की भारण लेनी पड़े। मेरा वित मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस तरफ ध्यान दे क्योकि यह रा ि ा बहुत ही थोड़ी है। सरकार को देखना चाहिए कि इस तरह के कंपन्से ान के लिये किसी भी गरीब आदमी को कोर्ट का मुहं न देखना पड़े। दूसरी बात मै कहना चाहता हूं कि कई जगहो पर लाखों रूपये की हेरा फेरी हो रही है, अगर सरकार उनकी तरफ ध्यान दे तो सारी हेरा फेरी खत्म हो सकती है। मै आपको बताता हूं कि पिछली दफा भिवानी मे एक्साईज विभाग वाले ने रेड किया था और वहां पर 24 बोगस फर्में पकड़ी गई थी। यह 18 लाख रूपये का मामला है और इस मामले मे दो एक्साईज डिपार्टमैंट के अधिकारियों को वहा से ट्रान्सफर कर दिया गया ताकि सरकार की इच्छा के अनुसार फैसला करवाया जा सके। उन अफसरों को टेलीग्राफीकली ट्रान्सफर की गयी। मै आपको बताता हूं एक सुभाश चन्द्र

सज्जन कुमान अनाज मंडी, भिवानी के हैं, उनके खिलाफ 18 लाख रूपये का मामला हैं। (भाोर)

आवाजें: डिप्टी स्पीकर साहब, आप कौन से सबजैक्ट पर बोल रहे है?

श्री हीरा नन्द आर्य: मै तो सूझाव दे रहा हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे तो लाखों करोड़ो रूपये की रिकवरी हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष: आर्य साहब, आप अपने सुझाव तो मिनिस्टर साहब को लिख कर भेज देवें।

श्री हीरा नन्द आर्य: उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोय इस मामले मे मजबूर है क्योंकि एक और पार्टी फतेहाबाद की है जोकि इन लोगो के रि तेदार है। . . . .(भाोर) अगर ये चाहे तो मै नाम भी बता सकता हूं। (भाोर) इंक्वायरी करवाएं तो सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा करने से सरकार को बहुत लाभ हो सकता है। (भाोर)

श्री उपाध्यक्ष: आप अपने सुझाव सरकार को लिख कर भेज देवे तो ठीक रहेगां।

श्री हीरा नन्द आर्य: अब मै उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज 2 पर अपने विचार रखूंगा। इसके अन्तर्गत मै वित मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि भिवानी के सारा जिले मे कहत पड़ा हुआ है ओर लोग रिलिफ की मांग कर रहे है। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ ही नही किया जा रहा हैं। लोगों की लाखो करोड़ों रूपये की जमीन इस

सरकार ने एक्वायर कर ली है और उसके बदले मे सरकार ने जितना लोगों को मुआवजा दिया है, वह बहुत ही कम दिया है। पिछले महीने चौधरी ि ावराम वर्मा जी वहां गये थे, उनको सारे केस का पता है। इसलिये मेरी सरकार से यह रिक्वैस्अ है कि जिल लोगों को उनकी जमीनों का सही मुआवजा नही मिला है उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैने सरकार को लिखित रूप मे भी अपना प्रस्ताव भेजा था कि प्रकृति के प्रकोप के कारण लोगों को काफी नुक्सान हुआ हैं, उन्हे सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कार्यवाही नही की गयी है। मै सरकार को यह बताना चाहता हूं कि अगर लोगों की मदद न की गई तो लोग बरबाद हो जाएगे।

श्री जय नारायण (बरवाला): उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का समय समय दिइया। पिछले मार्च के अधिवे ान के अन्दर एक रेजोलू ान लाया गया था कि पिछड़े वर्गों जिनकी आबादी आज एक तिहाई है, की भलाई आर्थिक और औधोगिक उन्नति के लिये एक निगम बनाचा जाएगा और मुख्यमंत्री महोदय ने भी इसी उदे य को लेकर आ वासन भी दिया था कि इस तरह का एक निगम बनाया जाएगा। अब यहां पर जिक्र आया है कि ये पिछड़े वर्ग कौन कौन हो सकते है। हमारे विचार मे जो सो ाली और ऐजूके ानली बैकवर्ड होगे उन्ही को ही बैकवर्ड माना जाएगा लेकिन अब यहां पर बैकवर्ड निगम के नाम के साथ इकनोमीकली वीकर सेन्क ान्ज का नाम भी जोड़ दिया गया हैं, ऐसा करके हमने बैकवर्ड

क्लास के लोगों को उनके पूरे हकों से वंचित कर दिया है। इसलिये मेरी इस सदन से ओर मुख्यमंत्री महोदय से यह प्रार्थना है कि वे इस तरफ ध्यान दे ताकि बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के हकों की पूरी पूरी रक्षा की जा सकें। (भाोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री(चौधरी भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कार्पोरे ान बनायी गई है यह बैकवर्ड क्लासिज के लोगो के लिये बनायी गयी है इक्नौमीकली वीकर सैक ान गल्ती से एड हो गया है। हम इस को डिलीट कर देगें।

चौधरी संत कंवर (हसनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मै एग्रीकलचर की डिमांड न.2 पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि सरकार लाखों रूपये का जो पब्लिक मनी है, उसको यूहि वेस्अ कर रही है, जिसकी निन्दा करते हुए हम सरकार के इस काम को कंडम करते है कि सरकार लोगो की भलाई के लिए कुछ भी नही कर रही है। मै इसी बारे मे आपको बताना चाहता हूं कि सरकार पिंजौर गार्डन मे एक बाग के लिए पैसा मांग रही है ताकि वहा एक सुन्दर सा बाग अमीरों के लड़को और लड़कियों के लिये बनाया जो सके। जहां अमीरों के लड़के लड़कियों के मौज मेलों के लिये किया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस के लिए साढे 12 लाख रूपये की रा ि ा मांगी गयी है। दूसरी तरफ आप देखें कि आज हरियाणा का किसान इतना दुखी है कि उसको उसके गन्ने की पूरी कीमत नही मिल रही है और मिले उसका गन्ना नही ले रही है और वह बेचारा उस गन्ने को आग लगाने के लिये तैयार हो रहा हैं। इसलिएण मेरा सरकार से सुझाव है कि उसको इस तरह से

गरीब किसानों के साथ खिलवाड़ नही करना चाहिए। (भाोर) गरीब जनता का पैसा इस तरह बेरहमी से खर्च नही करना चाहिए। (भाोर)

कृशी मंत्री(सरदार तारा सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, ये सरासर गल्ज बोल रहे है। हरियाणा मे पांच मिलें पूरी तरह से चल रही है ओर मिलों को पूरा गन्ना मिल रहा है। ये हाउसक को मिस गाईड कर रहे है।(भाोर)

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है बिल्कूल गलत है। कोई भी मिले पूरी कपैसिटी से नही चल रही है। रोहतक सोनीपत की ही मिलें बन्द पड़ी है और पानीपत भाूगर मिल मे बहुत कम गन्ना आ रहा है। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी उदय सिंह दलालः: उपाध्यक्ष महोदय, ये कहते है कि रोहतक और सोनीपत की मिलें चल रही है मैं कहता हूं कि बन्द है। यह गल्त कहते है अगर मेरी बात गल्त निकले तो यह त्याग पत्र दे दें अगर ये सही निकले तो मै त्यागपत्र दे दूंगा। मै तो यह भी कहता हूं कि यह मामला भी प्रिविलिज कमेटी के सपुर्द कर दिया जाए। (ाोर)

सहकारिता तथा योजना मंत्री(ठाकुर बीर सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, अभी मलिक साहब कह रहे थे कि कोई मिल भी कपैसिटी के मुताबिक नही चल रही है, यह बात गल्त है। करनाल भाूगर मिल मे कपैसिटी से ज्यदा गन्ना आ रहा है अगर ये डिटेल देखना चाहे तो मै अभी बता सकता हूं, मेरे पास फिगर्ज मौजूद है। मै इनको डेटवाईज

बता सकता हूं। सोनीपत 11 तारीख की रात को चली और रोहतक कल दिन के 11 बजे चल चुकी है। (ाोर)

चौधरी संत कंवर : उपाध्यक्ष महोदय, रोहतक के अन्दर सोनीपत के अनदर जिला अधिकारियों ने किसानो को बुला कर धमकाया है और जेलों का भय भी दिया है। पंचों और सरपंचों को बुलाकर भी धमकाया गया है कि आपको ससपैन्ड कर देगें वरना किसानों से गन्ना दिलवाओ इस प्रकार से किसानो पर पंचो ओर सरपंचो पर डांट मारी जा रही है। गरीब किसानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा हैं जिस तरीके से जनता को यह सरकार तंग कर रही है, लोग इस सरकार को कभी भी माफ नही करेगे और आने वाले चुनावों मे सभी हार जाएगें। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ि ाड्यूल

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि ि ाड्यूल बिल का ि ाड्यूल हों।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि टाइटल बिल टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित मंत्री (लाला बलवन्त राय तायल): उपाध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, मै केवल एक बात कहना चाहता हूं कि मैने जो अपना प्राईवेट रैजोल्यू ान भेजा था उसमें मैने यह बात कही थी कि जहां बैकवर्ड क्लासिज के लिये रिजर्वे ान की जाती है उसमे इन्कम टैकस वाला तथा गजेटिड आफिसर भाामिल नही होना चाहिए। मै चाहता हूं कि इस बात पर भी मुख्यमंत्री जी गौर करें।

चौधरीव गंगा रामः डिप्टी स्पीकर साहब, आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर पर .. . .(ाोर)

Mr. Deputy Seaker: Ganga Ram Ji] I will have to name you. Please Maintain the decorum of the House for which you have alreadcy been requested. Please take your seat now. (Interruptions) I will have to take action against you if you compel me to do so.

वाक आउट

चौधरी गंगा रामः अगर आप मुझे बोलने के लिए समय नही देते तो मै एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करता हूं।

(इस समय चौधरी गंगा राम सदन से वाक आउट कर गए)

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 5) बिल, 180 (पुनरारम्भ)

लाला बलवन्त राय तायलः डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल मे वही बातैं है जो कल सप्लीमैंटश्री डिमांज मे आई थी। इन्ही डिमांडज पर कल भी कुछ सदस्यगण बाले थें और आज भी कुछ सदस्यगण बोले है। आज जैन साहब ने कुछ बाते कहीं। जैन साहब का ख्याल है कि लैंड का जो मुआवजा दिया गया है उसमें सरकार की तरफ से ठीक तरह से केस नही लड़ा गया ओर दूसरी तरफ सुशमा जी का ख्याल है कि मुआवजा थोड़ा दिया गया है, ज्यादा दिया जाना चाहिए था। डिप्अी स्पीकर साहब, आप जानते है कि मुआवजा देने की बात कोर्ट तय करती है। जैसे डी.सी. पहले मुआवजे की रकम तय करता है और अगर वह किसी को मन्जूर न हो तो वह हाई कोर्ट मे जाता है तो उसमे कोर्ट की मरजी होती है कि कितना मुआवजा देना है। इसके बाद आपने देखा होगा कि कोर्ट में फैसला होने मे कितना समय लगता है इस वजह से हमें उस रकम पर थोड़ा इन्ट्रैस्ट भी देना पड़ता है। इसमें लैंड के मुआवजे के लिये सारी रकम 6971060 रूपये की है ओर 9420 रूपये एक एक्सीडैन्ट की वजह से मुआवजा देना पड़ा। अगर श्रीमती सुशमा का ख्याल हो कि गवर्नमैंट इन बातों का पहल ख्याल रख कर बजट बनाए तो हम ज्योतिश के हिसाब से जो बजट बना नही सकते। हम तो फैक्टस और फिगर्ज के आधार पर बजट बनाते हैं। वैसे भी जो कोर्ट की डिग्री होती है वह वोटडि मानी जाती है। उसके बाद

जैन साहब, ने सीमेंट फैक्टरी, दादरी के बारे मे कहा। उसके बारे में मै इतना ही कहना चाहता हूं . . ..

बैठक का समय बढाना

श्री उपाध्यक्षः अभी हाउस के बिजनैस के बाद एक घंटे की डिस्क ान और होनी है इसलियें अगर हाउस सहमत हो तो सदन का समय 4 बजे तक के लिये बढा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्षः सदन की सिटिंग का समय 4 बजे तक के लिए बढाया जाता है।

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 5) बिल, 180 (पुनरारम्भ)

लाला बलवन्त राय तायलः डिप्टी स्पीकर साहब, मै दादरी सीमेंट फैक्टरी के बारे मे कह रहा था। उस फैक्टरी को सीमैंट एसोसिए ान ने अपनी लिस्ट मे ले लिया हैं और वह एसोसिए ान उस फैक्टरी का जल्दी चलाने की कोि ा ा करेगी। दूसरी बात कुछ सदस्यों ने ओलों के मुआवजे के बारे मे बात कही। औलों का मुआवजा चार सौ रूपये के हिसाब से मुकर्रर किया गया है और वह वक्त पर मिल जाएगा। जहां तक बैकवर्ड क्लासिज निगर के बारे का सम्बन्ध है उसके बारे मे मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दियाहे वकि इसके साथ से इकोनोमीकली वीकर सैक ान का नाम हटा देगें ओर इसका नाम सिर्फ बैकवर्ड कलासिज निगम ही रहेगा। इस निगम को

जो एक लाख रूपया दिया गया है वह सिर्फ उसको दफ्तर बनाने के लिये दिया गया है ताकि उनका काम चलता रहे वैसे हमारा दो करोड़ रूपया का नि ाना है और इसके अलावा भी अगर और जरूरत पड़ेगी तो जो हमारे बैंक्स है सरकार गारन्टी देकर उनसे और पैसा दिलवाएगी। उसके बाद डा. मंगल सैन जी बोले उनके मुकाबिले मे स्वामी आदित्यवे ा जी बोले ये दोनो बाल ब्रह्मचारी है और यह इनकी आपस की लड़ाई है, मैने इस बारे मे कुछ नही कहना है। अखिर में मै इतना ही कहुगां कि यह जो बिल है इसे पास किया जाए तथा आगे कार्यवाही ही जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलांउसिज एंड पैन ान आफ मैम्बर्ज) फिफ्थ अमैंडमैंट बिल, 1980

स्थानियस भाासन मंत्री (चौधरी खर ाीद अहमद): उपाध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य–भता तथा पैं ान) पांचवां सं ाोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य–भता तथा पैं ान) पांचवां सं ाोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः डिप्टी स्पीकर साहब, ये 300 रूपये ओमिट कर दिए जाएं और अपोजी ान लीडर को कार दी जाए।(ाोर)

श्रीमती सुशमा स्वराज(अम्बाला छावनी): उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्यो के मंत्री ने जो हरियाणा विधान सभा (सदस्य–भता तथा पैं ान) पांचवां सं ाोधन विधेयक 1980 सदन मे रखा है मै उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का आप्रे ान पार्ट यह है कि इस बिल के पास हो जाने के आद परिणामस्वरूप विपक्ष के नेता को एक कार रखने की सुविधा होगी और इसके साथ ही अगर कोई सदस्य टैलीफोन की सुविधा किसी अन्य स्थान या अपनी कांस्टीच्यूएंसी के अलावा चण्डीगढ़ मे लेना चाहे तो उसको सुविधा होगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसमे मेरी केवल मात्र एक गुजारि ा है कि यह बहुत विलम्ब से लाया गया है। यह बिल एक ऐसा बिल है जिसके बारे मे बहुत पहले यह चीज तय हो गई थी कि अपोजी ान के लीडर का रैंक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होगा और उसको भी वे सारी सुविधाए दी जाएगी जोकि एक कैबिनेट मिनिस्अर को दी जाती है। लेकिन बार–बार हमारे नेता को कभी चौधरी भजन लाल जी से और कभी स्पीकर साहब, से जा कर कहना पडा़ था। (ाोर एवं विघ्न) घबराओं मत यह बात सच्च है। बाबू मूल चन्द जैन जो इस बात को साबित करेगें। यह बात सैन्टर मे तय हो जाने के

बावजूद भी यह बिल बहुत विलम्ब से लाया गया है। इसके लिए मै यह कहूंगी कि इस सरकार की यह हालत है कि बकरी दूध तो दे मगर मिंगण मिला करके। यह हालत इस सरकार ने की हैं। यह बिल सरकार लाई तो जरूर है लेकिन बहुत विलम्ब से लाई हैं इस बिल को इतनी देर से लाने के लिये मै खेद प्रकट करती हूं ओर इसका समर्थन करते हुए मै अपना स्थान लेती हूं।

श्री हीरा नन्द आर्यः डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल के सम्बन्ध्या मे मैने एक अमैंडमैंट दी हुई हैं वह अमैंडमैंट बहुत साधारण अमैंडमैंट है। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः इस समय उसकी कोई स्टेज नही है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल के जरिए अपोजी ान के लीडर को जो फैसिलिटीज दी है आज तक हरियाणा की किसी भी सरकार ने ऐसी फैसिलिटीज अपोजी ान के लीडर को नही दी। इसलिये मै अपनी सरकार को बधाई देता हूं कि इस सरकार ने अपोजी ान के लीडर को यह फैसिलिटीज दी है। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, इसके साथ साथ मै यह कहना चाहता हूं जब से भारतवर्श आजाद हुआ है उस वक्त से एम.पी. और एम.एल.ए. को जो स्टेटस मिलना चाहिए था वह किसी भी सरकार ने नही दिया। इस बारे मे मैं अपने मुख्यमंत्री जी से , जोकि एक तगड़े चीफ मिनिस्टर है एक बात कहना चहूंगा कि एक छोटे से छोटा मुलाजि जैसे नहरी महकमा है इस महकमें मे जो आवरसीयर होताहै वह भी जीप लिए

फिर रहा हैं ओर हम लोग अपने हल्कों मे पैदल घूमते है, चाहे मैम्बर किसी भी पार्टी का क्यों न हो इसलिये मै चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि हर एम.एल.एज. किसी भी पार्टी का हो एक एक कार दी जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी बिलो डिगनिटी है यदि हमे कही जाना हो तो गाड़ी, ट्रैक्टर, रेहड़ा और रिक ाा किराये पर करने पड़ते है। इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है कि एम.एल.एज. को जो कांस्टीच्यूऐंसी अलाउंस दिया जाता है वह बन्द किया जाए ओर हर एम.एल.ए. को एक एक कार दी जाए चाहे वह लोकदल का एम.एल.एज. हो, चाहे काग्रेंस पार्टी का एम.एल. एज. हो और चाहे एम.एल.एज. हो और चाहे किसी भी पार्टी का हो सभी को एक एक कार लाउड स्पीकर लगा कर दी जाए। (ाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, श्री जय नारायण वर्मा ने बैकवर्ड क्लोसिज के लिये जो कार्पोरे ान बनी हैं उसके बारे मे कहा। मै बैकवर्ड क्लास के खिलाु नही हूं। जाति–पाति का सवाल मेरे दिमाग मे कतई नही है। डिप्टी स्पीकर साहब, 30 दिसम्बर 1968 मे कैथल के पास सिवन गांव मे सरकार ने जब हरिजनों पर गोली चलाने का हुक्म दिया था उस समय मैने हरिजनों के लिये अपनी हरिजनों पर गोली चलाने का हुक्म दिया था उस समय मैने हरियजों के लिये अपनी जान की बाजी लड़ा दी थी और मैने पंजाब मे जो कर अपनी जान बचाई थी। इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बैकवर्ड क्लासिज के लिए अलग कारपोरे ान बना दी जाए और जो वीकर सैक ान है, जैसे एक गरीब बनिया है या कोई गरीब जाट है या कोई ब्राहृाण है इन्होने क्या गुनाह किया है इनको भी सहायता मिलनी

चाहिए। सारे बनिए भी अमीर नही है और सारे जाट–ब्राहृाण भी अमीर नही है। इसलिए जो वीकर सैंक ांज है उनके लिये भी एक कारपोरे ान बनानी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, मै एक बार फिर अपने मुख्यमंत्री जी से प्राथ्रना करूंगा कि इस बिल के साथ आप यह भी एड कर दें कि हर एम.एल.एज. को एक एक कार दी जाएगी क्योंकि हमे अपनी कास्टीच्यूऐसी मे गए चार चार साल हो गए है और अब एक साल के बाद फिर इलैक ान होगे। (घंटी) हम पब्लिक के नुमायंदे है और पब्लिक की सेवा करते है उनके पास काम करते हैं इसलिए हर एम.एल.एज. को एक एक कार मे लाउड स्पीकर साहब, लगा कर और पैट्रोल तथा डिजल दिया जाए और इसी बिल मे मेरी ये बाते एड करके इस बिल को पास कर दिया जाए।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह(उचाना मण्डी): डिप्टी स्पीकर साहब, जो हरियाणा विधान सभा (सदस्य–भता तथा पैं ान) पांचवां सं ाोधन विधेयक सदन मे पे ा हुआ है। मै उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और अपने विरोधी पक्ष के भाईयों को यह बात भी याद दिलाना चाहता हूं कि राव विरेन्द्र सिंह वि ाल हरियाणा पार्टी के भाईयों को अपने साथ लेकर कांग्रेस पार्टी मे भाामिल हुए थें। उस समय हमने अपोजी ान के सभी 10 सदस्यों की एक सूची उस समय की जनता पार्टी की सरकार को दी थी जिसमे जो मेरे भाई उधर बैठै है, ये उस समय मंत्री भी थे और इनके मुख्यमंत्री भी थें। हमने इनसे कहा था कि हमारी पार्टी को रिकगनाईज किया जाए और हमारे लीडर को भी वे सभी फैसिलिटिज दी जाए जो अपोजी ान लीडर की होती है। लेकिन

इन्होने यह कह कर कि आपकी रिक्गनाइज्ड अपोजी ान नही बन सकती इसलिए आपके लीडर को वह फैसिलिटिज नही दी जा सकती। (विघ्न) मै चौधरी भजन लाल जी को बधाई देता हूं क्योकि उन्होनें यह एक अच्छा काम कर दिखाया है। अब तो अपोजी ान को इनके कार्य पर सन्तुश्टि होनी चाहिए और बधाई देनी चाहिए। लेकिन मै बाबू मूल चन्द जैन जी को यह बात भी कहना चाहता हूं कि उन्हे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं विघटन होकर के इनी संख्या 10 से कम न रह जाए और यह सहूलियसत छिन जाए। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः साहेबान, मुझे एक अनांउसमैट करनी है। मैम्बर साहेबान के लिये कैन्टीवन मे सनैक्स और कौफी आदि का इन्तजाम किया गया हैं। वे बारी बारी वहां जा सकते हैं।

एक सदस्यः इन्तजाम किसकी तरफ से है?

श्री उपाध्यक्षः मुख्यमंत्री जी की तरफ से।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह(उचाना मण्डी): उपाध्यक्ष महोदय, जैसे जगजीत सिंह पोहलूं अभी कहा, मै भी सरकार के नोटिस मे यह बात लाना चाहता हूं कि नागालैंड और मनीपुर जैसी विधान सभाओं मे, जहां 50–60 के करीब सदस्य है, हमे पता लगा है हर एम.एल.एज. को चाहे वह किसी भी पार्टी से सम्बन्ध रखता है, वह वैहिकल, जीप, या कार दी गई है। पैट्रोल आदि का सारा खर्चा गवर्नमैंट बरदा त करती है। अगर सहूंलियत हरियाणा के विधायको को दे दी जाए तो यह बहुत अच्छा सुझाव है। उससे उनके काम मे ऐफि ाएन्सी आएगी। पंजाब के अन्दर

भी, जों कि हमारी नेबरिंग स्टेट है, टेलीफोन काल्ज के जा ऐक्चुअल ऐक्सीपैंसिज होते है उन्हे सरकार वहन करती है। मै आपके द्वारा सरकार से निवदेन करूंगा कि हमारे जो सदस्य है उनको तीन सौ रूपये न देकर के जिनते रूपये ऐक्चुअली बनते है उस बिल की अदायगी सरकार द्वारा किए जाने की सहूलियत उन्हे दी जाए।

चौधरी उदय सिंह दलाल(बादली): सबसे पहले तो डिप्टी स्पीकर साहब, मै आपका भाुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इसमे कोई दो राय नही है कि यह जो बिल आया हैं इसकी हर मैम्बर को ताईद करनी चाहिए। चौधरी बीरेन्द्र सिंह और जगजीत सिंह पोहलू ने भी ठीक बात कही। लेकिन इसके बारे बारे मे मेरा सुझाव यह है अगर कोई एम.एल.एज. चाहे वह किसी भी पार्टी का है, फल्ड के दिनो कहत के समय यह किसी और सिलसिलें मे, अपने हल्के का दौरा करना चाहता है तो वह डिप्टी कमि नर साहब, को अपना टूर प्रोग्राम लिखकरा भेजे और डिप्अी कमि नर उसे सरकारी गाड़ी दे दे और एम.एल.एज. बाकायदा लौग बुक भरे। (विघ्न) इससे कोठ भी गाड़ी का मिसयूज नही कर सकेगा। अगर कोई करेगा तो कही न कही फंसा मिलेगा। (विघ्न) जैसा मैने पहले कहा, यह जो अपोजी ान लीडर को सहूलियत दी गई है यह बिल्कूलव ठीक किया है। अपोजी ान लीडर किसी भी पार्टी का हो सकता है ओर अब तो कांग्रेस वालों के चांसिज ज्यादा है तथा ये फायदे इन लोगो के लीडर को ही मिलेगे। डिप्टी स्पीकर साहब, 'या' भाब्द बड़ा झगड़ा डालता है। इसमे लिखा है– ''तीन सौ रूपये या गाड़ी''

मुख्यमंत्री(चौधरी भजन लाल): मेरे होते चिन्ता की बात नही होनी चाहिए।

चौधरी उदय सिंह दलाल(बादली): आपकी बात तो ठीक है लेकिन अगर कोई गुस्सेबाज चीफ मिनिस्टर आ गया तो मुि कल पड़ सकती है। इसमे कुछ गुलामी वाली बात नही रहनी चाहिए। (विघ्न) मान लो अपोजी ान लीडर चीफ मिनिस्टर की गुलामी न करे और चीफ मिनिस्टर कहे दे कि गाड़ी खोस लो और तीन सौ रूपये दे दों। इसलियसें यह तो घोड़े के मुइ मे लगाम डाल कर रखने वाली बात है। एक साल के बाद पता नही यह बागडोर किसके हाथ जाए इसलिये इस बिल मे यह बात साफ लिखी जानी चाहिए कि अपोजी ान लीडर को कार मिलेगी। (विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात मै और कहना चाहता हूं कि टेलीफोन डिपार्टमैंट की किताब मे लिखा हुआ है कि एम.एल.एज. और एम.पी. को दो टेलीफान सरकार देगी। ऐसी लगता है। कि हमारी सरकार ने किसी वजह से पास कर लिया होगा कि एक टेलीफोन मिलेगा। होना यह चाहिए कि एक टेलीफोन तो हल्के में मैम्बर के घर पर होना ही चाहिए और दूसरा टैलीफोन अगर कोई मैम्बर चण्डीगढ़ मे अपने फ्लैट या घर पर लगवाना चाहे ता वह लगवा दिया जाना चाहिए। इसमे कोई बुराई की बात नही है क्येाकि बिल तो एम.एल.एज. ने ही देना है, सरकार ने तो केवल तीन सौ रूपये देने हैं। सिर्फ टेलिफोन लगवाने की फैसिलिटी सरकार दे दे क्योंकि एम.एल.एज. ने पब्लिक के

काम ही करने होते है, विवाह सगाई बगैरा के राज तो टेलीफोन चलते नही। (विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी सरकार से एक और प्रार्थना है। रोज रोज इस तरह के बिल लाने की बजाए एक ही बार सारी सहूलियते लिख करके असैम्बली से एक बिल पास करा ले क्योकि रोज रोज अखबारों मे इस बात की चर्चा होती है। कल भी ये लिख देगे कि एम. एल.एज. को बहुत भारी तौफा जब कि हमें मिला कुछ नही । मै तो एक बात जानता हूं कि जितनी सरकार एम.एल.एज. फैसिलिटीज देगी उतने मे ईमानदार रहेगें, भश्ट नही होगें।(विघ्न) मै सारे हाउस के लिए कह रहा हूं। इसमे किसी पार्टी का सवाल नही हैं। इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी तो सरकार से यह प्रार्थना है कि आपके चेयर पर होते हुए एक बिल ये पास करा लें जिसमे इस तरह की सारी फैसिलिटिज एम. एल.एज. का एक ही बार दे दी जाए। खुर ाीद भाई यहा बैठे हुए हैं। लिखने मे ये बड़े तेज हैं। एम.एल.एज. को हाउस से निकालने की मो ान दो मिनट मे तैयार कर देते है। यह काम भी ये दासे मिनट मे कर लेगे। इनकों चाहिए कि एक तरमीम ये इस बिल मे ले आए। इतफाक राय से वह पास हो जाएगी। डिप्टी स्पीकर साहब, जैसा मैने पहले कहा जितनी मैम्बर्ज को सहूलियते होगी उतना ही फायदा रहेगा। वे साधनों के लिए दूसरी तरफ कम नजर रखेगे। ये जो हम रोज सुनते है कि एम.एल.एज. ने यह कर दिया, वह कर दिया यह बात खत्म हो जाएगी। इस सारी बुराई को मिटाने के लिये यह बात हम खुले दिले से

करें ताकि हम सब ईमानदारी से लोगो की सेवा कर सके। इन भाब्दों के साथ मै इस बिल की ताईद करता हूं।

श्री हीरा नन्द आर्य: उपाध्यक्ष महोदय, इसमे थोड़ी सी कसर रह गई है उसको मै पूरी करना चाहता हूं। इसमे कसर रह गई है कि जिस प्रकार से पंजाब और केन्द्र मे केबिनेट स्तर मे मन्त्रियों के बराबर अपोजी ान के लीडर को सुविधाये दी गई है वे सभी सुविधाये हरियाणा के अपोजी ान लीडर की नही गई हैं। उदाहरण के तोरप पर उनको टी.ए. मिलता है लेकिन यहां पर नही मिलेगा। अगर पूरा स्टेटस देना है तो केबिनेट स्तर के मंत्री के बराबर सुविधाये दी जायें। ये सुविधायें सरकार की इच्छा पर नही होनी चाहिए। इनका पूरा प्रोविजन होना चाहिए। इनमै किसी किस्म की डिस्क्रि ान की बात नही होनी चाहिए। पार्लियांमैन्टरी अफेयर्ज मिनिस्टर इस बात से सहमत होगे और इस बात की इजाजत देगे कि अपोजी ानी लीडर जो भी सूचना मांगे, वह दी जाए।

स्थानियस भाासन मंत्री (चौधरी खर ीद अहमद): यह बिल बहुत ही लोजिकल तरीके से हाउस मे रखा गया है। मै मैम्बर साहेबान का भुक्रगुजार हूं कि उन्होने इस बिल को सही नुक्ताचीनी की नजर से देखा हैं। यहा एम.एल.एज. साहेबान ने बताया कि उन्हे कितना काम करना होता हैं, उन्हे कितनी फैसेलेटिज चाहिए। हरेक सदस्य ने अपना अपना नजरिया पे ा किया है। मै इस बारे मे यही कह सकता हूं जब पंजाब और हरियाणा विधान सभा इक्ट्ठी हुआ करती थी, उस टाईम पर सुविधाये दी गई थी आजादी मिलने के बाद जब पहली विधान सभा

बनी तो उस वक्त एम.एल.एज. साहेबान को कम्बनसेटरी अलाउन्स, ट्रेवलिंग अलाउसं, डी.ए. आदि की जो फैसिलिटीज प्रोवाईड की गई थी, आज तक तकरीबर वही चलती आ रही है। तकरीबन यही एक ऐसा तबका है जिसने आजादी के बाद से जाब तक कभी यह क्लेम नही किया कि प्राईस इनडैक्स बढ़ गया है इसलियें हमारा वेतन बढाओं या डी.ए. बढाओ मैम्बर साहेबार की ओर से बड़े वैल्यूएबल सूझाव आये है। चौयारी उदय सिंह दलाल और हीरा नन्द आर्य जी की ओर से भी बड़े अच्छे सुझाव आये है। जिन्हे हमे कन्स्डिर करना चाहिए। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने तो कंकरीट मीसाल दी है कि नागालैण्ड और दूसरी सहूलियतों को पास नही किया है। जो बातें मैम्बर साहेबान ने कही है, उनका जल्दबाजी मे अमैन्डमैंट ला कर पास नही करना चाहिए। किसी भी अमैंडमैंट को लाने से पहले उसके प्रोज एण्ड कान्ज पर गौर करना चाहिए सरकार भी हमदर्दी से गौर करके देखेगी कि क्या क्या मैक्सीमम सहूंलियतें दी जा सकती है ताकि पब्लिक डियूटी को या जो उनका फर्ज बनता है उसके अच्छे तरीके से निभा सके। इस वक्त हाउस के सामने जो बिल आया है उसको पास होने दे और बाताां के आरे मे बाद मे विचार कर लेगे।

बहिन सुशमा स्वराज जी ने यह भी कहा कि यह बिल बहुत देर से आया हैं बहुत पहले आना चाहिए था। किसी ने ठीक ही कहा है कि देर आयद दुरस्त आयद इस लिहाज से यह ठीक ही है। बाकी बातों के बारे मे फिर देख लेगे। वे दूबार कभी हाउस के सामने आ जाएगी और जो वैल्यूएबल सुझाव है उन्हे कम्प्रीहैन्सिव बिल की भाक्ल मे ले

आयेगे। हमे बार बार अमैंडमैंट करने की जरूरज नही होगी। यह बिल जिस सूरत मे पे ा किया हैं इसी सूरित मे पास कर दिया जायें।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य–भता तथा पैं ान) पांचवां सं ाोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष द्वारा घोशणा–

सदस्य के जमानत पर रिहा होने संबंधी

Mr. Deputy Speaker: I have the Honour to inform the House that an intimation has been received from the District Magistrate, Chadigarh that Sh. Sant Kanwar M.L.A. has been releaseds on bail today by the Chief Judicial Migistrate, Chandigarh.

दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलांउसिज एंड पैन् ान आफ मैम्बर्ज) फिफ्थ अमैंडमैंट बिल, 1980 (पुनरारम्भ)

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 1 की सब क्लाज (2)

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 की सब क्लाज (2) बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 2

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 4

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1 की सब क्लाज (1)

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 की सब क्लाज (1) बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि टाइटल बिल टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खर ीद अहमद): मै प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भलखा): डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल के बारे मे ज्यादा कुछ तो नही कहना चाहता परन्तु एक दो चीजे अव य

कहना चाहूंगा। इस बिल के द्वारा जो हरियाणा के अपोजी ान लीडर को सहूलियते दी जा रही है ये पंजबा मे सन् 1978 मे दी गई थी। यानि ऐसा बिल पंजब मे सन् 1978 मे पास हुआ था और लोक सभा मे तो सन 1976 मे पास कर दिया गया था। लोक सभा मे और पंजाब मे कानून के तहज जो सहलियते दी है उतनी हरियाणा के कानून के तहत नही दी है फिर चुंकि इत्तफाक से मै अपोजी ान लीडर हू इसिलये मुझे यह मानने मे संकोच नही कि जब पिछले सै ान के लिए बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मिटिंग हुई थी तो मैने खुद ही चीफ मिनिस्टर साहब से कह दिया कि आपने कहा था कि अपोजी ान लीडर को कैबेनिट रैंक देगे लेकिन अभी तक आपने वे सहूंलियते दी नही है। उस समयस और भी हमारे दूसरे दोस्त डा. मंगल सैन आदि बैठे हुए थें। उसी वक्त चीफ मिनिस्अर साहब ने कहा कि हम आपको कार भी देगे, टेलीफोन भी देगें। उन्होने अगले दिन ही कार दी और कुछ दिनों बाद आर्डीनैन्स जारी हो गया। उसी आर्डिनैन्स के लिए यह बिल हाउस मे आया है। मुझे इस बात को कहते हुए कोई संकोच नही होता और मुझे उम्मीद है कि पंजाब और सैन्टर मे जो सहूंनियते लीडर आफ दी अपोजी ान को दी गई है और यहां पर उतनी नही दी गई है वे अगले बजट सै ान मे पूरी कर देगें।

दूसरी बात जो मै कहना चाहता हूं कि वह बिल के पीछे एक बहुत सुनदर सैद्वान्तिक चीज छिपी हुई है। इंग्लैंड की पार्लियामैंट मे अपोजी ान के लीडर को बहुत पहले से किंग्ज अपोजी ान कहा जाता हैं। उसकी जिम्मेदारी और अधिकार बहुत ज्यादा है। मुझे खु ाी है

कि यहा हिन्दूस्तान मे भी डैमोक्रेसी की जड़े मजबूत बनाने की कोि ा ा की जा रही है। यह बिल इस बात का सबूत है कि रूलिंग ग्रुप चाहे दूसरा है लेकिन वह इस बात को स्वीकार करता है कि दे ा या प्रान्त की सरकार चलानै के लिये जितना जिम्मेदार रूलिंग ग्रुप है उतना ही जिम्मेदार अपोजी ान ग्रुप के दोस्तों से भी कहता रहता हूं कि हमे हमे ाा प्रदे ा के काम के लिए ज्यसादा जिम्मेदारी से पे ा आना चाहिए और हाउस की कार्यवाही ज्यादा खूबसूरती के साथ चलने देनी चाहिए। जैसा कि मैने पहले भी कहा कि सारे राश्ट्र ने हइस बात को स्वीकार किया है कि अपोजी ान लीडर को स्टेटस दिया जायें। इसके साफ मायने है कि हमारा राश्ट्र इस बात को स्वीकार करता है कि जितनी जिम्मेदार रूलिंग पार्टी है उतनी ही जिम्मदेार अपोजी ान पार्टी भी है। मुझे वि वास है अपने पर, अगर हकूमत की तरफ से गलत बात जो तो मै प्वायंट आडट करूं। मै केबिनेट के मन्त्रियों को कंकरीट सुजै ान देता रहा हू ताकि हरियाणा की हकूमत ठीक ढंग से काम करती रहे। डिप्टी स्पीकर साहब, जब हम हरियाणा की हदूद मे है तो चाहे श्री भजन लाल है या कोई अन्य है हम उसका हैल्दी क्रिटिसिजम करेगे लेकिन जब हम हरियाणा की हदूद से बाहर है, चाहे भजन लाल जी हो, चाहे मूल चन्द जैन हो, जब हमे दूसरे ढंग से बात करनी पड़ेगी। उस टाईम पर हरियाणा का सवाल आ जाता है। अभी पिछले सितम्बर मे मुझे रि िाया औरप बुलगरिया जाने का मौका मिला। वहां पर हमारें सामने किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का सवाल नही था, वहा पर हिन्दूस्तान का सवाल था। हम अपने दे ा और प्रान्त का ख्याल रखते है, अपनी पार्टी का ख्याल रखते है। इन भाब्दो के साथ मैने जो

कंकरीट सुजै ान सरकार का दी है मुझे आ ाा है सरकार उनको ध्यान मे रखेगी। अब मै अपना भाशण समाप्त करता हूं।

14.00 बजे

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि बिल पास किया जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iii) दि ईस्ट पंजाब ट्रैक्टर कल्टीवे ान (रिकवरी आफ चार्जिज) हरियाणा रिपीलिंग बिल, 1980

कृशि मंत्री (सरदार तारा सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, मै प्रस्ताव करता हूं कि–

दि ईस्ट पंजाब ट्रैक्टर कल्टीवे ान (रिकवरी आफ चार्जिज) हरियाणा रिपीलिंग बिल तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि ईस्ट पंजाब ट्रैक्टर कल्टीवे ान (रिकवरी आफ चार्जिज) हरियाणा रिपीलिंग बिल तुरन्त विचार किया जाए।

चौधरी जगजीत सिह पोहलू (पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, मै कहना चाहता हूं कि जितने भी बिल पंजाब के नाम से है उनको पंजाब के नाम से बदल कर हरियाणा के नाम से किया जावे। मेरी राय है कि

बजट सै ान से पहले पहले सरकार एक ऐसा बिल लाये ताकि जिन किसानों के पास जो ट्रैक्टश्र नही रख सकते और न ही उनके पास जमीन अधिक है उनकी मदद की जा सके। इससे एक फायदा और भी होगा . .. .

श्री उपाध्यक्षः क्या आप को इस बिल के अन्दर कोई एतराज हैं।

चौधरी जगजीत सिह पोहलू (पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, मै कह रहा था कि सरकार को ऐसा बिल लाना चाहिए जिससे कि छोटे किसानों को फायदा हो सके। इस सम्बन्ध मे मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को उनके खेतो की जुताई का प्रबन्ध ''नो प्रोफिट'' नो लोस पर करना चाहिए। 5 किल्ले जमीन जिन किसानों के पास है उनसे सरकार को कोई किराया नही लेना चाहिए। इस लिए मै दोबारा प्रार्थना करता हूं कि सरकार को ऐसा बिल जरूर लाना चाहिए ताकि छोटे–छोटे किसानों की सहायता की जा सकें।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि ईस्ट पंजाब ट्रैक्टर कल्टीवे ान (रिकवरी आफ चार्जिज) हरियाणा रिपीलिंग बिल तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाजिज 2 और 1

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाजिज 2 और 1 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि टाइटल बिल टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कृशि मंत्री (सरदार तारा सिंह): मै प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iv) दि पंजाब विलेज कामन लडज (रैगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1980

विकास मंत्री (राव राम नारायण): मै प्रस्ताव करता हूं–

दि पंजाब विपेज कामन लडज (रैगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल पर तुरन्त विचार किया जायें।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

दि पंजाब विपेज कामन लडज (रैगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल पर तुरन्त विचार किया जायें।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल, के द्वारा जिन लोगो ने नाजायज रूप से भाामलात देह पर कब्जा कर रखा है, को हटाया जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ मेरा सुझाव है कि कन्सोलिडे ान के समय जिन लोगों के वहां पर कब्जे जो गये थें इस बिल के द्वारा पास होने पर उन लोगों को इस जमीन से हटाया जायेगा जिससे कि झगड़ा होने का खतरा है। इसलिये मै कहना चाहता हूं कि इस बिल मे कुद और तरमीम ला कर बिल

लाया जाये जिससे कि झगड़ा होने के खतरे से बचा जा सके। नही तो जो बिल अब लाया जा रहा है इससे ला एण्ड आर्डर की भी स्थिती खराब होने की संभावना है और कत्ल भी हो सकते है। डिप्टी स्पीकर साहब, मै इस बिल के बारे मे सिर्फ इतना ही कहना चाहता था।

डा. मंगल सैनः उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महादेय ने जो विधेयक सदन के सामने पे ा किया है उसके उदे य मे जो बाते कही गई है उससे तो सदन के सार मैम्बर साहेबान सहमत होगे कि भामलात देज पर पर जिल लोगो ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है ओर जो ऐसे अनस्क्रूप्लस एलीमेन्टस है तथा जिन्होने ग्राम पंचायत के सदस्यों से मिल कर नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है, हटाया जायेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, 1961 के बिल मे जो बुराई रह गई थी उस बुराई को अमैंडमैंट द्वारा 1974 मे दूर किया गया था। परन्तु हाई कोर्ट ने इसकी कुछेक धाराओं को स्थगित कर दिया था। हमारे दे ा की न्यायपालिकाएं अपने कार्य को बिल्कूल निश्पक्ष रूप से और ठीक ढंग से कर रही है।(इस समय श्री अध्यक्ष महोदय, पदासीन हुए) परन्तु इस बिल के द्वारा उनके अधिकारों को छीन कर सिविल कोर्ट को दिया जा रहा है। जब्कि हमारी जुडि ायल कोर्ट अपने कार्य को काफी हद तक सुचारू रूप से कर रही है। जैसा कि इस बिल के द्वारा उनके अधिकारों को असिस्टेंट कलैक्टर को दिया जा रहा है। यह बहुत ही चिन्ता की बात है। जैसा कि आपने इस बिल मे देखा होगा कि

इसकी धारा 13 को 4 मई, 1961 से यानि बैक डैट से लागू किया है। स्पीकर साहब, यह बहुत ही विचित्र बात है। मुझे तो स्पीकर साहब, इस बिल के बारे मे सिर्फ इतना ही कहना था।

Sh. Baldev Tayal (Hansi): Mr. Speaker Sir, I would like to draw the kind attention of this house to clause 4 of this Bill, which reads as under-

"Bar of Jurisdicition- No Civil court shall have jurisdiction-

(a) to entertain or adjudicate upon any question whether:-

(i) any land or other immovalbe property is or not shamlat deh;

(ii) any land or other immovalbe property or any right, title or interst in such land or other immovable property versts or does not evest in a Panchayat under theis act;

(iii)in respect of any matter which any revenue corut, office or authrority is empowered by or under this Act to determine .. . ."

Sir, I humbly submit that there would have been no objection if the jurisdiction of tehe court had been barred on teh shamlat land which is vested in the Panchyat. But this Bill takes away the right of a citizen to go to the civil vourt if his ouwn house is being declared as a Shamlat property. it si anot the question whether certain land is vested in the Panchayat and it has got the jurisdiction on that land or not. This bill further empowers the Commissioner, the Divisional

Commissioner and the revenue officer or the Panchayat to declare an immovalble property rightly or wrongly to be of Panchyat and in that case the citizen has no right to go and challenge that declaration in a civil court. My Humble submission before you, Sir, is that this can be mis-utilized and abused politically or otherwise also.

Supposing a man has got a house in the village and it si a pushataini house and some sarpanch or some political perosn takes it ito his mind to declare that house as a Shamlat Property, who was the quthority to check it because the jurisdiction ot the civil court has been taken away. So, my only objection to this bill is that aas far as the right of the vitizens to the property is concerned, the jurisidiction of teh Vivil court should not be barred and they should be entitled to go to the civil court to get it declared that this land is not a commonland, is not a Panchayat land and does not vest in the Panchayat. Further if that land vests in the Panchyat and once it is declared by a civil court or any proper authority then it is a comman land.

Mr. Speaker: Tayal Sahib, I do not think that within 'Phirni' there is a common land.

Sh. Baldev Tayal: But, Sir, this bill has no definitaion as such. I think there should have been such a difinition in this Bill. they have specifically devarred the jurisdiction of a civil court "to entertain or ad judicate upon any question as to whether any land or other immovable property." It is not a question of tehat land but any land or other immvable property i.e. a house, a gitwara or any Bara or any other land of that kind whether it is or is not a Shamlat

Deh, is also been taken away from entertaining or adiudicating upon the quesstion whether any right or interst in such land or other immovable property vests or does not vest in a Panchayat under this Act. So, My Humble submission before this House, Sir, is only this that by passing this Bill, We will be taking away a very very valuable right from a citizen or from a villager and unscrpuulous proliticians, Sarpuches, Panches and anybody else, who are in power and who may want to pressurise a particular villager or a citizen, may take under advantage of this Bill enacted as an Act and later on it be absued. That is all I have to submit, Sir.

चौधरी रीजक राम (राई): अध्यक्ष महोदय, मै इस बिल का सर्मथन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो तरमीम या जो सं ाोधन एक्ट मे इस बिल के द्वारा किया जा रहा है। मै यह समझता हूं, उससे बहुत सी बीमारियां जो पुराने एक्ट की वजही से पैदा हो गयी थी, वह दूर की जा रही है। अभी अभी बलदेव तायल जी ने यह फरमाया कि इस बिल के द्वारा सिविल कोर्टस के जो अधिकार है, वे छीने जा रहे है। ऐसी कोई बात नही हैं। स्पीकर साहब, धारा 13 जो एक्ट मे हैं, उसमे यह प्रावधान है कि कोई प्र न इस बारे मे कि आया यह प्रोपर्टी भाामलात प्रोपर्टी है या नही है। कोई भाामलात देह है या नही है, इसका फैसला रैवेन्यू अफसर ही कर सकता है। अब तक एक्ट के अनुसार यह अधिकार केवल रैवेन्यू अफसर को ही था। लेकिन अब जो तरमीम जा की जा रही है। वह यह है कि रैवेन्यू अफसर अध्यक्ष महोदय, धारा 7 के अन्तर्गत इस बात का फैसला करेगा कि कोई प्रोपर्टी पंचायत मे

वस्ट करती है या नही, कोई प्रोपर्टी भाामलात देह है या नही है, पहले वह इस बात का फैसला सरसरी तहकीकात से ही कर सकता था। लेकिन अब यह तरमीम की गयी है कि अगर रैवेन्यू अफसर के सामने कोई सवाल पैदा होता है कि यह पंचायत मे वैस्अ करती है यसा नही और कोई आदमी आकर यह कह दे कि यह पंचायत की प्रोपर्टी नही है, भाामलात देह नही है तो वही पर रेवेन्यू अफसर का अपनी कार्यवाही बन्द करनी पड़ेगी। फिर वह दावे की भाक्ल मे रैवेन्यू कोट मे जिसमे सी.पी.सी. के तमाम प्रावीजनज लागू होगें, दायर होगा और उसका फैसला होगा। स्पीकर साहब, इस बारे मे सैक ान 13 के तहत जो दावे होते थे उनका फैसला रैवेनयू अफसर कर देता थां ता उसके बाद कोई अपील की प्रोवीजन नही थी। पहले कोई अपील नही कर सकता था इस एक्ट मे यह तरमीम की गयी है कि रवेन्यू अफसर के फैसले के खिलाफ कलैक्टर को ओर उसके बाद कमि नर को जा सकेगा। इसमे ऐसा प्रावाधान किया गया है। इसलिये मेरा कहना यह है कि अब तक जों इस एक्ट मे कमियां थी, जो त्रुटियां थी वह इस सं ाोधन के द्वारा दूर की जा रही है। एक और बात जिस की तरफ मै आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और मंत्री महोदय का भाुक्रिया अदा करना चाहता हूं वह यह है कि सैक ान 2 की सब सैक ान (4ए) को डिलीट किया गया हैं। मै यह समझता हूं कि देहात मे मुकदमेबाजी से लोगो को छुड़ाने के लिये इसका डिलिट किया जारा बहूत ही मनासिब और ठीक होगा। ऐसा क्यों, यह भी मै आपको बताता हूं। इस धारा 4 ए को 1973 मे सं ाोधन करे

मूल एक्ट मे प्रोवाईड किया गया था, उसका अर्थ यह था कि गांवो के अन्दर जितनी भी खाली जमीन पड़ी थी, वह पंचायतों मे वैस्ट हो जाएगी। उस समय जो प्रोवीजन किया गया था, उसकी वर्डिन्ग यह थीः—

"(4a) Vacant land situated in abadi deh or gerah not owned by any person."

अब 'नोट आन्ड बाई एनी परसन' के बारे मे तरह तरह से विचार आये। किसी अदालत ने यह कह दिया कि अगर कही पर आबादी देह मे ऐसी जमीन खाली पडभ् है तो वह पंचायत मे वैस्ट हो जायेगी, किसी ने कुछ और कह दिया। किसी अदालत ने यह कहा कि 'घेरा' मे जो जमीनव पड़ी है, वह पंचायत के अन्दर वैस्अ हो जायेगी। हाई कोर्ट मे अभी कितने ही ऐसे केसिज पडे हुए है जिनका फैसला होना बाकी है। अध्यक्ष महोदय, आप यसह जानकर हैरासन होगे कि उस (4ए) धारा को 1954 लागू किया गया। वह धारा 9 जनवररी 1954 से लागू हुई और उस दिन जो जमीन खाली पडी़ थी, उसके मुताबिक वह सारी पंचायतो मे वेस्ट हो जायेगी। आप ही देखें कितनी जटिलता, कितनी कठिनाई, उस प्रावधान से सन् 1954 से लागू करने से पैदा हुई,प कुद जमीन जो पहले खाली पड़ी थी वह सारीर अब पंचायत में वैस्ट करनी थी। सन् 1954 के बाद कितने बंटवारे हुए होगे, कितने ही लोगों ने मकानात बना लिये होगें। लोगो न आपसी दु मनी निकालने के लिये दफा 7 के तहत दरखास्त देनी

भुरू कर दी कि यह जमीन तो पहले खाली पड़ीह थी इसलिए यह तो पंचायत मे वैस्ट करनी चाहिए। किसी ने मकान तोड़कर बनाना भुरू किया तो दरखास्त दे दी यह जमीन तो पहले खाली पड़ी थी फलां आदमी ने इस पर कब्जा कर रखा है। इसमे कितनी ही लिटीगे ान होनी भुरू हो गयी है। इस बात का आप अन्दाजा लगा सकते है कि जो जमीन 1954 मे खाली पड़ी थी, उसका कोई रिकार्ड नही, कोई नक ाा नही, कोई खतौनी नही, कोई कुछ नही है लेकिन उस अमैंडमैंट के द्वारा विवाद की बुनियाद डाली गई और मै मंत्री महोदय को मुबारिक देता हूं कि इस क्लाज को हटाकर गावों से मुकदमे बाजी हटाया है। दूसरी बात बलदेव तायल ने यह कही है कि आबादी के अन्दर जितने मकानात है उनके बारे मे बड़ी समस्या पैदा हो सकती है ओर उसके फैसले के लिए अदालत दिवानी का अधिकार छीनना उचित नही है। उन पर तो इस एक्ट का सं ाोधन लागू नही होगा। लेकिन आबादी के बाहर के मकान है उनके बारे मे इसमे क्लाज स्पेसिफिक है जिसमे कहा गया है कि आबादी के बाहर कोई गितवार बाड़ा मैन्योर पिट, मकान या कौटेज इण्डस्ट्रीज है, उन पर एक्ट लागू नही होगा। यह सैक ान 2 की सब–क्लाज 6 मे सं ाोधन हैं। इसमे लिखा हुआ है–

"(vi) lies outside the abadi deh and was being used as gitwar, Bara, nmuare pit, house, or for cottage industry, immedialtely before the commencement of this Act"

इस लिए मै समझता हूं कि इस सं ाोधन बिल का सब का स्वागत करना चाहिए क्योकि पहले जो कठिनाईयां देहता मे पैदा हो गई थी वह दूर कर दी गई हैं। अब तक बड़ी भारी ऐनोमली थी। चौधरी विरेन्द्र सिंह अच्छे वकील है ओर मेरे दूसरे साथी भी काफी समझदार है। इनको पता होगा कि अगर एक आदमी दफा 7 मे दरखास्त देता है तो रैवेन्यू अफसर अगर फैसला कर देता हैं कि यह जमीन पंचायत मे वैस्ट करती है तो और अगर फिर दफा 13 के नीचे अपील की जाती है तो वही रैवेन्यू औफिसर जिसने दफा 7 के नीचे दरखास्त ली थी, उस केस को सुनेगां। यह बड़ी भारी ऐनोमली थी। अब यह कर दिया है कि यदि ऐसा कोई प्र न पैदा जो जाए तो रैवेन्यसू औफिसर सरसरी कार्यवाही को छोड़कर रैवेन्यू सूट की भाक्ल मे सी.पी.सी. की भाक्ल मे सुनेगा और उसकी अपील, उसकी रिविजन कमि नर तक जा सकती हैं। मै समझता हूं कि यह बात ठीक है। इसलिए मै इसका समर्थन करता हूं।

श्री बीरेन्द्र सिह (नारनौंद): स्पीकर साहब, यह जो सं ाोधनव बिल आया है इसकी दो'–तीन जो क्लासिज है, उन पर मेरी आपति है और बाकी का मै समर्थन करता हूं। जहां तक क्लाज 2 की सब–क्लाज 4(ए) को ओमिट करने का सवाल है उसके बारे मे चौधरी रिजक राम न फरमाया है कि इसकी ओमी ान के कारण आबादी देह के अनदर जितने कमानात, खाली प्लाटस, चौक या आंगन वगैरह के कारण एक्सक्लूड हो गए है

इसलिए लोगो को लिटिगे ान से राहत किल जाएगी। राम रामनारायण इस पर जरा ध्यान से गौर फरमाए। फर्ज किया कि यह गांव मे खुला हुआ चौक है, गांव की गलियां चौड़ी है, वहां पर गांव का कोई फक ान होता है तो आमतौर पर देखने मे आया है कि कुछ जाबर लोग अपने मकान के आगे चौतरें बना लेते है। उस जमीन पर कब्जा कर लेते है इस क्लाज के ओमिट होने से जो जाबर लोगों को खुला लाईसैंस मिल जाएगा। जो जगह मुसतारका है, जो चौक पब्लिक परपज के लिए इस्तेमाल होता है उस पर जाबर लोगा कब्जा कर लेगे क्योंकि पंचायत भाामलात देह की डेफिने ान से निकाल दी गई हैं ओर आसिस्टैंट कलैक्टर की जुरिस्डिक ान मे डाल दी गई है। स्पीकर साहब, जो जमीन इस वक्त बीस, तीस या चालीस फूट चौड़ी है वह इस क्लाज की ओमि ान से घटकर दस फुट रह जाएगी। जो लोग लालची टाईप के है, जो जाबरप लोग है वे खुले चौकों पर जबरदस्ती कब्जा कर लेगे। इसलिए मै राव राम नारायण से कहूंगा कि इस पर दुबार विचार करें। कही ऐसी न हो कि जाबर लोग कमजोर आदमीयों का जीना मुहाल कर दें। गांव मे किसी को निकलने का रास्ता नही रहेगा। पब्लिक परपज के लिए जो चौक इस्तेमाल होते है वह चीज खत्म हो जाएगी।

दूसरी बात जिस पर मुझे आपति है वह है जो क्लाज की सब–क्लाज (6) जिसमे लिखा है–

"(vi) lies outside the abadi deh and was being udsed a sgitwar, bara, manure pit, house or for cottage industry, immediately before the commecement of this Act.

स्पीकर साहब, 1980 का अमैन्डिग बिल आज एक्ट बनने जा रहा है। इसका कमैन्समैंट जब भी होगा उससे पहले जो जमीन गितवाा, बाड़ा, मैन्यौर पिट, हाउस या कौटेज इण्डस्ट्री के तौर पर इस्तेमाल हो रही है और लेागेा ने उस जमीन का ढाचा चैज करके हथिया लिया है उनको एक किस्म से फ्री कर दिया है। जो लोग 19 साल से नाजायज कब्जा किए बैठे थें उस कब्जे को इस तरह से वैध करार किया जा रहा है।

इसके बाद श्री बलदेव तायसल ने सैक ान 13(ए) की सब–क्लाज (1) के बारे मे जो आपति उठाई है, उनकी आपति को मेरा समर्थन है। चौधरी रिजक राम ने फरमाया कि इससे कोई फर्क नही पड़ेगा बल्कि उस सैक ान मे जो पहले प्रोविजन था उसकी रूपरेखा मे सुधार आएगा। पहले जो सैक ान 13 बी था उसमे रैवेन्यू आफिसर को इतनी पावर थी कि जो लैंड भाामलात देह मे वेस्ट हो गई, उसका फैसला करे कि वह दुरूस्त तौर पर वैस्ट करती है या गल्त तोर पर वैस्ट करती है। अब रेवेन्यू औसिसर का अख्तियार दिया जा रहा है कोई लैंउ चाहे किसी किस्म की लैंड हो, चाहे प्राईवैट प्रौपर्टी हो एडजुडिके ान करने के लिए बैठेगा कि यह मकान भाामलात देह मे आना चाहिए या नही आना चाहिए। इस किस्म की पावर्ज दी जा रही है रैवेन्यू औफिसर को जो कि दुरूसत नही है। यह सिविल राइट्स पर एक

आघात है। मै राव राम नारायण जी से निवेदन करूंगा कि ठंडे दिल से वे सोचें। स्पीकर साहब, इस बिल की बाकी धाराओं के बारे मे मेरा समर्थन है।

चौधरी उदय सिह दलाल(बादली): स्पीकर साहब, वैसे तो हमारे जो मिनिस्टर राव राम नारायण है वे माल के महकमे सिनियर औफियर रहे है और उनका काफी तजुर्बा है लेकिन चुकि मै नो–दस साल तक सरपंच रहा हूं ब्लाक का मैम्बर रहा हूं, मुझे पंचायती कामो का काफी तुजर्बा है। स्पीकर साहब, जैसा कि श्री वीरेन्द्र सिंह नें कहा कि कुछ गांव काफी बड़े है और जहां पर कि काफी बड़े बड़े चौक है उनप चौकों को ताकतवर आदमी अपने कब्जे मे ले लेगे क्योंकि अब पंचायत दखल नही दे सकेगी। यह बात बिन्कूल ठीक है। मेरी सरकार से दरखास्त है कि अगग वाल जमीन जो भाामलाल देह की हैं उस पर कब्जा करना चवाहता है तो उसकी निगरानी ग्राम पंचायत करे ताकि कोई आदमी नाजायज कब्जा न कर सके। स्पीकर साहब, आज जो सब से बड़ा झगड़े का कारण बना हुआ है और असैम्बली ने भी बिल पास किया हुआ है जिसमे गांव की ऐसी जमीन जो गुरूद्वारे के नाम है, मन्दिर के नाम हैं गौ ाला के नाम है या किसी मठधारी के नाम हैं वह जमीन की लिमिट से फ्री है। अगर इस जमीन का इनसे छुड़ाकर पंचायतों को दे दिया जाए तो बहुत सारी जमीन पंचायतों को मिल सकती ह। इस समय क्या हो रहा है कि फर्ज किया कि एक बाबा के नाम जमीन है, वह बाबा मार गया तो उसके चेले अपने मे

से एक बाबा बना लेते है। बाबा के निाम जमीन होती है मकान होता हैं और ये लोग मौज करते है। स्पीकर साहब, इस तरह के मकान सारी स्टेट के देहातों मे भाराब के अड्डे बने हुए है। स्पीकर साहब, 90 फिसदी जमीन का गल्त ढंग से इस्तेमाल हो रहा है। कई लोग तो फालतू जमीनव को बेचने लग रहे है, कोई पट्टे पर लगा रहे है। स्पीकर साहब, पहले वक्तों मे हस्पताल वगैरह नही होते थें और इलाज के लिए कोई प्रबन्ध नही होता था, तो वेधो और हकीमों को इस तरह की जमीन हस्पताल वगैरह कि लिये दे दी जाती थी। पहले यह होता था कि जो धार्मिक स्थान होते थें, डेरे वगैरह होते थे, वहां से जो आमदनी होती थी, उसमे से उन धार्मिक स्थानों व डेरां का जो खर्चा होता था, वह निकाल कर जो बाकी का रूपया होता था वह गावों के लोगो के मुफाद के लिये खर्च किया जाता था लेकिन अब हो रहा है कि उन बुजुर्गो द्वारा दी गयी जमीन का दुरूप्रयोग हो रहा हे और जो उन धार्मिक स्थानों से आमदनी होती है उसका कोई हिसाब किताब नही रखा जा रहा है। और वे डेर वगैरह आजकल भाराबखाना बने हुए है, चेले और बाबे मिलकर ठाठ मना रहे है भाराबे पीते है कढाइयां चढी हुई है हल्वे पक रहे है। जहां पर भी ऐसी जमीने है वहा पर लट्ठ खड़क रहे है इससे क्या होगा कि लोग जाकर थानों मे खड़े होगे। इसलिये मै मंत्री महोदय से यह रिक्वैस्अ करूंगा कि इन सभी तरह के मामलो की जांच करवायी जाए और जो जमीन तो सचमुच धार्मिक स्थानों के लिये प्रयोग हो रही है, उसको छोड़कर बाकी की सारी जमीन वापिस

ली जाए। जहां परा कि चेले चांटो ने नाजायज तरीका अपना रखा है वह जमीन पंचायत को दी जाए और पंचायते उन्हे लीज पर उठाए और उस सारी जमीन की आमदनी पंचायतों के पास ही जाए और सरा खर्चा पंचायतें ही निभाये। गांव की पंचायाते ऐसी जमीनों का हिसाब किताब रखें और जहां बदमां ाों के भाराब के अड्डे बने हुए है, उन अड्डों को खत्म किया जाए। अगर इन अड्डों का खत्म करके जमीन को अपने कब्जे मे न लिया गया तो लोग भड़क उठेगे और कई तरह के मुकदमे खड़े हो जाएगे। लोग अदालतों के चक्कर काटेंगे। (ाोर)

श्री अध्यक्षः दलाल साहबए आपका प्वायंट मिनिस्टर साहब ने नोट कर लिया है, आपने बोलते हुए काफी समय ले लिया है। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, यह बड़ा सीरिया मामला है। सारी स्टेट इसमे इंवाल्व हैं। अगर सरकार सिरिअसली इस तरफ ध्यान दे तो सारे के सारे झगड़े अपने आप ही खत्म हो जाएगें। स्पीकर साहब, अन्त मे मै फिर सरकार से यह रिकवैसट करूंगा कि अगर सरकार ने लाल डोश्रे के बाहर की जमीन की तरफ जल्दी जवज्जों न दी तो लोग फिर कहेगे कि यह प्लाट मेरा है। लोग बाड़ लगाकर के अपना कब्जा कर लेगे और बड़ी मु ाकिल हो जाएगी। लोग झगड़ा करेगें और फिर सिविल कोर्ट मे मुकदमें दायर होगे। इसलिये इन सारी बातो की तरफ सरकार ध्यान दे औरप इन की चैकिंग करवाए। जिन लोगों ने

नाजायज कब्जे कर रखें है, उन से जमीन वापिसं ले ओर वह जमीन पंचायतां के हवालें करे। उन से जो आमदनी हो उस आमदनी को गावों के लोगो के मुफाद के लिये इस्तेमाल करें। अगर लोग अदालतों मे जाते है तो वहां पर आठ–आठ, दस–दस साल मुकदमों का फेसला नही होगा। इसलिये सरकार और जज मुकर्रर करवाये ताकि लोगो के फैसले जल्दी होते रहे और तीन साल तक हर मुकदमें का फैसला हो जाए। इससे ज्यादा कोई मुकदमा कोर्ट मे पैंडिंग न रहें। अगर लोगो के मरने के बाद फैसले हुए तो उनका क्या लाभ होगा। स्पीकर साहब, बाकी तो जो बिल है, वह तो मकरीबन ठीक ही है। मेरी मिनिस्टर साहब से दरखास्त है कि वे जरूर इस तरफ ध्यान दें। एक दो जो खामियां हैं, उनको दूर करने की कोि ा ा करे। हो सके तो इसी सै ान में, नही तो अगल सै ान मे कोई न कोई तरमीम जरूर इस बिल मे करे ताकि लोगो मे किसी प्रकार का झगडा़ न हो और जीन लोगों ने नाजायज जमीन पर अपना कब्जा कर रखा हैं और उन पर भाराब के अड्डे बना रखे हैं, उनसे वह जमीन पर अपना कब्जा कर रखा है ओर उन जमीनेां से जो आमदनी हो वह लोगों के मुफाद के लिये खर्च की जाए। स्पीकर साहब, अगर सकरार ऐसी जमीनेां का अपने कब्जू मे ले लेगी तो उससे सरकार को काफी फायदा हो सकता है। हम उन जमीनों पर एग्रीकलचर फार्म बना सकते है सीड फार्मज बना सकते है जिससे सरकार को भी और किसानों को भी काफी फायदा हो सकता है। इन डेरेवेरां का तो ऐसे ही भूत बना रखा है। असल मे वे कुछ भी नही है।

सारा झगड़ा तो गद्दी का ही रहता है। अगर एक बाबा मर जाता है तो वे बाकी के चेले उस जमीन पर कब्जा रखने के लियें अपने मे से एक बाबा चुन लेते है और जमीन दबाये रखते है। अतः जो फालतू इस तरह की जमीन ऐसे लोगो के पास है, वह सरकार लेकर के पंचायतों के हवाले करे और पंचायतें ही उन जमीनों की आमदनकी अपने पास रखें और जो खर्चा हो उसको निकाल करके बाकी जो पैसा हो, वह लोगों के मुफाद के लिये खर्च किया जाए। इतना ही कहते हुए मै आ ाा करूंगा कि सरकार मेरे कुछ सुझावों की तरफ ध्यान देगी।

चौधरी संत कंवर (हसंनगढ़): स्पीकर साहब, मै आपका धन्यावाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मै क्लाज 4 और क्लाज 13 पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हैं। राव साह ने जो यह बिल पे ा किया है मै उसका काफी हद तक समर्थन करता हूं और जो एक दो खामियां रह गई है उसको भी वे दूर करने की कोि ा ा करेगे, ऐसा मुझे वि वासा है क्योकि जो खामियां रह गई है उनसे गावों के लोगो के ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ेगा। उसके बारे मे मै उनका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं। जो एक्ट ये पास करवाना चाहते है, उसके पास निपटाने मे कम से कम 10–10 साल ाक समय लग जाएगा। एक्ट के पास होने का फैसला होगा उसके खिलाफ गांव के लोग सिविल कोर्टस मे जाएगें। जो सिविल कोर्टस का फैसला हसेगस एसयके खिलाफ गावं के लोग दोबारा एस.डी.एमज. और

डी.सीज. की कोर्ट मे मुकदमे दायर करेगे कि जिस जमीन को भाामलात देह माना हैं, वह गल्त है, वह जमीन मेरी अपनी है। स्पीकर साहब, बिल की एक क्लाज मे लिखा हैंः—

"The following Section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted w.e.f. 4th day of May, 1961.

यह 1961 से लागू होगा और फिर उसके बाद दोबारा लोग एग्जैक्टिव के पास एस.डी.एम. से मुकदमे ले कर आएगें कि सिविल कोर्ट ने जो फैसला किया है, वह गल्त किया है। यह जमीन भाामलाज में न होकर, यह मेरी अपनी है। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि चूंकि यह एक्ट 1961 से लागू होगा इसलिये कई तरह की मुसीबते खड़ी हो जाएगी अतः सरकार को इस तरफ खास तवज्जो देनी चाहिये और कोई न कोई बिल के अन्दर तरमीम लानी चाहियें जिससें लोगो के बीच किसी तरह का कोई झगड़ा खड़ा न हो सकें। स्पीकर साहब, मै श्री बलदेव तायल साहब की इस बात का भी समर्थन करता हूं कि सरकार ने इस एक्ट के अन्दर यह क्लीयर नही किया कि भाामलाज देह कौन सी होगी। आया गांव से बाहर की जमीन होगी या इम्मूवेबल प्रापर्टी होगी। अगर इन बातों को फैसला नही किया गया तो रोजाना से मुकदमें अदालतों मे आएगे और इससे पोलीटिकल इंटरफियरैंस भी बढेगा। छोटी छोटी बातो को लेकर गावों के लोग, एम.एल.एज. पर दबाव डालेगें। इसलियें मेरी मंत्री जी से गुजारि ा है कि इसमे ऐसा प्रावधान करें कि जो फैसला पहले

सिविल कोर्ट मे हो चुका है वह दोबारा अदालतों मे न आए। जो पावर्ज सिविल कोर्टस से छीनी गई है उसके बारे मे मेरी राय यह है कि उससे डैमोक्रेसी पर तो आघात पहुंचेगी ही, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी क्योकि पोलीटिकल इंटरफियरैंस बढने की वजह से कई एम.एल.एज. अपने आदमियों को बचाने के लिए और उन्हे फायदा पहुंचाने मे सफल होगें। इस बात को दूर करने की मंत्री जी कोि ा ा करें। धन्यावाद।

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): स्पीकर साहब, आपका धन्यावाद कि आपने मुझे समय दिया। यह जो बिल आया है इसके बारे मे कोंई दो राय नही है कि भाामलात देह जो नाजायज कब्जें है उसको जल्द से जल्द निकाला जाए। इस बिल के आबजैक्टस एंड रीजंज मे लिखा है:—

"In many places the Shamlat Deh has been occupied unlawfully by unscrupulous persons, acting some times in collusion with the reprsentative of the Gram Panchayats."

अध्यक्ष महोदय, मै सरकार के नोटिस मे लाना चाहता हूं कि वह सिविल कोअग से पावर लेकर असिसटैंट कलैक्टर के हाथ मे दे रही है। बहुत से साथियों ने कहा कि यह अच्छी बात है लेकिन मै इसका विरोध करता हूं क्योंकि असिसंटैंट कलैक्टर एग्जैक्टिव के अन्डर आता है। स्पीकर साहब, मै आपके जरिये बताना चाहता हूं कि कोई आदमी मिनिस्अर हो ओर वह जमीनों को दबा रहा हो और भाामलाज जमउीन की गिरदावरी

अपने नाम करवा रहा हों। (ाोर) सरदार तारा सिंह यहां बैठे है ओरप मेरे पास गिरदावरी की नकले है। इन्होने भाामलात जमीन की गिरदावरी अपने नाम करवा ली है बिला किसी बात के । चार साल पहले गिरदावरी बदलनी भाुरू हो गई ओरप जिन लोगो के नाम थी उनके नोटिस मे यह बात नही लाई गई। अभी 01.11. 1980 को उस आदमी को सूचना दी गई है कि यह भाामलाज देह की जो जमीन है सरदार तारा सिंह की हैं।

श्री अध्यक्षः क्या यह मामला सब–जुडिस है?

चौधरी राम लाल वधवाः नो सर। उसने श्रीमती इंदिरा गांधी को कम्पलैंट भेजी है ओर उसकी कापी चीफ मिनीस्टर साहब को भी भेजी है। मेरे पास भी उसकी नकलें है। मै इनको टेबल पर रख देता हूं।

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, इस तरह से ये कापियां टेबल पर नही रखी जा सकती। ऐसे तो ये कोई भी कागज टेबल पर रख देगें।

श्री अध्यक्षः अगर आपने कोई पेपर यहां रखना है तो पहले आप मेरे चैम्बर मे आकर वह मुझे दिखाए।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो ये कानूनप बनाने जा रहे है कि भाामलात देह को नाजायज कब्जे से निकाला जाए और दूसरी तरफ आप पावर कोर्ट से लेकर असिंसटैंट

कलैक्टर को देने जा रहे हे और यहां पर मिनिस्टर खुद जीमन हड़प करने जा रहें हैं तो इसका क्या होगा। सभी जमाबन्दियों की नकले चीफ मिनिस्टर साहब के पास है ओर उनकों सारी बात का पता है। इसलियें मिनिस्टर साहब को फौरन अस्तीफा देना चाहिए।

चौधरी खुर ाीद अहमदः अगर किसी के पास जमीन का कब्जा है तो कुछ नही हो सकता।

चौधरी राम लाल वधवाः अध्यक्ष महोदय, मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह पावर असिस्टैंट कलैक्टर को न दी जाए, यह सिविल कोर्ट के पास ही रहनी चाहिए और मिनिस्टर साहब ने जो लैंड ग्रैब ही है उस वजह से या तो उनका अस्तीफा देना चाहिए या मुख्य मंत्री जी उन्हे डिसमिस करके निकाल दें। (ाोर)

वैयक्तिक स्पश्टीकरण–

कृशि मन्त्री, सरदार तारा सिंह द्वारा

कृशि मंत्री (सरदार तारा सिंह): स्पीकर साहब, मै पर्सनल एक्सप्लेने ान देना चाहता हूं। स्पीकर साहब, असल बात यह है कि मुझे मंत्री बनने के बाद इस बात की सजा मिल रही है। जब मै पाकिस्तान से आया तो कस्बा करनाल मे मेरें पिता के नाम जमीन आलाट हुई थी। ये जिस जमीन का जिक्र कर रहे है वह 1950 से हमारे कब्जे मे चली आ रही हैं। इस बात के लिये मै इनकों चैलेंज करता हूं। इस खसरा नम्बर के ऊपर मैरा

ट्यूबवैल है जिस पर 5–6 साल पहले का बिजली का कनैक ान लगा हुआ हैं। वहा पर मेरे क्वार्टर बने हुए है जहां मेरे मुजारे रहते है।(ाोर) मै बतौर मालिक कस्बा करनाल मे इस खसरा नम्बर की हिस्सेदार हूं और 1950 से हूं। बद–किस्मती की बात यह है कि महकमा माल की कुछ ऐसी बातें है कि कई हजार बीघे जमीन उसके कब्जे मे है। आप इस बात की तस्ल्ली कर लें कि अगर यह कब्जा मैने एम.एल.ए. बनने के बाद किया है तो मै पोलिटिकल लाइफ छोड़ दूंगा। (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, आप एक कमेटी अप्वायंट कर दें। वह सारी जांच कर लेगी। (ाोर)

श्री अध्यक्षः इस तरह मै कोठ कमेटी अप्वायंट करने के लिये तैयार नही हूं।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं। यह जो कम्पलैंट की कापी मेरे पास है इसमे लिखा है कि सन् 47 से यह जमीन उनके कब्जे मे है जबकि सन् 47 मे ये आये भी नही थें। ये कापियां मेरे पास है ओर मिनिस्टर साहब गलत बात कह रहे है। एक कमेटी बना कर इसकी इन्कवायरी करवा ली जाए, मिनिस्टर साहब हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। (ाोर)

श्री अध्यक्षः यह प्वायंट आफ आर्डर नही हैं।

दि पंजाब विलेज कामन लैंड्ज (रैगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1980 (पुनरारम्भ)

विकास मंत्री (राव राम नारायण): स्पीकर साहब, यहा पर कुछ बातों पर सदस्यों ने आपति उठाई है। जेसे पोहलू साहब ने कहा कि देहातों मे जो जमीन थी उस पर कनसोलीडे ान के समय लोगो ने कब्जा कर लिया था ओर अब उस कब्जे को हटाने से लडा़ई–झगड़ा होगा। मै सदन को बताना चाहता हूं कि अगर वहा की पंचायत और वहां के लोग चाहे तो वह जमीन पंचायत के नाम कर दी जाती हैं ऐसे केसिज देहात मे बहुत से हो चूके है कि जमीन पंचायत के नाम कर दी गई है।

श्री अध्यक्षः राव साहब, क्या आप जमुला मालिकान की बात कर रहे है?

राव राम नारायणः जी हां।

श्री अध्यक्षः यानी जुमला मालिकान की जमीन पंचायत के नाम हो चुकी है।

राव राम नारायणः जहां पर रैजेल्यू ान पास हो जाता है वहां लिक्वीडे ान हो जाती है। स्पीकर साहब, दूसरी बात सिविल कोर्ट के बार होने के बारे मे कही गयी हे। यह जो एक्ट है जिसको हम अमैंड कर रहे है यह 1974 मे पास हुआ था और सिविल कोर्ट इस एक्ट के पास होने के बाद बार हुई थीं (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी जगजीत सिह पोहलूः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जमुला मालिकान की जमीन पंचायत के नाम अब तक कहीं भी हुई है।

श्री अध्यक्षः मै आपके प्वायंट आफ आर्डर को डिसअलाऊ करता हूं। आपको इस बारे मे अपनी बातें कहने को मौाक मिल चुका है।

राव राम नारायणः स्पीकर साहब, सिविल कोर्ट 1974 से बोर्ड है। महज इस अमैंडमैंट से हमने यह किया है कि हाई कोर्ट ने जो सैक ान 13 था उसको स्ट्राइक्डाउन कर दिया था। इस बिना पर हमारा रैवेन्यू आफिसर जो सिविल कोर्ट के केस डिसाइड करता था उसके बारे मे उसके अन्दर अपील का कोई प्रोवीजन नही था। इस बिल की अमैंडमैंट मे हमने कलैक्अर को अपली प्रोवाईड कर दी है ओर कमी ानर को रिवीजन अपील प्रोवाईड कर दी है। स्पीकर साहब, एक आपति चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने उठाई कि जिनते खाली चौंक और गलियां या दूसरी खाली जगहे है उन पर अनस्क्रुपलस आदमी कब्जा कर जाएगें। यह बात ठीक है हमने इस एक्ट के अन्दर भी यह रखा है कि उस समय जिस जमीन का कोई मालिक नही था उसकों हम पंचायत मे वैस्ट करेगें। जो भी खाली जमीन है, चौंक या गली, हम उसको पंचायत मे वैस्अ करेगें।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इस अमैंडमैंट मे तो यह नही है कि गली या चौंक पंचायत मे वैस्ट करेगें।

श्री अध्यक्षः जो पुरान एक्ट की चीज अमैंड नही हुई वह तो लागू रहेगी।

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस अमैंडमैंट के तहत जा 7 फुट चोड़ी या 40 फुट चौड़ी गली है उस पर लोग चौतरे बनाएगें और गलियां खत्म हो जाएगी।

राव राम नारायणः इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत एक्ट को हमने अमैंड किया है उसमें हमने बाकायदा नक ो बनाने की प्रोवीजन कर दी है। स्पीकर साहब, चौधरी उदय सिंह दलाल ने दोजली दोरों के बारे मे कहा। मै उनका बताना चाहता हू कि जितने भी दोहलीदार है वे तमाम भाामलात देह के अन्दर ही है और ाामलात देह पंचायत मे वैस्ट करती है। जो दोहलीदार होता है उसको जमीन सिर्फ धर्मार्थ केप लिए दी जाती है। उस जमीन का दोहलीदार वही आदमी होता हैं जो दर्ज होती है। अगर उस इंस्टीच्यू ान के लिए उस जमीन की आमदनी नही लगती और दूसरी जगही पर मिस–डायरैक्ट होती है या मिसयूज होती है तो वह रिकवर हो सकती है जब्त हो सकती हैं ओर वह जमीन पंचायत को मिल जाएगी। स्पीकर साहब, चौधरी संत कंवर जी ने कहा कि सिविल कोर्ट से जो डिगरियां हुई है इनको भी क्वै चन किया जाए। स्पीकर साहब, इस

अमैंडमैंट का मेन प8रपज यही था कि कोर्टस की जितनी डिग्रियां हुई है उनको दोबारा क्व चन किया जाए रैवेन्यू कोर्ट्स के अन्दर ओर वह जमीने भाामलात देह के अन्दर भाामिल की जांए। इसलिए स्पीकर साहब, मेहरबानी करके इस बिल को पास किया जाए। यदि आगें हमें इस एक्ट मे कोई इनफिरयरिटी नजर आएगी तो हम इस एक्ट को भी अमैंड करने के लिए तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि पंजाब विलेज कामन लैंड (रैगूले ान) हरियाणा अमैंडमैंअ बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 4

चौधरी संत कंवर (हसनगढ़): स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इस क्लाज 4 मे थोडी सी क्लैवपरीफिकें ान चाहूंगा। अभी मंत्री जी ने कहा कि जो फैसल सिविल कोर्ट ने किए थें उनमे से बहुत सारे फैसलो को बदनवाने के लिए इस बिल मे अमैंडमैंट लाई जा रही है।

श्री अध्यक्षः बदलवाने की बात नही हैं। कोई भी केस रिकंसीडर हो सकता है।

चौधरी संत कंवर : अध्यक्ष महोदय, मै रिकंसीडर के बारे मे ही क्लैरिफिकें ान चाहूंगा कि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जिन गांवो के बंटवारे हो चुके है और जिन लोगों ने गांवो से बाहर अपने मकानात बना लिए है उन लोगो को इस अमैंउमैंट से काफी तकलीफ होगी। यदि यह क्लाज 4 लागे रहती है तो बाकायदा बंटवारे के बाद सिविल कोर्ट के तहत उन मकानों को भी तुउवाया जा सकेगा ओर हमे इसमे यह भांका है कि डिप्टी कमी ानर और एस.डी.एम. कोर्ट से उन मकानों को तुड़वाने के लिए दोबारा फेसला करवाया जा सकता है। इसके अलावा इसमे इस किस्म की और भी बहुत सारी बाते होगी। हजारों हजारों मुकदमे हर जिले के दोबारा अदालतों मे आऐगें।

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, मै अर्ज करना चाहता हूं कि इस सब–क्लाज 4 की सैक ान 2 पुराने एक्ट मे थी ओर उसकी रूह से आबादी के अन्दर जितनी भी जमीन खाली पड़ी थीं वह पंचायत मे वैस्ट होती रही हैं। चौधरी संत कंवर ने यह ठीक फरमाया है कि 1954 से इस एक्अ की यह रूह लागू रहे यानी 9 जनवरी, 1954 को जो जमीन खाली पड़ी थी वह पंचायत मे वैस्ट होगी। स्पीकर साहब, 1954 से 1980 तक के 26 साल क अर्से मे ऐसी काफी जमीन का बंटवारा हुआ हैं और उस पर लोगों ने बंटवारा करवा कर भी ओर बगैर बंटवारे के भी अपने मकान बना लिए हैं। हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट की भी डिग्रियां इसमे भाामिल हुईं और उसी के बारे मे झगड़े पैदा हुए, मुकद्दमात चले, लोगो ने बंटवारें के मुकदमें किए और सिविल कोर्ट की डिग्री आने के बाद जो खाली जमीन तकसीम हुई हे वह तो पंचायत मे वैस्ट हो चुकी थी उसका बंटवारा करने का सिविल कोर्ट को अख्त्यार ही नही था इसलिए बड़ी भारी सम्सया पैदा हुई ओर बहुत जटिल प्र न पैदा हो गए। उन को हल करने के लिए ही यह तरमीम आई है कि जो आबादी के अन्दर खाली जमीन थी जिनके बारे मे सिविल कोर्ट की डिग्रीयां हो कर बंटवारे कि लिए उनके बारे मे अब दोबारा किसी प्रकार की मुकद्दमेबाजी नही चल सकती है क्योकि वह जमीन पंचायत मे वैस्अ नही कर सकती। स्पीकर साहब, यदि यह क्लाज इस एक्ट मे नही होती तो उनक जमीनों के बारे मे यह झगड़े–बाजी तब तक चलती रहती जब तक यह सृश्टि रहती। ये कहते हे कि 1954 मे जो सफेद

जमीन पड़ी थी उस पर कब्जे कर लिए चाहे वह जमीन दीवानी की थी, चाहे बंटवारे की डिग्री भी थी वह भी नाजायज करार की जा सकती थी। इसलिए मै इतनी अर्ज करना चाहता हूं कि इस सं ाोधन के जरिए वह इससे लोगो को राहम मिलेंगी। जहां तक गलियों और चौंक आदि की बात है उस पर तो पुरान एक्ट के प्रोवीज ही लागू रहेगें। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के जरिए जो सं ाोधन किए जा रहे है उनके लिए मंत्री महोदय धन्यपसद के पात्र हैं मुझे उम्मीद है चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी इस बात से सहमत होगें।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 5

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 5 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 6

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 6 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 7

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 7 बिल का पार्ट बनें।

क्लाज 1

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

स्वामी आग्निवे ा(पुंडरी): अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रान्त को बने हुए लगभग 14 साल हो चुके है लेकिन इसके बावजूद भी जो भी बिल हमारे सामने आता है उसमें पंजाब का नाम लिखा होता है।

पिछले सै ाान मे भी यह चीज मै सदन के नोटिस मे लाया था परन्तु अभी तक वह बात चली आ रही हैं।

विकास मंत्री (राव राम नारायण): अध्यक्ष महोदय, जब तक ओरिजनल बिल चेंज नही होगा तब तक उका नाम कैसे बदला जा सकता है?

श्री अध्यक्षः ठीक बात है।

स्वामी आग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, नाम बदला जा सकता है।

श्री अध्यक्षः कैसे बदला जा सकता है? एक आदमी का नाम मान लो नत्था सिंह हैं। वह चाहे पंजाब मे है या हरियाणा मे है उसका नाम तो वही रहेगा।

स्वामी आग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, एक बिल ऐसा सरकार क्यों नही ले आती जिसमे यह लिखा जाए कि जो बिल पंजाब के नाम से चल रहे है उन सब का नाम हरियाणा के नाम से चलेगा।

Mr. Speaker: I do not think it is feasible. मान लो यह बिल सन 51 मे बना था और उस समय हरियाणा ऐग्जिसटैंस मे नही था। तो इसका नाम हम चेंज कर सकते है?

चौधरी रामलाल वधवाः अध्यक्ष महोदय, इसमे कोई गलत बात नही है। बहुत से बिल हमारे सामने ऐसे आए है जिसमे पंजाब की जगह हरियाणा हुआ है। जैसे हरियाणा म्यूनिसिपल ऐक्ट . .. .

Mr. Speaker: If a new Bill is enacted only then it will be named as Haryana Bill.

चौधरी रामलाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, मै एक और निवेदन करना चाहता हूं यह एक अमैंडिंग बिल ला सकते हे कि जहां पंजाब भाब्द है वहां वहां हरियाणा भाब्द पढा जाए। यह सब हो सकता है अगर ये करना चाहें।(विघ्न)

स्वामी आग्निवे I: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इस बात का उतर तो दे दें।

Mr. Speaker: I do not think is requires an answer.

श्री अध्यक्ष: प्र न है–

कि टाइटल बिल टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विकास मंत्री (राव राम नारायण): अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री भले राम (बड़ोदा–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मै तो आपके द्वारा सरकार को इतना कहना चाहूंगा कि भाामलात जमीन मे

बैकवर्ड क्लासिज के लोगो तथा हरिजनों के लिए जो प्लाट कटे हुए है और कही कहीं पर खाद के गड्ढे भी देने थे वे आज तक उन्हे नही मिलें। उनका न तो कब्जा दिया गया है और न ही रजिस्ट्री हुई है।(विघ्न) आज दूसरे ही लोग उन पर कब्जा कर रहे है। इसके साथ ही साथ मै एक बात और कहना चाहूंगा। आज बहुत सी भाामलात जमीन गांव मे बेकार पड़ी हुई हैं लेकिन वह बीकर सैक ान के लोगो को नही दी जाती है। स्पीकर साहब, कई जगह, खास करके हिसार मे आदमपुर और भट्टूकलां के साथ ऐसे गांव है वीकर सैक ान के, जहां खाली जमीन पर दूसरे लोग जो जब्रदस्ती कब्जा कर रहे है लेकिन वीकर सैक ान के लोगो को वह जमीन नही मिल रही है। (विघ्न) तो मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि वह इस तरफ भी ध्यान दें।

स्पीकर साहब, मै यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने सिविल कोर्टस को जो राईटस दिये है वे अब कोई नही रहेगें। डी.सी. और एस.डी.एम. को रोजाना टैलीफोन हुआ करेगें। सरपंच लोग अपनी लोगो से दु मनी निकालेगे। जिस जमीन पर सन् 1950 से पहले का कब्जा दिखाया हुआ है, उस पर भी मुकदमें चलेगे। जो गरीब आदमी किसी संरपंच को राय नही देगा उस पर मुकदमा चलेगा ओरउनको अपना हक नही मिल पायेगा। इसलिए इस बिल मे तरमीम की जाये और जो भाामलात जमीन पड़ी हुई है उस पर लठवालों का कब्जा न होने दिया जायें।

तीसरी बात यह है कि जितनी भाामलात देह के बाहर हरिजनों, बैकवर्ड क्लासिज के लोगो को प्लाटस या गढे अलाट हुए है उनको उनका हकदार बनाया जाये या उनकी रजिस्ट्री करायी जायें।

विकास मंत्री (राव राम नारायण): अध्यक्ष महोदय, चौधरी भले राम जी को जो खता हजे वह बेबुनियाद है। हरिजनों को जितने गढे की जमीन मिली है उसकों कंसोलिडे ान के वक्त पर ही उनके नाम कर दिया गया था। गवर्नमैंट की स्कीम के तहत हाउसिंग बोर्ड के जो प्लाट्स दिये जाते है पंचायत उनके नाम रजिस्टरी करवा देती है।

श्री भले राम : आज तक हरिजनों का प्लाट्स कब्जा नही दिया है। पटवारी रजिस्टरी होने नही देतें।

श्री अध्यक्ष: प्र न है–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 84 के अधीनव प्रस्ताव पर चर्चा–

कालांवाली घटना संबंधी

श्री अध्यक्ष: अब श्री मूल चन्द जैन लीडर आफ दि अपोजी ान मो ान अन्डरप रूल 84 मूव करेगें because I have admitteed taht motion under rule 84 Given notice of by Sh. Mool Chand Jain.

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, श्री मूलचन्द जैन जी से पहले मैने अन्डर रूल 66 अडजर्नमैंट मो ान दी थी इसलिए उनसे पहले बोलने की इजाजत मुझे दे दें। मैने श्री मूलचन्द जैन से बात भी कर ली है। यह हमारी आपस की एडजस्टमैंट हे, वे मेरे बाद बोल देगे। (ाोर)

Mr. Speaker: Doctor Sahib, I am sorry, I cannot allow you because I have only admitted motion under Rule 84.

डा. मंगल सैनः यह हमारी इन्टरलन एडजस्टमैंट है।

श्री अध्यक्षः जैन साहब, अगर आप ऐसा चाहते है तो मूव की हुई आपकी तरफ से दिखा देते है ओर इन्ट्रोडयूस वे करदें। (ाोर एवं विघ्न)

श्री मूल चंद जैनः लेकिन स्पीकर साहब, बोलने का मौका मुझे भी जरूर मिलना चाहिए।

Mr. Speaker: Jain Sahib, when this motion will come-up before the House then every-body can speak. (Interruptions)

श्री बीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, भाुरू मे यह एडजर्नमैंट मो ान मेरी तरफ से और डा. मंगल सैन की तरफ से थी और मैने आपके विचार मे भीर बात की थी।

Mr. Speaker: That adjournment motion has been disallowed by me and I have admitted the motion under rule 84. We had arrived at an aggreement and you are un-necessarly again pressing for that. I have alreadly disallowed those adjournment

motions and admitted motion under Rule 84 in the name of Sh. Mool Chand Jain and Sh. Preet Singh Rathee. मेरे कागजात मे मो ान उनके नाम है। Now it is upto the Leader of teh Opposition whether he himself moves the Motion or not. (Interruptions)

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मै सबमि ान करना चाहता हूं कि यह मो ान ठीक है। जैन साहब मो ान पढ दें। मेरे कहने का जो मतलब है . . . . (विघ्न)

Mr. Speaker: Wadhwa Sahib, Please do not interrut. (Interruptions). जिसका नाम है वही मूव कर सकता है। अगर वे मूव करना चाहते है तो करें।

Now I would request Babu Mool chand jain to move his motion.

श्री मूल चंद जैनः मै प्रस्ताव करता हूं–

इस मास के प्रथम सप्ताह मे कालांवली मे हुई दुर्घटना के ि ाकार व्यक्तियों की विधवाओं तथा बच्चों (उन मे से कुद अनाथ हो गए हैं) को अनुग्रह अनुदान के रूप मे वितिय सहायता न देने की राज्य सरकार की नीति, तथा सरकारी लाईसैंस प्राप्त दो भाराब के ठेकों द्वारा ि ाकार हुए व्यक्तियों को नकली भाराब बेचने के परिणामस्वरूप तथा उन द्वारा इसे असली भाराब समझ कर पीने के कारण कम से कम 43 व्यक्तियों, जो कि अधिकतर अनुसूचित जातियों तथा पिछडी श्रेणियों से संबंधित है, की मुत्यू तथा 10 से अधिक व्यक्तियों के अंधे होने से उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिती पर विचार किया जायें।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the police of the Sate Government in not giving monetary help in teh shape of exgratia grants to teh vidown and Children (Some of tehn have become orphans) of the victims of teh Hooch tragedy at Kalanwali in the Ist week of this month; and the serious situation arising from the deaths of at lease 43 Persons, mostly belonging to the Scheduled Castes and Backward Classes and the blinding of more than 10 as a result of the sale of spurious liquor by the two Government licensed liquor vends ot the victims and its consumption by tehm believing it to be genuine liquor, be taken into condideration."

श्री मूल चंद जैन (सम्भालका): स्पीकर साहब, वैसे तो यह मो ान सैल्क एक्सप्लेनेटरी है लेकिन मै हाउस मे ट्रेजरी बैंजिज के सामने कुछ बाते रखना चाहता हूं। इस वाक्या के बारे मे दो दिसम्बर को गवर्नमैंट का पता लग जाता है कि दो दूकानों से बिकी हुई भाराब से कई व्यक्तियों की मौतें हो गई है। तीन दिसम्बर को तीस–चालीस आदमियों की मौत की खबर अखबारों मे भी आ चुकी थी और अन्धें होने की भी आ चुकी थी। जब मुझे पता चला ता मै भी खुद कालांवाली गया। चीफ मिनिस्टर साहब भी गयें। मुझे इस बात का अफसोस है कि जैसे ही मै वहां गया और लोगेा से मिला, उनके घरों मे भी गया जिनके आदमी मरे थें उन लोगो ने मुझे बताया और यह गवर्नमैंट के लिए भी बहुत परे ाानी की बात होनी चाहिए। लोगो का ख्याल है कि चीफ मिनिसस्टर साहब कालांवाली के मामले को ह ा अप करने के लिए आयें है । अगर ऐसा है तो सरकार के लिए अफसोस की बात है। यह इस बात की नि ाानी है कि लोगो का सरकार से एतबार भी उठ गया

है। यह अच्छी बात कि सैक ान 302 और 304 के तहत मुकदमे दर्ज जो गये है। प्रैस से यह भी पता चला है कि उनके पार्टनर्ज के खिलाफ भी मुकदमें दर्ज हुए है ओर कुछ ऐसे आदमियों को भी गिरफ्तार कियागया है जो बेनामी तौर पर भारीक थें। मुझे इस बात का भी अफसोस रहा कि कुछ लोगो द्वारा हमारे हाउस के एक मैम्बर पर भी भ्रुबहा किया जा रहा है। अगर उन पर भ्रुबहा है और कोई एवीडेन्स है कि उस ठेकेदार के साथ हिस्सा है तो वह सबूत देगें। मुझे नही पता कि पुलिस को सबूत दिया है या नही। जहां तक मेरा ताल्लुक है मै तो यह समझता हूं कि अगर उस पर भ्रुबहा करते है तों इस बात का सबूत दे कि ठेकेदार उनको हिस्सा देता था, जब तक जिमनी मे सबूत नही आयेगा तो मै वकील की हैसियत से कह सकता हूं कि उस पर हाथ नही उठाया जा सकता। वहा पर 20 के करीब व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके है। मैने इन बातों की सफाई के लिए अपने मो ान मे लिखा था। मै चाहता हूं कि वहां पर जो घटना घटी है उसको ध्यान मे रखते हुए सरकार को तुरन्त उचित न्यायसंगत कार्यवाही करनी चाहिए। इस घटना के घटने के बाद मै भी कालांवाली गया था और सी.एम. साहब भी वहां पर गए थें। इन्होने 13–14 तारीख को प्रैस कांफ्रेंस बुलाई हुई थी। मै चाहता हूं कि इस कांड की जांच सी.बी.आई. से करा ली जायें। लेकिन इन्होनी सी.बी. आई. से जांच करवाने से इंकार कर दिया। जो लोग वहां पर इस घटना मे मारे गए है, उसके बाद जो हालात वहां पर पैदा होने थे वे हुए। काफी लोग इक्ट्ठे हो कर ठेकेदार की दुकान पर गए और उन्होने वहा पर ठेकेदार का पकड़नें की मांग की और अपना रोश प्रकट किया। गवर्नमैंट ने इस केस की सी.बी.आई. से जांच न करवा कर

अच्छा नही किया है। मै चाहता हूं कि इस केस की जांच सी.बी.आई. से अव च करवाई जायें। इससे एक और भी फायदा हागा कि जिन का नाम इस केस मे लिया जा रहा है उस बारे मे सच्चाई सामने आ जाएगी। उसमे उनका अपना भी हित होगा। सी.बी.आई. द्वारा जांच कराये जाने से किसी को कोई भाक भ्ाुबहा नही रहेगा। जहां तक भाराब से अफैक्टिड लोगो का माली मदद देने का संबंध है, चीफ मिनिस्अर साहब ने इंकार कर दिया हैं। माली मदद न देकर भी सरकार ने कोई अच्छा काम नही किया। मै समझता हे कि उन परिवारों की माली मदद अव य न करना कोई राजनैतिक कारण, नैतिक कारण होगा। लेकिन सरकार को उनको माली मदद अव य देनी चाहिए। केवल जो पोलिटिकल कारण है उसके बारे मे ही थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। जब चीफ मिनिस्टर साहब वहां पर गए तो उन परिवारों के पास जो इस घअना मे मारे गए है मिल कर क्यो नही आये? जब मै भी वहा पर गया ओर सी.एम. साहब भी वहा गए तो वहां धारा 144 लगा रखी थी। सैंकडो़ पुलिस कर्मचारी एक जगह पर खड़े थे और सैंकड़ो की कर्मचारी दूसरी जगह पर खड़े थें। इसलिए मै मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो यह पुलिस वहां पर थी क्या वह ठेकेदार की रक्षा करने के लिए थी या जो आदमी मारे गए है उनके परिवारों की रक्षा करने के लिए बुलाई गई थी। जब वहां पर इस तरह से लोग मरने लगे तो वहां पर लोगो के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसमें ऐसे आदमियों के नाम भी लिए जा रहे है जो बिल्कूल इससे संबन्ध नही रखते और उनको गिरफ्तार किये जाने का डर है। इसलिये मै चीफ मिनिस्टर साहब से चाहूंगा कि वे इस केस मे किसी को

गिरफ्तार न करें उनके खिलाफ कोई बदले की भावना से काम न करे । जहां तक उनके परिवारों को माली मदद न दिये जाने की बात है मै समझता हूं कि यहां पर सरकार के जो हैडक्वार्टर पर औफिसर बैठे है उन्होने इंकार कर दिया होगा कि इस प्रकार तो भाराब पीने वाले लोग मरते ही रहते है। इसलिए उनकी सहायता करना नही चाहती। मुझे अफसोस है कि प्रातः हमारे एक डिप्टी मिनिस्टर श्री लाल सिह जी के मुंह से एक गलत बात निकली कि उन्होने भाराब क्यों पी? जहां तक उनकी माली सहायता करने का प्र न है वह सरकार को अव य करनी चाहिए। जहां तक उनकी माली सहायता करने का प्र न है वह सरकार को अव य करनी चाहिए। सरकार को इन ठेकों से प्रति वर्श 30—35 करोड़ रूपये की आय एक्साईज ड्यूटी के रूप मे या और किसी तरीके से हो रही है। जब सरकारी ठेके से भाराब बेची जा रही है, और सरकार भाराब की सप्लाई देती है, एक्साईज डिपार्टमैंट लाईसैंस जारी करता है और सरकार भाराब की सप्लाई करती है तो मै नही समझता कि उनकी सहायता न की जाये। इस केस के अन्दर सारी हरियाणा सरकार भागीदार है। इस केस के अन्दर कोई एक व्यक्ति नि ाना नही होगा बल्कि सारी हरियाणा सरकार इस का नि ाना बनेगी। ऐसी हालत मे चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि उनकी माली सहायता करना असम्भव है। चीफ मिनिस्टर साहब कहते है कि हमने वहा पर लायर्ज भेजे है। मै लायर्ज होने के नाते यह कह सकता हूं कि दिवानी कोर्ट मे केस का फैसला होने मे कितना समय लगता है इस को मेरे लायर्ज साथी भी जानते होगे। इसलिए सरकार को उनको माली मदद अव य देनी चाहिए। मेरे दूसरे बहुत से दोस्त भी इस पर बोलना चाहते है।

उनका भी इस पर बोलने का मौका मिलना चाहिए और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। यह कोई छोटी मोटी ड्रेजरी नही हुई हैं। यह सरकार पर एक बहुत बड़ा भारी कलंक है। इस कंलक को सरकार उनकी माली मदद करके ही कुद धो सकती है। बहुत से मासूम बच्चे यतीम हो गए है, नौजवान औरतें विधवा हो गई है ओर मरने वाला मे बहुत से व्यक्ति सिर्फ 20–30 वर्श के ही है। प्रायः हरिजन और बैकवर्ड लोग मरे है। इस प्रकार उनका परिवार तबाह हो गया है। अतः स्पीकर साहब, मै ज्यादा न कहते हुए फिर सरकार से यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी माली मदद अव च की जायें।

डा. मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, मै आपको कालांवाली मे हुई घटना की दूख भरी दास्तां सुनाना चाहता हूं। मैने ओर मेरे लायक दोस्त श्री बीरेन्द्र सिंह जी ने इस घटना से संबंधित एक एडजर्नमैंट मो ान इस विधान सभा मे सदस्य होने के नाते अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपकी सेवा मे प्रस्तुत की थी। आपने इस पर बाद मे दो तीन तक ठण्डे दिमाग से विचार किया। आज हमने धारा 84 के अधी इस पर एक घंटे की चर्चा के लिए समय रखा है। मुझे खेद है कि जो मो ाना मैने और माननीय सदस्य श्री बीरेन्द्र सिंह जी ने दी थी वह रिजैक्ट कर दी। फिर भी जो आदे ा आप हमे देगे उन आदे ाों को हम सिर झुका कर स्वीकार करेगे और मानेगें।

Mr. Speaker: I think, on this point, I must say that there was an agreement which . .. .

Sh. Verender Singh: Yes, Sir.

Dr. Magal Sein: I also admit, Sir. we have not intention to annoy you. We just wanted to bring to you kind notice. My humble submission is स्पीकर साहब, कालांवाली सिरसा जिला का छोटा सा कस्बा है। इस कस्बे मे वह ठेका जिस ठेके से उन दिन भाराब खरीदी गई थी वह दो आदमीयों सर्वश्री कृश्ण लाल और सोमनाथ के नाम से हैं। सरकार को इस ठेके से बहुत लाभ होता हैं। इस साल भी यह ठेका 16 लाख 20 हजार रूपये का छूटा हे। पहली तारिख का यानि एक दिसम्बर को जिन दिन गरीब लोगों को तनख्वाह मिलती है, कर्मचारियसो को और मुलाजिमों को पैसा मिलता है उस दिन यह घटना घटी। जबकि वह दिन सरकार की तरफ से ''ड्राई डे'' होता है फिर भी भाराब बिकी जबकि उस दिन भाराब की बिक्री नही होनी चाहिए थी। वहां पर रोजाना 500 बोतलें भाराब की बिकती हे। उस दिन भी वहा 300 बोतले बिकी है। स्पीकर साहब, दो दिसम्बर का मौत हो जाती हैं यह बात सरकार के नोटिस मे भी आ जाती है और चारों तरफ हा हा कार मच जाता है लेकिन सरकार के बहरे कानों पर कोई जूं तक नही रेंगती। लोग उन बेचारो को चारपाई पर उठा कर सिरसा के अस्पताल मे लाते है वे वहा पर आते आते दम तोड़ जाते हैं। कितनी दर्दनाक यह घटना वहा पर घटी है। इस कस्बे मे किसी का दामाद मारा गया है, किसी का भाई मारा गया और किसी का कुछ। स्पीकर साहब, मुझे बड़ा अफसोस है कि सी.एम. साहब वहा होते हुए उनके घरों तक नही जो सके। उनकी रैस्ट हाउस से बाहर निकलने की हिम्मत ही नही हुई। मरने वालों के घरों मे अफसोस के आंसू बहाने नही जा सके। इस भय से भाायद कि कोई आगे से कुछ कह न दें।

सिंचाई तथा बिजली उप–मंत्री (श्री देवेन्द्र भार्मा): यह काम तो आप किया करते थें कि लोगो के घरों मे घुस कर .. . . (ाोर व व्यवधान)

डां. मंगल सैनः अगर मेरे भाई देवेन्द्र को इस बात का कोई भाौंक हो कि उन्होने कुछ कहना ही जरूर है तो अलग बात है वरना यह तो गमगीन मौका है। उन्हे मेरी बात बड़े ध्यान से सुननी चाहियें। उन्हे ऐसी बचकाना बात नही करनी चाहिये।

तो स्पीकर साहब, मै यह कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी वहां पर गये जरूर लेकिन वहां पर मरने वालों के घरों मे जाकर बहिनों के आंसू नही थमाये, जिसका सुहाग उजड़ गया था और उस मां के पास नही पहुंचे जिस मां की गोद सूनी हो गयी थी। यह गये पुलिस की ताम–झाम के साथ और वहां पर जाकर डिप्टी कमि नर को बुलाया। उससे पूछा कि यह क्या माजरा हैं। उन्होने यह कहा कि मैने तो पहले ही आपसे यह कहा था कि यहां पर कोई बहुत बड़ा हादसा होगा तभी आपकों पता चलेगा क्योकि यहां पर ऐसा धंधा होता है। इसके पीछे राजनैतिक लोगों का हाथ है, उनको गिरफ्तार करना चाहिये। यह कहने लगे कि तूने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? उस बेचारे को तीन घंटे के अन्दर ही वहां से चलता कर दिया गया। स्पीकर साहब, उन्होने यह कहा कि हम वहां हो कर आये है। हम भी जनता के रिप्रेजैंटिव है जो दल बदल जायें और वह भी होल–सेल मे कर जायें। चौधरी देवी लाल भी वहां गयें। (व्यवधान व भाोर) मैने इनका भी नाम

लिया है कि ये भी गये। इन्होने अपना कार्य पूरा किया। ये भी गये, बाबू मूल चन्द जैन भी वहां गयें। (भाोर)

उप श्रम–मंत्री (चौधरी लाल सिंह): प्वायंट आफ आर्डर सर, स्पीकर साहब, मैने आज तक कभी किसी के बारे मे गल्त बात नही कही।

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नही हैं।

चौधरी लाल सिंहः दूसरी बात मै यह कहना चाहता हूं कि ये तो यू ही कह रहे है, हम दल–बदलू नही है।

चौधरी राम लाल वधवाः मुझे तो यही बात याद आती है। * * * ** * * * * * * * * * * ** *

श्री अध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जावें।

डा. मंगल सैनः मुझे तो किसी माननीय सदस्य का इस कांड के बीच मे घसीटने का कोई भौंक नही है। इस सदन के सारे माननीय सदस्य हैं। जब कोई बात वहां पर आयी है तो वह स्पश्ट होनी चाहिए। क्या कारण है कि जनता मे इस बात को लेकर वहा पर मांग खड़ी हुई कि एक एम.एल.ए. को भी गिरफ्तार किया जायें। उनके छोटे भाई गुरूदेव सिंह ने वहा पर पिस्तौल क्या जनता की तरफ तान दिया? Why was he so excited? क्या कारण है? उसके पिछे एक कहानी हैं। मै वहा के लोगो की एक लिस्ट लेकर आया था मुझे पता नही था कि आज कालांवाली घटना पर डिस्क ान हो जायेगी। एक दादू और दूसरा

तख्तमल नाम का गांव है। वहां से दो दो किलोमीटर दूसरी पर है लेकिन उन गावों का बड़ागुड़ा थाने मे लगा दिया ताकि वहां के लोग जो मण्डी मे रोज आते हैं, इनके धन्धे की चर्चा न करें। वहा का जो थाना है वह एक तरफ है वहो कौन पूछता है वह एक छोटा सा कस्बा हैं। मै आपके जरिये से यह भी कहना चाहता हूं कि यह बात इनकी नौलेज मे है क्योकि इनको वहा के पुरानें प्रधान की ओर से रिप्रेजैंटे ान मिली हैं। स्पीकर साहब, मै यह भी कहना चाहता हूं कि भाराब के लाइसैंस सरकार देती है इसके लिये सरकार को बाकायदा डिपार्टमैंट बना हुआ है। जिसका नाम एक्साईज डिपार्टमैंट हैं। उसने अपने इंसपैक्टर छोड़े हुए है ताकि जो भाराब पीने वाले है उनको सही भाराब मिले, उसमे कोई मिलावअ न हो । कोई जहर न मिला जायें। इसके अलावाप समय समय प ये भी ठेको को इंसपैक्ट करते रहतें है। वह स्पीकर साहब, नवम्बर की 17 तारीखा को यह कहते है कि लास्ट इस्पै ान हुई है। उसके बाद 13 दिन बीच मे क्यो नही हुई? क्या कारण हैं? वहां लोग यह कहते है ठेकेदार बहुत लम्बे हाथो वाला व्यक्ति हे। सरकारी दल के लोग उसके आगे पीछे घूतते है। उसने इसको राजी किया हूंआ था। इस कारण से वहां पर कोई जाता ही नही था। स्पीकर साहब, मुझे बड़ा अफसोस है यह कहते हुए कि पुलिस भी ठेकेदार के हाथो मे खेलती रही। जब वहां पर हो–हल्ला हुआ, उसे यहां पर हल्ला करवाया गया, उसके बैंउ पर तो सारा रिकार्ड डिस्ट्राय करवा दिया गया ताकि यह पता ही न चल सके कि उस दिन कितनी बोतल भाराब की बिक्री है और कितनी नही बिकी है। स्पीकर साहब, मै भी वहां पर जब गया तेा मेरे पिछे भी पुलिस वाले हो लिए,

मैने कहा भाई कि मेरे क्यों मेरे साथ आ रहे हो जबकि बाबू जी तो यह कह रहे थें कि वहां पर पुलिस इधर–उधर बहुत ज्यादा खड़ी थी। मै तो यह देख रहा था कि हवा पर आप क्या कर रहे हों? पुलिस की वहां पर छावनी क्यों बना रखी है, क्या जरूरत है इतनी पुलिस वहां पर खड़ी करने की? आपको भी अगर हमदर्दी है उन मरने वालों से तो ... . (व्यवधान व भाोर) या तो यह कह दो कि हमे हमदर्दी नही है। स्पीकर साहब, मै आपकी माफत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वहा पर जो यह ब्यान दिय गया है उस ओर जरा ध्यान दें। वहां पर लच्छूमल जो एक मरने वाले के पिता है, ने सी.आई.डी. के सामने यह ब्यान दिया है कि इनके बेनामी हिस्से हैं।(व्यवधान व भाोर) उन्होने इन्कवायरी अफसर के सामने यह कहा है कि इनके बेमानी हिस्से है। फिर जब हम कहते है आप सी.बी.आई. की जांच करवाओ तो पता चल जायेगा, आप उसको भी नही मानते। हम यह मांग करते है कि इस मामले मे सी.बी.आई. की इन्कवायरी होनी चाहिय। स्टेट की तो आपकी म ीनरी है, वह आपके अपने आदमी है, उनसे तो आप जैसा चाहोगे वैसा लिखवा लोगे। चौधरी भजन लाल जी ने यह कहा था कि चौधरी देवी लाल जी को सन्यास ले लेना चाहिए क्योकि वह गलतब्यानी कर रहे है। यह तो बड़े सत्यावादी बने फिरते है। राजा हरि ा चन्द्र के बाद आप ही इस धरती पर अवतार हुए हों। अक्तुबर–नवम्बर और दिसम्बर के महीने मे अपनी आदत के मुताबिक आप इन्दिरा गांधी की पार्टी के खिला प्रचार करते रहे और यह कहते रहे कि अगर यह सत्ता मे आ गयी तो लोकतन्त्र खत्म हो जाएगा लेकिन अब उसके बाद आपने यह

कहा कि हम तो आपके चरणो मे आ गये हैं .. . . .आप हमें रखो .. . . (ोम भोम की आवाजें) (व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: Dr. Sahib, I would request you to please confine yourself ot the Kalanwali tragedy.

Dr. Mangal Sein: Mr. Speaker, Sir, the Chief Minister had Publicly denounced Dh. Devi Lal and said that the should go in for Sanyas. Though I have political differences with Ch. Devi Lal, who had levelled certain alklegations against the Chief Minister and the Excise Minister, yet it is unfair for teh Chief Minister to say that he (Ch. Devi Lal) should go in for Sanyas. मै कहना चाहता हूं कि वह सन्यास क्यों ले लें। आप तो यह कह रहे थे कि 22 लोग मरे है फिर 23 लोग मर गये। कल ही सूचना आयी है कि एक आदमी जो 15 दिन से बिस्तर पर पड़ा था, ववह भी दम तोड़ गया है। पता नही सै ान के बाद भी कितने लागा इस तरह से मरैगें जो अभी वहां पर अस्पतालों मे पड़े है। मै कहना चाहता हूं कि उन लोगों को सन्यास लेना चाहियें जो असत्यावादी हों। आप कितने सत्यावादी हों? हम आपको अच्छी तरह से जानते है कि आप कितने सिद्वांतवादी है? कितना सिद्वांतों को मानने वाले हो? आपका तो एक सिद्वान्त है कि गवर्नमैंट मे बने रहना है। यह आपका सिद्वांत है। पहले जनता पार्टी मे रहे तो गवर्नमैंट मे बने रहें। फिर जनता पार्टी छोड़ कर कांग्रेस पार्टी मे गए तो गवर्नमैंट मे बने रहने के लिये चले गये। अगर आपको लोकदल मे सत्ता के लिये आने की जरूरत पड़े, तो आप इसमे भी गुरेज नही करोगें। किस सिद्वांतवादी व्यक्ति को सन्यास लेना चाहिए, यह देखने वाली बात है? मेरा यह भी कहना है कि अगर इनमे जरा सी भी गैरत है,

उन तड़पती हुई लो ाों के बारे मे कुछ जरा सा भी ख्याल है, उन बहू–बेटियों के साथ थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो इनको मुख्य मंत्री पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। He has no moral right to remain in power and Sir, the Excise Minister who always claims to be a Gandhian should also resign. I am shamed of to say this. उनकी आत्मा भी मुझे पता नही क्यो सेा गयी है यह तो भगवान जाने लेकिन मेरा ख्याल यह है कि वह भी गद्दी से चिपके रहना चाहते है। स्पीकर साहब, इस दे ा मे कांग्रेस के कुछ नेता हुए है जिनका नाम लेते हुए हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। वह है लाल बहादूर भाास्त्री जी। रेल की दुर्घटना हुई लोग मरने लगें। स्पीकर साहब, वह इंजन नही चलाते थकं, वह तो गार्ड की सीटी नही बजाते थें। Why did he resign from his post? Because he felt that it was his moral duty. If he thinks some Moral "Duty" he must also Quit. मेरी मांग है कि यह त्यागपत्र दे, एक्साइज मिनिस्टर त्यागपत्र दे और सी.बी.आई. से इन्कावायी होनी चाहिए। सैन्ट्रल ब्योरा आफ इन्वेस्टीगे ान के थ्रू इन्कवायरी होनी चाहिए क्योंकि इन पर तो हमे भरोसा नही है। ये भाब्द कहते हुए मै सदन से प्रार्थना करता हूं कि वहां इतना भयंकर कांड हुआ हैं और जनता मे त्राहि–त्राहि मची हुई है, इस बात को सामने रखकर इस सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण–

(i) उप–श्रम मन्त्री, चौधरी लाल सिंह द्वारा

उप श्रम मंत्री (चौधरी लाल सिंह) : स्पीकर साहब, मै पर्सनल ऐक्सपलेने ान देना चाहता हूं। स्पीकर साहब, मै बाबू मूल चन्द जैन जी जो लीडर आफ दी अपोजी ान है, उनकी बड़ी कदर करता हूं। स्पीकर साहब, मैने यह बात कही थीं कि उन मरने वालों से मुझे हमदर्दी है और उतनी ही हमदर्दी है जितनी बाबू मूल चन्द जैन को है। लेकिन जितना समय वे हाउस का खराब कर रहे है अगर इतना ही समय वे उन लोगो को समझाने मे खर्च करे तो जो भाराब पीते है तो उनका कितना भला हो सकता है। जो लोग भाराब पीते हैं उनकी भाराब बन्द करायें। वे लोग भाराब पी पीकर मर रहे है और यहां सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। जो लोग किसी तीर्थ यात्रा पर जाते है और वहां पर मर जाते या भारत की रक्षा करते हुए मर जाते तो हमारी उन लोगो से बहुत ज्यादा सहानुभूति होती ओर सरकार उनकी मदद करती है। स्पीकर साहब, भाराब पीने वाला आदमी बहुत खराब होता हैं। मै तो यह कहना चाहता हूं कि जो भाराब पीने वाले मैम्बर है उनको अहद करना चाहिए कि आज के बाद कभी भाराब नही पीऐगें। स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात नही है कि हमे उनसे हमदर्दी नही हैं। ये लोगो को समझाए की भविश्य मे लोग भाराब न पीयें।

(ii) सरदार सुखदेव सिंह द्वारा

सरदार सुखदेव सिंहः आन ए प्वायंट आफ पर्सनल ऐक्सप्लेने ान। स्पीकर साहब, मै हाउस से बड़े दावे और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मेरा ठेकेदार से कोई से कोई सम्बन्ध नही है बल्कि असलियत यह है कि मेरे भाई गुरदेव सिंह और लाल चन्द

ठेकेदार की मुकदमेबाजी चल रही है और उसका फैसला अदालत ने हमारे हक मे हुआ है। ये इस तरह से ऐलीगे ान असैम्बली से बाहर लगाकर देखे, मै इनका कोर्ट मे ले जाऊगां। मैने चौधरी देवी लाल और दारा सिंह को नोटिस भी दिए हुए है। स्पीकर साहब, मै तेरह दिन वहा रहो हूं सारे लोगो से मिला हूं सारी हड़ताल मैने खुलवाई है। ये लोग * * * * * * * * * * * * करते है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप अनपर्लियामैंन्टरी भाब्द इस्तेमाल न करें। ये भाब्द एक्सपंज कर दिया जाएं।

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री वीरेन्द्र सिंह(नारनोंद): स्पीकर साहब, मेरे से पहले हमारे नेतागण बाबू मूल चन्द जैन तथा डा. मंगल सैन कालांवाली कांड के बारे मे बहुत कुछ कह चुके है। डाक्टर मंगल सैन ने हिन्दी मे कुछ भाब्द उस सही पिक्चर को डिपिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए। स्पीकर साहब, मै समझता हूं कि वहां पर कयामत बरपा हुई है। आप सिरसा से सरदूलगढ़ रोड़ पर रोड़ी से कालांवाली की तरफ जाए तो उस सड़क पर पहले करंगवाली, फग्गू और दादू गांव आते है। मै और चौधरी देवी लाल किसी भी गांव मे दाखिल हुइ तो सारा गांव रोता हुआ हमारे सामने आता था। वे लोग कहते थे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमको कुता की तरह से मारा गया हैं। जिस तरह से कुतो को गोली दी जाती है उसी तरह से हमको भी जहर की गोली दी गई है। स्पीकर साहब, हम नही कहते और न ही हमारे नेता कहते है कि वहां

डा. सुखदेव सिंह या गुरदेव सिंह का ठेका है। वहां का एक–एक बच्चा यह कहता है कि ''ठेका डा. दा है''। अगर इनका ख्याल है कि मेरा नाम झूठा ही लिया जा रहा है तो यह खुलकर सामने आए और कहें कि सी.बी.आई. से इन्कवायरी करवा लों। ये छिपने की क्यो कोि ा ा कर रहे है। इनको अपनी इमेज साफ करनी चाहिए। स्पीकर साहब, कई गांव तो ऐसे आए जहां चार चार और पांच–पांच आदमी मारे गए है। कालांवाली खास कस्बे मे जब हम गए तो यह जानकर दुख हुआ कि वहां पर दफा 144 लागू है। यह चीज हमने पहले अखबार मे नही पढी थी। कालांवाली कस्बा जहां पर 17 मोंते हुई और एक–एक घर मे चार–चार मौते हुई तो स्वाभाविक है कि उस घर मे बीस–बीस रि तेदारे जरूर आएगें। इस सरकार की तरफ से इतना जुल्म किया गया हैं कि इसने मातमपुरसी भी नही करने दी। लोगो को अफसोस करने के लिए भी नही जाने दिया। मुझे पता लगा है कि दफा 144 अभी तक नही उठाई गई है। स्पीकर साहब, एक बात और कहना चाहता हूं। पहले मुख्यमंत्री कहते थे कि 23 मौते हुई है लेकिन हम कहते है कि 23 से ज्यादा मौते हुई हैं यह नही माने। सै ान नजदीक आया तो इन्होने कहना भुरू किया कि 43 मौतें हुई है। स्पीकर साहब, मै बताना चाहता हूं कि एक बोतल पीने से चार आदमी मरें हैं। एक पव्वे के पीने से एक आदमी मरा। वहा पर तीन सौ बोतले बिकी हैं। इस हिसाब से बारह सौ अपादमी होते है जो मरेगें। डाक्टरों का कहना है कि सैकड़ो लोग अन्धे हो चुके हैं। मै और चौधरी देवी लाल कुछ लोगो से अस्पताल मे मिलने गए। वहा पर दादू गांव का एक आदमी मिला। उसकी आखें खुली हुई थी। हमने सोचा कि भाायद यह आदमी पहचान

नही सका। मैने कहा कि यह चौधरी देवी लाल है। तो वह आदमी रोने लगा और कहा कि मै आवाज तो पहचानता हूं लेकिन मेरी बीनाई चली गई है। स्पीकर साहब, मउै ता यही कहना चाहता हूं कि सरकार ने नैतिकता की बात को छोड दी है अगर नैतिकता होती तो अब तक यह सरकार अस्तीफा दे देती। मै तो श्री बलवन्त राय तायल से कहना चाहता हूं कि अगर बापकी जमीर है तो आपको अस्तीफा दे देना चाहिए औ इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अगर आप इस वक्त का फायदा नही उठाऐगें तो मुख्यमंत्री आपको निकालेगे। अजा आपको एक मौका मिला हैं। आप अपनी इमेज को बना लें। स्पीकर साहब, अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि हम एक बाल्मीकि परिवार के अन्दर मातम पुरसी के लिये गयें। उस परिवार के पांच मैम्बर थें। (ाोर) स्पीकर साहब, आपकी हम लोगों के साथ हमदर्दी है। आप कभी नाराज हो जाते है। लेकिन हमारी कोई नाराज करने की इटेन् ान नही होती। उस परिवार मे एक बच्चा और दूसरे 23, 35 और 40–40 साल के मैम्बर थे। पता चला कि उस परिवार के चार मैम्बरों की मौत हो गई है और जो 6 साल का बच्चा था, वह तड़पता रहा और मुख्यमंत्री महोदय, रात 11 बजें तक रैस्ट हाउस मे पुलिस की छत्रछाया मे बैठे रहें। उसके मन मे इनिा भी रहम नही आया, इतनी भी दया नही आयी कि कम से कम उस परिवार वालों के के घर तक ही चले जाएं। चौधरी देवी लाल जी मेरे साथ थें, उन्होने अपनी तरफ से 400 रूपये उस परिवार को दिये और ये लोग ऐसे है, बेरह है कि इन्होनें आज तक मरने वाले लोगों के परिवारों के प्रति कोई सहानुभूति नही दिखलायी है, कोई कम्पन्से ान अनांउस नही किया हैं। (ोम भोम)। यह सरकारक के पार्ट पर कितनी

मानवता से गिरपी हुई बात हैं। इनका भार्म आनी चाहिए। स्पीकर साहब, मै अन्त मे इतना ही कहुंगा कि हमारी तीन मांगें है– पहली कि असल कातिल का पकड़ा जाए, चाहे वह कोई भी हों, दूसरी इस मामले की जुडि ियल जांज करवायी जाए, तीसरी कि इनको अस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यावाद।

बैठक का समय बाढाना

श्री अध्यक्षः साहेबान हमने इस सबजैक्ट पर एक घंटे की डिस्क ान रखी थी और यह मामलाा तीन बजकर कुछ मिनिटस पर आरम्भ हुआ था और हाउस लगभग 4 बजे तक चलना था। अब चूंकि मुख्यमंत्री महोदय ने भी जवाब देना है इसलियें अगर हाउस चाहें तो यह समय बढाकर साढे चार बजे तक कर दिया जाए।

आवाजें: ठीक है हाउस का समय साढे 4 बजे तक बढा दिया जाएं।

श्री अध्यक्षः हाउस का समय साढे चार बजे तक बढाया जाता हैं।

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य मे हुई एक बहुत ही भार्मनाक औरप दुखदायी घटना के ऊपर नियम 84 के अन्तर्गत इस हाउस मे चर्चा चल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, अवैध भाराब पीकर होने वाली मौतों का समाचार अखबार पढने

वालो के लिये कोई नयी बात नही है। कई जगहो पर यह खबरें उठती है। कि फलां जगह पर अवैध भाराब पीने से इतनी मौते हो गयी, फलां जगह पर अवैध भाराब पीने से लोग अन्धे हो गये लेकिन अध्यक्ष महोदय, भाायद पहली बार हिन्दुस्तान के इतिहास मे हुआ होगा कि एक सरकारी ठेके पर लाईसैंस Iुदा दुकार पर अवैध भाराब की बिक्री हो और उसके पीने से इतनीलोगो की मोत हुई हो। यह बड़ा गम्भीर मसला हैं कि एक सरकारी लाईसैंस Iुदा दुकार पर अवैध भाराब बिकती हो ओर आज उसी गम्भीर मसले पर यहा पर बहस हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मै यह जानना चाहती हूं कि उस वक्त जिले की एडमिनिस्ट्रे ान कहां थी, कहां थे उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री, कहा थी उस वक्त वहां पुलिस, जिनके रहते हुए उस सरकारी ठेके पर अवैध भाराब बेची जा रही थी? क्यो न पुलिस की जानकारी मे यह बात नही आयी कि फलां ठेके पर पर अवैध भाराब की बीक्री हो रही है। अध्यक्ष महोदय, जब मुख्यमंत्री वहां जाते तो जिले की एडमिनिस्ट्रै ान को यह आर्डर देते है कि इस तरह की मौतों की खबर अखबार मे क्यो आयी और फिर मुख्यमंत्री महोदय ऐलान करते है जिला अधिकारियों के सामने कि no more deaths now. उनको यह हिदायत थी कि इन मौतो की खबर अखबार मे नही आनी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि भाायद जीनव और मृत्यू का विभाग भी मुख्यमंत्री ने अपने हाथ मे नही छपेगी। बड़ी हैरानी की बात है, मुख्य मंत्री ने अपने हाथ मे ले रखा है। (हंसी) यानी जो हो चुका सो हो चुका अब आगे से ऐसी मौत की खबरे अखकारेां मे नही छपेगी। बडी़ हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री ऐसा ऐलान करते है। (ोम भोम) अध्यक्ष महोदय, अवैध भाराब पीने से जो मोते हो चुकी है। उनकी

आकंड़े कम से कम 150 तक पहुच चुके हैं। कल एक डाक्टर ने वहा जाकर 27 आदमियों का मुआयना किया जिसके बारे मे 15 आदमियों मे से 4 आदमी की बिनाई आने की की सम्भावना है और बाकी के 11 आदमियों की नजर वापिस नही आ सकती। यह कितनी दुखदायी और भार्मनाक घटना घअी है और इस के बावजूद सरकार ऐसी मामले पर यहां पर डिस्क ान नही चाहती थी। हम तो सै ान के आरम्भ मे ही इस घटना के बारे मे यहां पर डिस्क ान चाहते थे लेकिन आज तीन दिन हो गये सै ान चलते हुए, इस सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नही दिया था और आज कही जाकर तीन दिनों के बाद चर्चा का मौका हमे मिला है।

अध्यक्ष महोदय, इतना की नही इस सरकार ने मरने वालों के किसी भी एक परिवार को कोई वितीय सहायता का एलान तक नही किया है। अध्यक्ष महोदय, अननैयुरल डेथस तो होती ही रहती है लेकिन जब से चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने है, कभी फरीदाबाद मे मजदूरों का मसला उठ खड़ा हुआ और वहां पर गोली चलवा दी, तो कभी डबवाल कांड खड़ा हो गया और प्रद ार्निकारियों को मरवा दिया और यह कालांवाली का मामला, लेकिन बाप भी महसूस करेगे कि इस सरकार ने किसी भी मरने वाले के परिवार के लिये कोई वितीयस सहायता का एलान आज तक नही किया हैं। यह कितनी भार्म की बात है इस सरकार के लियें।

श्री अध्यक्षः सुशमा जी, आप वाइंड अप करियें। (ाोर)

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, बस मै एक दो मिनट मे ही अपनी बात कह कर समाप्त करती हूं। अध्यक्ष महोदय, आज सारा सदन इस मामलें पर बड़ा एजीटेटिड है। हमारे एक माननीय साथी, चौधरी लाल सिंह जी, जिनकी हम बडी़ कदर करते हैं, हव कह रहे थें कि किस ने कहा था उन लोगो को भाराब पीने के लि। मै इन से पूछती हूं कि किस ने कहा था आपकी सरकार को अवैध भाराब बेचने के लियें। (ाोर एवं व्यवधान) आप मुझे बताएं कि आपकी सरकार की नीतियों को डिफेड कर रहे है। वही स्वामी आदित्यावे ा जी भी आज सरकार की नितीयों को डिफेड कर रहे है। वही स्वामी जी पहले जब इन्होने मरण अन ान रखा था तों इन्होने कहा था कि अगर भाराब के ठेके बन्द न किये गये तो मै अपने आपको जला कर राख कर लूगां। अध्यक्ष महोदय, जब इन्होने यह घटना सुनी तब इनको अपने आप को राख कर लेना चाहिए था। इनका आज भार्म नही आ रही हें ये किस मुह से आज सरकार की नीतियों का डिफेन्ड कर रहें है? इतनी आमानवीय घटना इस सरकार के राज मे घटी हो और नीतियों को डिफेन्स कर रहे हों, उनके लिए कितनी गल्त बात है। उनको ऐसा नही करना चाहियें।

16.00 बजें

श्री मनी राम (डबवाली अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मै आपके जरिये सारे हाउस को यह बताना चाहता हूं कि पहले इसी ठेके पर नकली भाराब बिकती रही हैं। आठ–दस महीने हुए यहां के एक बड़े अधिकारी श्री आर्य मित्र जी कालांवाली मंड़ी मे निरिक्षण हेतू गये थे

और उन्होने इसी ठेके को सील किया था और इतना होने केक बावजुद भी सरकार की तरफ से ऐसे आदमियों को भाराब के ठेके दिये गये जोकि नकली और विशैली भाराब बेचते थे। मै आपकों बताता हूं कि पिछले महीने की 30 तारीख को यह भाराब बिकी है और एक और दो तारिख को ही भाराब पीने से लोगो की मौतें होनी भुरू हो गयी थीं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मै आपकी मारफत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसीक हादसे मे एक वेछ प्रका ा नाम के ब्राहृाण की भी मौत हुई है और उसकी एक 11 साल की बच्ची है जोकि यतीम हो गयीहै। क्या सरकार उस यतीम बच्ची को कोई वितीय सहायता देने को विचार रखती है? सरकार को उस यतीम लड़की के पालन पोशण के लियें कुछ न कुछ वितीय सहायता अव य देनी चाहियें। साथ मेरी सरकार से बिनती है कि जो दोशी है उनका सजा दी जाए, जिस तरह से भीलदेवी कांड की घटना घटी थी और इन्कवायरी होने पर उस केस मे पुलिस देाशी पायी गयी थी। इसी तरह से इस घटना की जांच चौधरी भजन लाल जी अपने लैवल पर करवायें और उसकी रिपोर्ट की एक कापी यहां हाउस के पटल पर रखी जानी चाहियें ताकि हम सब को ही हालात का पतप लग सके। स्पीकर साहब, इसलियें मै चौधरी साहब से अपील करूंगा कि इसकी इन्कवायरी होनी चाहिये ताकि लोगो को इन्साफ मिल सके। मै मुख्यमंत्री जी से यह भी आ ाा करता हूं कि ये हरिजनों के साथ इन्साफ करेगे क्योकि इन्होने कई बार स्टेटमैंट दी है इन्हे हरिजनों से बहुत प्यार है। यह जो घटना हुई है इसमे मरने वाले हरिजन भी है इसलियें हर मरने वाले के परिवार को बीस बीस

हजार रूपया बतौर मुआवजा देना चाहिए। इतना कहते हुए मै आपका धन्यवाद करता हुं कि आपने मुझे बोलने का समय दियां।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण–

स्वामी आदित्यवे ा द्वारा

स्वामी आदित्यवे ाः स्पीकर साहब, मै पर्सनल एक्सप्लेने ान देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मै समझता था कि ऐसे वातावरण मे आपस मे झूठे आरोप और प्रत्यारोप नही लगाए जाएगें लेकिन मुझे बड़ा आ चर्य हुआ कि प्रतिपक्ष के लोग अपना राजनैतिक लक्ष्य पूरा करने के लिये ऐसी बाते कर रहें है। बहिन सुशमा स्वराज जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैने भूख हड़ताल की थी। ये भी देवी लाल जी की मिनिस्टरी मे मंत्री थीं। मैने इनका कहा था कि बहिन जी आप भी आ जाइये और हमारे साथ भूख हडताल किजियें। इन्होने कहा मै नही आ सकती और उस समय चौधरी देवी लाल ने मेरे बारे मे कहा कि अगर मोडा मरता है तो मर जाने दों। दोबारा इलैक ान करवा देगें। (हंसी एवं भाोर) उस समय डा. सुखदेव सिंह चौधरी भजन लाल जी, खुर ीद जी, राव राम नारायाण, चौधरी मेहर सिंह राठी, चौधरी लहरी सिंह तथा मेरे साथियों ने मेरे साथ भूख हड़ताल की थी। उस समय सन्त कंवर जी ने कहा था हर एम.एल.ए. को एक ठेका दे दों। (भाोर)

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री हरफूल सिंह(फतेहाबाद): अध्यक्ष महोदय, मै चाहता हूं कि सरकार कालांवाली के मामले में जुडि ियल इन्कवायरी करवा कर अपने

माथें से कलंक धो लें। इस भाराब से तीन प्रांतो यानी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के आदमी मरे है। अगर आपने इन्कवायरी न करवाई तो दूसरी प्रान्त इंकवायरी करवा लेगी इसलियें मै चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ही इसकी पूरी इन्कवायरी करवाए और लोगो को फैसला दें।

मुख्यमंत्री(चौधरी भजन लाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, कालांवाली मे बड़ी दुखद घटना हुई इसका सारे सदन को बेहद दुख है। जितना दुख अपोजी ान के माननीय सदस्यों को है, उससे ज्यादा मुझे और मेरे साथियों को है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन मे कुछ महानुभावों ने तरह तरह के इलजाम लगाने की कोि ा ाा की। आज की सरकार इसका कांड के बारे मे जो सख्त से सख्त कदम उठा सकती थी वह उठाने की पूरी कोि ा ा की है। आप जानते है कि कोई आदमी जुलम करे तो सरकार का यही फर्ज बनता है कि वह उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करे। अध्यक्ष महोदय, आज तक आपको ऐसी कही भी मिसाल नही मिलेगी कि किसी भाराब के ठेके से भाराब लेकर पीने के बाद कोई आदमी मर जाए तो 302 का मुकदमा दर्ज हुआ हों। इस बारे मे डा. मंगल सैन जी ने बड़े जोर से बोल रहे थे मै उनको बताना चाहता हूं कि दिली मे जुलाई 77 मे 21 आदमी जहरीली भाराब पीने की वजह से मरे थें ओर करोल बाग पुलिस स्टे ान मे केस दर्ज हुआ था। (विघ्न) वे आदमी भी ठेके की भाराब पीकर मरे थें। अध्यक्ष महोदय, वह केस 14.07.1977 को दर्ज हुआ था और धारा 304–ए के तहत दर्ज हुआ था जबकि उस वक्त दिल्ली मे डा. मंगल सेन की पार्टी का राज था। (भाोर)

डा. मंगल सैनः उस समय ला एंड आर्डर लैफ्टीनैंट गवर्नर के अधीन था।(भाोर)

चौधरी भजन लालः नही उस समय मध्यावधि इलैक ान हो चुके थें। अध्यक्ष महोदय, धारा 304–ए के तहत केस दर्ज हुआ और उस केस मे कोई मुआवजा नही दिया गया। उस केस को अन–ट्रेस्ट घोशित कर दिया गया और किसी आदमी का चालान तक भी नही किया गया। आज की सरकार ने 302 का मुकदमा सब दोशियों के खिलाफ दर्ज किया है और 22 आदमी अब तक गिरफ्तार किये जा चुके है। यही नही बल्कि देखा जाए तो रिकार्ड के हिसाब से उसमें जिसके ऊपर थोंड़ा सा भी भाक हुआ यानी जिस किसी का भी नाम लिया गया, उन सक को गिरफ्तार किया गया। दूसरे माननीय सुखदेव सिंह जी का यहां पर नाम लिया गया ओर इस बारे मे कुछ अखबारों मे भी छपा। मै खुद मौके पर गया था और डा. साहब ने यह इल्जाम लगा दिया कि भजन लाल रात को पुलिस की हिफाजत मे वहां गया। मै और चौधरी दलबीर सिंह दोनो गए थे और तीन–चार घंटे ठहरे, लोगों को बुलाया ओर उनसे बात चीत की। वहां पर सारी मंडी इक्ट्ठी थी। (भाोर)

डा. मंगल सैनः आप ठहरे कहां थें?

चौधरी भजन लालः हम रैस्अ हाउस मे ठहरे थें। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री बाहर जाएगा तो वह रैस्अ हाउस मे ही ठहरेगा। जब डा. साहब मंत्री हुआ करते थें तो ये भी रैस्अ हाउस मे ठहरा करते थे जबकि इनका अपना घर रोहतक में है। अध्यक्ष

महोदय, वहां पर लोगों ने कहा कि हम सरकार को इस बात के लिए बधाई देते है कि सरकार ने 302 का मुकदमा दर्ज करके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। लेागों ने सरकार का भ्ाुक्रियां अदा किया। मैने वहा अनांउस किया कि इस भाराब के ठेके मे चाहे कोई बेनाम हो या असली हो, जिस आदमी का भी नाम आएगा, सरकार किसी को भी नही बख ेगी, चाहे वह कोई भी क्यों न हों।

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, इन्होने अभी कहा कि इसमे जिस आदमी का भी नाम आएगा उसको पकड़गें। अखबार के अन्दर हमारे एक एम.एल.ए. का नाम आया है। लेकिन उसके बारे मे आज तक इन्होने कन्ट्राडिक्ट नही किया। न चीफ मिनिस्टर ने किया न किसी और मिनिस्टर ने किया। (भ्ाोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों न डा. सुखदेव सिंह के भाई का जिक्र किया। स्पीकर साहब, सिरसा जिला पहले हिसान जिले का ही एक पार्ट हुआ करता था। मै भी वही का रहने वाला हूं। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी हिसार जिले के जरूर है लेकिन हिसान जिले के ऊपर की तरफ रोहतक साईड के है। इनको तो उस जिले का पता भी नही है कि सिरसा जिला के गांव कहां पर है। स्पीकर साहब, मै सिरसा जिले के हर गांव के आदमियों को जानता हूं। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को उस जिले के बारे मे क्या पता है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर हामरे सामने किसी भी आदमी ने यह नही कहा कि भाराब के ठेके मे डा. सुखदेव सिंह या इनके भाई का हिस्सा हे। इसके

बावजूद भी मैने यह कहा है कि यदि इस मामले मे इनका थोड़ा बहुत हाथ नजर आया ताक किसी का माफ नही किया जाएगां। अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड के हिसाब से इस मामले मे 22 आदमी पकड़े है और जिस भी आदमी का नाम इस मामले मे लिया गया है उनका पकड़ा है उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही हैं। (भाोर एवं विघ्न)

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि * * * * * * * * * * * ** ** * * * * * * * * * * (भाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः जो मेरी परमि ान के बगैर बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए। (भाोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, बाबू मूल चन्द जैन और डा. मंगल सैन जी ने कहा कि मै कालांवाली गया तो मरने वालों के घर तक नही गया। यह बात ठीक है मै वहां पर गया था लेकिन अध्यक्ष महोदय,. . . . . (भाोर)

चौधरी जय नारायणः स्पीकर साहब, यदि विरोधी पक्ष का कोई आदमी बोलता है तो डा. सुखदेव सिंह कहता है कि बाहर निकलते ही देखूंगा। क्या यह ग्रनेड ले रहे है। (भाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः जय नारायण जी आप बैठिए। (भाोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जहां तक मरने वालों के घर जाने का सवाल है, उसमे ऐसा है कि जितने भी वहां पर मरें है

वे एक जगह के रहन वाले नही है बल्कि बहुत से देहात के लोग थे। अध्यक्ष महोदय, अगर मै एक के घर जाऊं तो मुझे सबके घर जाना चाहिए। यदि मै किसी एक घर चला जाता तो दूसरे के मरने वाले आदमियों के परिवार वाले यह कहते कि उसके साथ मेरी हमदर्दी होगी और दूसरों के साथ नही। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मै होस्पीटल मे गया और वहां पर एक एक आदमी से मिल कर उनका हाल चाल पूछा। (भाोर एवं विघ्न)

श्रीमती डा. कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (भाोर) अध्यक्ष महोदय, अखबारों मे यह लिखा हुआ है कि . . . . (भाोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: Nothing will be recorded without my permission. Gentleman, I have highest respect for all the Newspapers published at Chandigarh but I an sorry that Rules of the House do not allow that newspaper report should be discussed in the House. (Interruptions).

श्रीमती डा. कमला वर्मा: स्पीकर साहब, मै चीफ मिनिस्टर साहब से एक बात पूछना चाहती हूं। * * * * * ** * * ******* * * * * ** * * (भाोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: Nothing will be recorded without my permission.

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड के हिसाब से इस मामले मे 22 आदमी पकड़े है ओर उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज

किया गया हैं। बहन सुशमा जी ने कहा कि वहां पर 150 आदमी पर गए है। अध्यक्ष महोदय, बहन जी मुझे यह बता दे कि ये किन आदमियों की जानती है जो वहा ंपर मरे हैं। मेरे नोटिस मे यह आया है कि वहां पर केवल 45 आदमी मरें है। बाकायदा चण्डीगढ़ और 19 आदमियों की आखें खराब हुई है। जिनकी आखों खराब हुई है। उनको देखने के लिए बाकायद चण्डीगढ रोहतक मैडीकल होस्पीटल से स्पै ाल डाक्टर्ज गए हैं। उनमे से 13 आदमियों की आखें ठीक हो गई है ओर 6 की ठीक नही हुई है। अध्यक्ष महोदय, यह बात मै रिकार्ड की बता रहा हूं। (भाोर) उम्मीद है कि उन आदमियों के आंखें भी ठीक हो जाएगी लेकिन अभी तक ठीक नही हुई है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक उनको सहायता देने का ताल्लुक है इस बारे मे मै यह कहना चाहता हूं कि आज तक किसी भी सरकार ने किसी जगह पर, भाराब पीकर मरने वालों को मुआवजा नही दिया है। ऐसे केसिज गुजरात मे भी बहुत हुए है, जब बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर थे तब बिहार मे भी ऐसे केस हुए थें, बम्बई मे भी हुए हैं और दिल्ली मे भी हुए है लेकिन मुआवजा किसी को नही दिया गया। इस सरकार ने यह फैसला किया है कि उनकों फ्री लीगल एड दी जाएगी और हमने एक सिनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल का वहां पर भेज है वह लोगो का समझाएगां और ठेकेदारों के खिलाफ क्लेम फाईल करवायेगां। (भाोर एवं विघ्न)

वाक आउट

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब गल्जबयानी कर रहे है, इसलियें हम एज ए प्रोटैस्अ वाक आउट करते है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर साहब की यह बात ठीक है कि किसी भी सरकार ने आज तक अवैध भाराब को पीकर मरने वालों को मुआवजा नही दिया है। लेकिन चूंकि जो लोग कालांवाली मे मरे है वे सरकार ठेके की भाराब पी कर मरे है, इसलिए उनको मुआवजा दिया जाए। (भाोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सब जगह सरकारी ठेके की भाराब पीकर लोग मरे है। (भाोर एवं विघ्न)

श्रीमती सुशमा स्वराजः स्पीकर साहब, यह बात गलत है। मै यह कहती हूं कि सब जगह सरकारी ठेकक की भाराब से नही मरे है लेकिन ये सरकारी ठेके की भाराब को पीकर मरे हैं, इसलिए इनका मुआवजा दिया जाए। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इनको मुआवजा देने के बजाए, लीगल एड देकर क्लेम फाईल करवाए जा रहे है। (भाोर एवं विघ्न)

श्रीमती सुशमा स्वराजः यदि उनको मुआवजा नही दिया जा सकता तो मै भी एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करती हूं। (भाोर)

(इस समय सिवाए स्वामी अग्निवे ा के सभी विरोधी पक्ष के सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जहां तक सी.बी.आई. की इंक्वायरी का ताल्लूक है। गवर्नमैंट आफ इंडिया ने हिदायत जारी की हुई है कि स्टेट के सबजैक्टस मे सी.बी.आई. इंक्वायरी नही करेगी। सी. बी.आई. तभी इंक्वायरी करती है मगर गवर्नमैंट आफ इंडिया किसी मामले के सम्बन्ध आफ इंडिया के सरकूलर का ध्यान मे रखते हुए इंक्वायरी नही करेगी। जुडीि ायल इंकवायरी की भी इसमे आव यकता नही है। जिस आदमी ने गुनाह किया है या जिसका कसूर था उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त ऐक ान लेने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक डी.सी. के बारे मे डा. मंगल सैन का आराप है कि उन्हे बदल दिया है वह भी गलत है। डी.सी. को हमने ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्राडन्डजं पर बदला हैं इस आधार पर नही। अध्यक्ष महोदय, इसमें न तो किसी एम.एल.ए. के भाई को हाथ है। यह बिल्कूल निराधार आरोप हैं। इन्होने यह भी कहा कि सुखदेव सिंह जी के भाई पिस्तौल दिखाई। यह बात बे–बुनियाद और निराधार हैं सुखदेव सिंह जी का भाई वहा रहता है। उनका मकान वहां हैं। सुखदेव सिंह जी की कोठी वहां हैं।

जहां तक मुकदमा दर्ज कराने का सम्बन्ध है इन्होने कहा कि मुकदमा गलज दर्ज करा दिया। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगो ने ठेकेदार

के मकान को आग लगाने की कोि ा ा की। मकान का अगला हिस्सा जल भी गया है। इन हालात मे सरकार को मुकदमा कराना पड़ा। यह किसी को इजाजत नही कि अपने हाथ मे कानून लेकर के कोई किसी का मकान जलाए। इसलिए सुखदेव सिंह के भाई ने कह दिय होगा कि आपको आग नही लगानी चाहिए लेकिन जहां पक पिस्तोल दिखाने की बात है, यह बिल्कूल बे–बुनियाद और गलत है। (विघ्न)

स्वामी आग्निवे ाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की ओर से जो भी जिम्मेदार मैम्बरों ने इल्जाम लगाए है उनको मुख्यमंत्री जी बे–बुनियाद और गल्त कह रहें हैं। (भाोर) इन्होने यह भी कहां कि स्टेट गवर्नमैंट को सी.बी.आई की इंकवायरी कराने का अधिकार नही है लेकिन जुडि ायल इंक्वायरी तो ये करवा सकते है। डबवाली कांउ में भी तों इन्होने जुडि ायल इंकवायरी करवाई हैं।

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नही हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जहां तक दफा 144 लगाने का ताल्लूक है, हमने केवल एक हफ्ता वहां दफा 144 लगाई थी। आज वहा दफा 144 नही है, बिल्कूल अमन है और ला एंड आर्डर की बिल्कूल कोई प्रौब्लम नही है।

अध्यक्ष महोदय, यहां कहा गया कि लच्छूमल ने ब्यान दिया है कि डा. सुखदेव सिंह का हिस्सा है। यह भी बिल्कूल गलत बात है।

किसी आदमी का अभी तक डा. सुखदेव सिंह का नाम नही लिया हैं (विघ्न) मै रिकार्ड की बात आपके सामने रख रहा हूं।

सुशमा जी ने फरीदाबाद और डबवालज का जिक्र किया। डबवाली के बारे मे ज्यों ही बात हमारे नोटिस मे आई हमने जुडि ियल इंक्वायरी का आदे ा दे दिया। रिपोर्ट भी आ गई है। उसके लिए हमने तीन सिनियर अफसरों की एक कमेटी बना दी है जो सारी बातो का जायजा ले रही हैं। सरकार आव यक कार्यवाही करने मे बिल्कूल नही हिचकिचाएगी। पूरा ऐक ान लिया जाएगा। यही नही बीस बीस हजार रूपया हमने सहायता के तौर पर उनको दिया है। इस लिए अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि जो ऐलीगे ान आपोजि ान के भाईयों ने लगाए है वे बेसलैस है बेबुनियाद है और निराधार है। सरकार ही उनके साथ बेहद हमदर्दी हैं।

वाक आउट

स्वामी आग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, यह गलत ब्यानी है। इसलिए मे भी वाक आउट करता हूं।

(इस समय स्वामी अग्निवे ा सदन से वाक आउट कर गए)

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जो कुछ अखबारे मे छपा है, इसके बारे मे मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से ये गेर जिम्मेदारी के साथ यहां पर बोलते है तो हो सकता हैं इसी तरह से

उन्होने अखबारों मे खबरे छपवा दी होगी। इस सम्बन्ध मे मै ज्यादा न बोलते हुए केवल इनता कहूंगा कि जो कुछ अखबारों मे छपा है वह सही नही है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैने काफी तकलीफ से साथ सारी बाते बता दी हैं लेकिन मै कुछ और बातें भी यहां बताना चाहता था अगर वे अपोजी ान के माननीय सदस्य यहां बैठे होतें। खैर, मै उनके काले कारनामे कल आपके सामने रखूंगा जब वे यहां पर बैठे होगें। आज इन भाब्दों के साि मै आप से इजाजत लेता हूं। आपका धन्यावाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलन के लिए समय दिया।

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 18th December, 1980.

16.29 बजें

(The Sabha then *adjouned till 9.30 a.m. on Thursday, the 18th December, 1980)